Sixteenth Lok Sabha
IX Session (18/07/2016 to 12/08/2016)

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 18 जुलाई, 2016/27 आषाढ़, 1938 (शक)

संख्या 157

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. राष्ट्रगान

राष्ट्रगान की धुन बजायी गई।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

मेघालय के तुरा निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य श्री सी॰के॰ संगमा ने हिन्दी में शपथ ग्रहण की सदस्यों की नामावली पर हस्ताक्षर किए और सभा में अपनी सीट पर बैठे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

3. मंत्रियों का परिचय

प्रधानमंत्री ने श्री प्रकाश जावड़ेकर, मानव संसाधन विकास मंत्री: श्री विजय गोयल, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा जल संसाधन,नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); श्री अनिल माधव दवे, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री; श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; श्री रमेश जिगाजिनागि, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री; श्री रामदास अठावले, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री राजेन गोहेन, रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; श्री परषोत्तम रुपाला, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री;

श्री एम॰जे॰ अकबर, विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; श्री अर्जुन राम मेघवाल, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर, जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; डॉ॰ महेन्द्र नाथ पाण्डेय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; श्री अजय टम्टा, वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री; श्रीमती कृष्णा राज, महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; श्री मनसुख एल॰ मांडविया, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री, पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री; श्रीमती अनुप्रिया पटेल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री; श्री सी॰आर॰ चौधरी, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; श्री पी॰पी॰ चौधरी, विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री और; डॉ॰ सुभाष रामराव भामरे, रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री का परिचय कराया।

पूर्वाह्न 11.07 बजे

2. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने श्री दलपत सिंह परस्ते, लोक सभा के वर्तमान सदस्य; श्री प्रभुलाल रावत, आठवीं और दसवीं लोक सभा के सदस्य; डॉ॰ शकीलुर्रहमान, नौवीं लोक सभा के सदस्य; श्री प्रवीण राष्ट्रपाल, तेरहवीं लोक सभा के सदस्य; श्री के॰ अनिरुद्धन, चौथी लोक सभा के सदस्य; श्री रुद्रमाधव राय, पंद्रहवीं लोक सभा के सदस्य; और श्री नील अलॉसियस ओ ब्रायन, ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्य के निधन के बारे में उल्लेख किया।

दिवंगत आत्माओं के सम्मान में सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे और तत्पश्चात् सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हई।

4. प्रश्न

चूंकि सभा निधन संबंधी उल्लेख के पश्चात् स्थगित हो गई, तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 1-20 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 1-230 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जायेंगे।

पूर्वाह्न 11.14 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 19 जुलाई 2016 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—1593LS—18.07.2016.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 19 जुलाई, 2016/28 आषाढ़, 1938 (शक)

संख्या 158

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने निम्नलिखित के बारे में उल्लेख किए:—

(i) बिहार के औरंगाबाद जिले के चकरबंदा-डुमरीनाला जंगलों में 18.07.2016 को आई॰ई॰डी॰ विस्फोट के कारण सीआरपीएफ के लगभग 10 कर्मियों की मृत्यु और पांच अन्य के घायल होने।

(ii) 31 मई, 2016 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले में पुलगांव में सेना के केंद्रीय आयुध डिपो में आग लग जाने के कारण 17 लोगों के मारे जाने और अनेक अन्य लोगों के घायल होने।

(iii) श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर के बाहरी इलाके पंपोर में 25 जून, 2016 को जवानों को ले जा रही एक बस पर आतंकवादी द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में सीआरपीएफ के आठ जवानों के शहीद होने और 20 अन्य लोगों के घायल होने।

(iv) उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा में बादल फटने, भू-स्खलन, भारी वर्षा, बाढ़ और बिजली गिरने के कारण 96 लोगों के मारे जाने और अनेक अन्य के प्रभावित होने।

(v) काबुल में 20.06.2016 को बस पर हुए एक आत्मघाती बम हमले में दो भारतीयों सहित अन्य लोगों के मारे जाने। अफगान पुलिस कैडेटों को ले जा रही बसों के काफिले पर किए गए दो आत्मघाती बम हमलों में 40 लोगों के मारे जाने और 58 अन्य के घायल होने।

(vi) तुर्की में 28.06.2016 को इस्तानबुल हवाई अड्डे पर आतंकवादी हमला।

(vii) 1-2 जुलाई, 2016 को ढाका में आतंकवादियों द्वारा निर्दोष लोगों पर जघन्य हमले के फलस्वरूप अन्य लोगों के साथ एक भारतीय नागरिक की मृत्यु होने।

(viii) सऊदी अरब में 4 जुलाई, 2016 को जेद्दा, कातिफ और पवित्र शहर मदीना में हुआ आतंकवादी हमला।

(ix) फ्रांस के नीस शहर में 14.07.2016 को आतंकवादी हमले में कई बच्चों सहित 84 व्यक्तियों की मृत्यु होने।

दिवंगत आत्माओं के सम्मान में सदस्य कुछ देर के लिए मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.07 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 21—23 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 24—32 और 34—40 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए। तारांकित प्रश्न संख्या 33 को 25.07.2016 को उत्तर दिए जाने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को भेजा गया।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 231—460 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.02 बजे

4. अध्यक्ष द्वारा बधाई

अध्यक्ष ने 22.06.2016 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह कार्टोसैट-2 सहित एक ही साथ 20 उपग्रहों के सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किए जाने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को सभा की ओर से बधाई दी।

अपराह्न 12.03 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

5. निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) नेशनल को-ऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल को-ऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) नेशनल को-ऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल को-ऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट खाद्य सामग्रियों पर (अनुज्ञापन अपेक्षाएं, स्टॉक सीमाएं और संचलन प्रतिबंध) निराकरण संशोधन आदेश, 2016 जो 29 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1584(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

6. संविधान के अनुच्छेद 123(3)(क) के अंतर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(1) राष्ट्रपति द्वारा 24 मई, 2016 को प्रख्यापित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2016 (2016 का संख्यांक 4)।

(2) राष्ट्रपति द्वारा 24 मई, 2016 को प्रख्यापित दन्त चिकित्सक (संशोधन) अध्यादेश, 2016 (2016 का संख्यांक 5)।

(3) राष्ट्रपति द्वारा 31 मई, 2016 को प्रख्यापित शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) तीसरा अध्यादेश, 2016 (2016 का संख्यांक 6)।

(7) भारत के संविधान के अनच्छेद 356(3) के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (2) के अंतर्गत जारी 11 मई, 2016

की उद्घोषणा जो 11 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 499(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 27 मार्च 2016 को उनके द्वारा जारी पूर्व उद्घोषणा का प्रतिसंहरण किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम, 2010 की धारा 49 के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 2133(अ) जो 16 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 2011 की धारा 35 और नियम 17 के साथ पठित धारा 41 के अनुसार विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम, 2010 के अंतर्गत नियम तैयार किए गए हैं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) संविधान के अनुच्छेद 338क की धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2014-15 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) संविधान के अनुच्छेद 338क की धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) ईंट भट्टा क्षेत्र में अनुसूचित जाति के श्रमिकों के एक्सप्लॉइटेशन के संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में मामलों की जांच।

(दो) उपर्युक्त रिपोर्ट के बारे में व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(12) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

6. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(1) महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त यह सूचना दी कि राज्य सभा ने 11 मई, 2016 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने संशोधनों सहित भारतीय न्यास (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया और इस अनुरोध के साथ विधेयक लौटा दिया कि संशोधनों पर लोक सभा की सहमति की सूचना राज्य सभा को दी जाए।

#(2) कि 19 जुलाई, 2016 को हुई बैठक में राज्य सभा लोक सभा द्वारा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 2016 संबंधी संयुक्त समिति में राज्य सभा के तीन सदस्यों श्री सतीश चंद्र मिश्रा, श्री प्रफुल पटेल और श्री के॰ सी॰ त्यागी के सेवानिवृत्त होने के कारण उनके स्थान पर राज्य सभा के तीन सदस्यों को नियुक्त करने की सिफारिश पर सहमत हुई तथा श्री रामचन्द्र प्रसाद सिंह, श्री सतीश चन्द्र मिश्रा और श्री प्रफुल्ल पटेल, जिन्हें उक्त समिति द्वारा विधिवत नियुक्त किया गया, के नामों के बारे में सूचित किया।

7. **राज्य सभा द्वारा यथा संशोधित विधेयक—सभापटल पर रखा गया।**
भारतीय न्यास (संशोधन) विधेयक, 2015

8. **विधेयकों पर अनुमति**

(1) महासचिव ने सोलहवीं लोक सभा के आठवें सत्र के दौरान संसद की सभाओं द्वारा पारित एवं राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 10 विधेयकों को सभापटल पर रखा, चूँकि पिछली बार 26 अप्रैल, 2016 को सभा को प्रतिवेदन दिया गया था:—

1. सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, 2016;
2. विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2016;
3. निरसन और संशोधन विधेयक, 2016;
4. विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 2016;
5. उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016;
6. वित्त विधेयक, 2016;
7. विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2016;
8. यान-हरण निवारण विधेयक, 2016;
9. डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, 2016; और
10. उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2016

#सायं 6.01 बजे।

(2) महासचिव ने संसद की सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित तीन विधेयकों की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत् सत्यापित प्रतियों को भी सभापटल पर रखा:—

1. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2016;

2. खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016; और

3. शोधन अक्षमता और दिवाला संहिता, 2016

9. लोक सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र

अध्यक्ष ने सभा को सूचित किया कि उन्हें असम के लखीमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री सर्वानन्द सोनोवाल से लोक सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र वाला 27.05.2016 का पत्र प्राप्त हुआ था और कि उन्होंने उनका त्याग-पत्र 28.05.2016 से स्वीकार कर लिया है।

उन्होंने आगे सभा को सूचित किया कि उन्हें पश्चिम बंगाल के तामलुक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री सुवेन्दू अधिकारी से लोक सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र वाला 28.05.2016 का पत्र प्राप्त हुआ था और कि उन्होंने उनका त्याग-पत्र 28.05.2016 से स्वीकार कर लिया है।

उन्होंने सभा को यह भी सूचित किया कि उन्हें जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य सुश्री महबूबा मुफ्ती से लोक सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र वाला 30.06.2016 का पत्र प्राप्त हुआ था और कि उन्होंने उनका त्याग-पत्र 04.07.2016 से स्वीकार कर लिया है।

10. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया ने कार्य मंत्रणा समिति को बत्तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.07 बजे

11. प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 2016 संबंधी संयुक्त समिति के लिए लोक सभा और राज्य सभा के सदस्यों की नियुक्ति के बारे में प्रस्ताव

(1) डॉ॰ संजय जायसवाल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा श्री पी॰पी॰ चौधरी की मंत्री के रूप में नियुक्ति होने पर प्रतिभूति हित का

प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 2016 संबंधी संयुक्त समिति से उनके त्यागपत्र देने से उनके स्थान पर डॉ॰ किरीट सोमैया को संयुक्त समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करती है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) डॉ॰ संजय जायसवाल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा श्री प्रफुल पटेल, श्री सतीश चंद्र मिश्र और श्री के॰सी॰ त्यागी के राज्य सभा से सेवानिवृत्त होने के कारण उनके सथान पर प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 2016 संबंधी संयुक्त समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए राज्य सभा के तीन सदस्यों को नियुक्त करने के लिए सहमत हो तथा इस प्रकार राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति के लिए नियुक्त किए गए सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2016

13. अध्यादेश के बारे में विवरण—सभा पटल पर रखा गया

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2016 (2016 का संख्यांक 4) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा गया।

14. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

दन्त चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2016

15. अध्यादेश के बारे में विवरण—सभा पटल पर रखा गया

दन्त चिकित्सक (संशोधन) अध्यादेश, 2016 (2016 का संख्यांक 5) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा गया।

अपराह्न 12.10 बजे

16. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

पुर:स्थापित किए जाने के लिए विधेयक

*(i) *राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञन शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक,* 2016

#(ii) *प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक,* 2016

(iii) *उच्च न्यायालय (नाम परिवर्तन) विधेयक,* 2016

(iv) *नागरिकता (संशोधन) विधेयक,* 2016

@अपराह्न 12.15 बजे

17. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने निर्वाचित राज्य सरकारों को अस्थिर करने के लिए संघ सरकार द्वारा किए गए कथित प्रयासों के बारे में निवेदन किया।

श्री राजनाथ सिंह ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 1.23 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.27 *बजे पुन: समवेत हुई।)*

अपराह्न 2.27 बजे

18. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

(1) श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वाह प्रांत के कारक जिला टेरी में स्थित स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज परमहंस की समाधि एवं मंदिर के पुनर्निर्माण के मुद्दे को उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) डॉ॰ उदित राज ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 12.20 बजे।

#अपराह्न 12.22 बजे।

@अपराह्न 12.15 बजे से 1.23 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(3) श्री फिरोज़ वरुण गांधी ने देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियों को भरे जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री लक्ष्मी नारायण यादव ने बैंकों के ग्राहकों को नो-डयूज प्रमाणपत्र ऑनलाइन दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री विष्णु दयाल राम ने झारखंड के पलामू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 75 पर ट्रॉमा सेंटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री राहुल कस्वां ने भारतीय नौसेना में सीनियर सेंकण्डरी रिक्रूट तथा आर्टीफाइसर अप्रेंटिस हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं में न्यूनतम अर्हता मानदंड पूर्ण करने वाले सभी उम्मीदवारों को अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री विद्युत वरण महतो ने झारखंड में जमशेदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय हेतु भवन निर्माण हेतु निधियां उपलब्ध कराए जाने तथा वहां केन्द्रीय विद्यालय अथवा नवोदय विद्यालय स्थापित भी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) अशोक महादेवराव नेते ने महाराष्ट्र में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री राम टहल चौधरी ने झारखंड में रांची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अधीन गांवों का विद्युतीकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री सुनील कुमार सिंह ने झारखंड में लातेहर, वरवाडीह और तोरी रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने तथा इन स्टेशनों को आदर्श स्टेशन बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री अश्विनी कुमार चौबे ने समझौते के अनुसार बाण सागर बांध से बिहार को पानी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री रामदास सी॰ तडस ने विदर्भ इंटेन्सिव विकास कार्यक्रम के अधीन स्वीकृत निधियों को उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री देवेन्द्र सिंह ने उत्तर प्रदेश के अकबरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में संभुआ रेलवे क्रासिंग पर बने पुल (एन॰एच॰ 86) की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री रत्न लाल कटारिया ने हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की नदियों पर बांध बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री के॰सी॰ वेणुगोपाल ने मेरिट-मींस स्कॉलरशिप प्राप्त करने में अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को होने वाली समस्याओं के बारे में

(16) श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन ने केरल में डिफ्थेरिया से निपटने की आवश्यकता के बारे में।

(17) डॉ॰ शशि थरूर ने देश में तटीय क्षरण रोकने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्रीमती वी॰ सत्यबामा ने तमिलनाडु में तिरुपुर में निटवीयर बोर्ड स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्रीमती के॰ मरगथम ने तमिलनाडु को नेशनल इलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट से छूट दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) डॉ॰ तापस मंडल ने 19वीं सदी के बंगाल के नामशूद्र आंदोलन को मनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) डॉ॰ कुलमणि सामल ने ओडिशा के पारादीप क्षेत्र में औद्योगिक अपवाह को नदियों और क्रीक्स में छोड़े जाने पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(22) श्री सदाशिव लोखंडे ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को कम ब्याज दर पर शिक्षा ऋण उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(23) श्री किंजरापु राम मोहन नायडू ने देश में बेरोजगारी की समस्या के बारे में।

(24) श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी ने तेलंगाना के लिए पृथक उच्च न्यायालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(25) श्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा में हिसार में अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन तथा कार्गो टर्मिनल स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(26) श्री राजेश रंजन ने बिहार में लोहार जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा पुन: दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(27) श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन ने केरल को पुटिंगल मंदिर आपदा के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.28 बजे

19. (1) सांविधिक संकल्प — वापस लिया गया;

(2) सरकारी विधेयक—पारित

लिया गया समय : 5 घण्टे 48 मिनट

निम्नलिखित कार्य मदें एक साथ ली गईं:—

(1) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2016 (2016 का अध्यादेश संख्यांक 4) के निरनुमोदन वाला सांविधिक संकल्प

(2) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2016

(3) दन्त चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का अध्यादेश संख्यांक 5) के निरनुमोदन वाला सांविधिक संकल्प

(4) दन्त चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2016

श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

''कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 24 मई, 2016 को प्रख्यापित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2016 (2016 का अध्यादेश संख्यांक 4) का निरनुमोदन करती है।''

श्री जगत प्रकाश नड्डा द्वारा आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार हेतु प्रस्ताव पेश किया गया।

श्री एन॰ के॰ प्रेमचन्द्रन ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

''कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 24 मई, 2016 को प्रख्यापित दन्त चिकित्सक (संशोधन) अध्यादेश, 2016 (2016 का अध्यादेश संख्यांक 5) का निरनुमोदन करती है।''

श्री जगत प्रकाश नड्डा द्वारा दन्त चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार हेतु प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया।

1. श्री मल्लिकार्जुन खड़गे
2. श्री के॰सी॰ वेणुगोपाल
3. डॉ॰ संजय जायसवाल
4. श्री टी॰ जी॰ वेंकटेश बाबू
5. डॉ॰ (श्रीमती) काकोली घोष दस्तीदार
6. श्री भर्तृहरि महताब
7. डॉ॰ श्रीकान्त एकनाथ शिन्दे
8. डॉ॰ रविन्द्र बाबू पण्डुला
9. डॉ॰ बूरा नरसैय्या गौड

10. श्री एम॰ बी॰ राजेश
11. डॉ॰ वाराप्रसाद राव वेलगापल्ली
12. श्री अधीर रंजन चौधरी
13. डॉ॰ किरिट प्रेमजी भाई सोलंकी
14. श्री राजेश रंजन (पप्पू यादव)
15. श्री दुष्यंत चौटाला
16. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
17. श्री ई॰ टी॰ मोहम्मद बशीर
18. श्री कौशलेन्द्र कुमार
19. डॉ॰ अम्बुमनी रामादोस
20. डॉ॰ हिना विजयकुमार गावीत
21. डॉ॰ के॰ कामराज
22. डॉ॰ (श्रीमती) रत्ना डे (नाग)
23. श्री प्रेमदास राई
24. श्री राजीव शंकरराव सातव
25. श्री आर॰ राधाकृष्णन
26. श्री (एडवोकेट) जोएस जॉर्ज
27. डॉ॰ प्रीतम गोपीनाथ मुंडे
28. श्री अरविन्द सावंत
29. श्री एंटो एन्टोनी

श्री जगत प्रकाश नड्डा ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया

(1) श्री एन॰ के॰ रामचन्द्रन द्वारा पेश भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2016 (2016 का अध्यादेश संख्यांक 4) के निरनुमोदन वाला सांविधिक संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

(2) विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 4 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री जगत प्रकाश नड्डा ने विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

(3) श्री एन॰ के॰ रामचन्द्रन द्वारा पेश दन्त चिकित्सक (संशोधन) विधेयक 2016 (2016 का अध्यादेश संख्यांक 5) के निरनुमोदन वाला सांविधिक संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

(4) विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड–वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 4 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री जगत प्रकाश नड्डा ने विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

रात्रि 8.16 बजे

(लोक सभा बुधवार 20 जुलाई, 2016 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—1662LS(S3)—19.07.2016.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 20 जुलाई, 2016/29 आषाढ़, 1938 (शक)

संख्या 159

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने डॉ॰ लक्ष्मी नारायण पाण्डेय, पांचवीं, छठी और नौवीं से चौदहवीं लोक सभा के सदस्य; और श्री पूनमचन्द मीठाभाई वानाकर, आठवीं लोक सभा के सदस्य के निधन के बारे में उल्लेख किया।

दिवंगत आत्माओं के सम्मान में सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 41—45 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 46—60 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 461—690 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा के वर्ष 2014-2015 के लेखापरीक्षित लेखाओं के बारे में सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 14 की उपधारा (3) के अंतर्गत केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) हज समिति अधिनियम, 2002 की धारा 41 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1258(अ) जो 30 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उक्त अधिनियम की अनुसूची के जोन-III में 'तेलंगाना' राज्य को शामिल किए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(1) कि 18 जुलाई, 2016 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा लोक सभा द्वारा 25 अप्रैल, 2016 को पारित जैव प्रौद्योगिकी प्रादेशिक केंद्र विधेयक, 2016 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(2) महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना दी कि 19 जुलाई, 2016 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 पारित किया।

6. राज्य सभा द्वारा यथा पारित विधेयक—सभा पटल पर रखा गया

बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016

7. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

डॉ॰ एम॰ तंबिदुरै ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का तेईसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) (मांग सं॰ 48, 49 और 50) के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 82वें, 83वें, 89वें और 90वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 260वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

9. केंद्रीय समन्वयन समिति के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री थावरचंद गहलोत ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ज) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन केंद्रीय समन्वयन समिति के सदस्यों के रूप में सभा में अपना कार्यकाल समाप्त होने की अवधि तक कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. समितियों के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

(1) प्रो॰ के॰ वी॰ थॉमस ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा श्री विजय गोयल की मंत्री के रूप में नियुक्ति होने के कारण उनके स्थान पर लोक लेखा समिति की शेष अवधि के लिए

समिति के साथ सहयोजित होने के लिए राज्य सभा के एक सदस्य को नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट किए गए सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री शांता कुमार ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 312ख के उपनियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उपनियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से श्रीमती कृष्णा राज के मंत्री के रूप में नियुक्त होने के कारण उनके स्थान पर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की शेष अवधि के लिए उक्त समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(3) श्री शांता कुमार ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा श्री प्रफुल पटेल और श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह के राज्य सभा से सेवानिवृत्त होने के कारण उनके स्थान पर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की शेष अवधि के लिए समिति के साथ सहयोजित होने के लिए राज्य सभा के दो सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट किए गए सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

11. **प्रस्ताव**

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 19 जुलाई, 2016 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के बत्तीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.08 बजे

12. **सदस्यों द्वारा निवेदन**

(1) सर्वश्री कोडिकुन्नील सुरेश और राजेश रंजन ने मृत गाय की खाल उतारने पर गुजरात में दलितों पर हमले की खबर के बारे में निवेदन किया।

एडवोकेट जोएस जॉर्ज और श्री एम॰बी॰ राजेश सहयोजित हुए।

श्री राजनाथ सिंह ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.52 बजे

(2) श्री जोस के॰ मणि ने यमन में आईएसआईएस द्वारा केरल के एक कैथोलिक पादरी का अपहरण और उत्पीड़न किए जाने की खबर के बारे में निवेदन किया।

सर्वश्री पी॰के॰ बिजू, एडवोकेट जोएस जॉर्ज, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर, श्री एंटो एन्टोनी, श्री एम॰के॰ राघवन और श्री के॰ सुरेश सहयोजित हुए।

श्रीमती सुषमा स्वराज ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 1.25 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.30 *बजे पुनः समवेत हुई।)*

अपराह्न 2.30 बजे

13. **नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखेः—

(1) श्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक में हुबली-चिकाजाजुर रेल लाईन का निर्माण शीघ्र किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) डॉ॰ रमेश पोखरियाल निशंक ने भौगोलिक आवश्यकताओं के अनुसार पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उत्तराखंड को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने तथा राज्य में प्राकृतिक आपदाओं और वर्तमान वन कानूनों के कारण प्रभावित लोगों का पुनर्वास किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह ने उत्तराखंड के टिहरीगढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अतिवृष्टि तथा बादल फटने के कारण हुई जान और माल की हानि का जायजा लेने के लिए एक केन्द्रीय दल भेजे जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री अर्जुन लाल मीणा ने उदयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 12.08 बजे से 01.25 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(5) डॉ॰ किरिट सोमैया ने मुंबई में विभिन्न स्थानों पर सड़क उपरिपुलों के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री निशिकान्त दुबे ने झारखंड के देवधर में एक सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री चन्द्र प्रकाश जोशी ने मरकरी वेस्ट के उचित निपटान के लिए एक निगरानी समिति स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल ने उत्तर प्रदेश के महोबा में पान की खेती को बढ़ावा दिए जाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री कपिल मोरेश्वर पाटील ने आयुष चिकित्सकों को एलोपैथिक चिकित्सकों के समान वेतन दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) डॉ॰ किरिट पी॰ सोलंकी ने गुजरात में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ कॉटन स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) डॉ॰ डी॰के॰ सुरेश ने प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रेशम तथा गन्ना उत्पादन को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री रवनीत सिंह ने पंजाब के लुधियाना में पुराने जगराँव रेल सेतु की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री आर॰ पी॰ मरुदराजा ने तमिलनाडु के पेराम्बूलुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय का भवन निर्माण के लिए निधियों को जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्रीमती एम॰ वसन्ती ने तमिलनाडु के तेनकासी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बीड़ी श्रमिकों के लिए चिकित्सा सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री प्रतापराव जाधव ने महाराष्ट्र में किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत संस्वीकृत सुविधाएं सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री एम॰ श्रीनिवास राव ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न संस्थानों का बंटवारा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री पी॰ श्रीनिवास रेड्डी ने देश में इन्फ्लेमेट्री बाउल रोग को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा ने राष्ट्रीय उर्वरक निगम की नांगल, पंजाब इकाई की क्षमता में बढ़ोत्तरी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री जोस के॰ मणि ने केरल में रबड़ उत्पादकों को राहत प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 02.30 बजे

14. राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन—सहमति हुई

**भारतीय न्यास (संशोधन) विधेयक, 2015*

श्री अरुण जेटली की ओर से श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार करने का प्रस्ताव पेश किया गया:—

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में ''छियासठवें'' शब्द **के स्थान पर** ''सड़सठवें'' शब्द **प्रतिस्थापित** किया जाए।

खंड 1

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 3 में, ''2015'' अंक **के स्थान पर** ''2016'' अंक **प्रतिस्थापित** किया जाए।

विचार के लिए प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर सहमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और संशोधनों पर सहमति हुई।

अपराह्न 2.33 बजे

15. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय **:** 6 घण्टे 1 मिनट

अध्यक्षपीठ ने सभा को सूचित किया कि श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कश्मीर घाटी में हाल में हुई हिंसा से राज्य में लोगों की शांति और सुरक्षा के लिए उत्पन्न खतरे से संबंधित स्थिति के बारे में नियम 193 के अधीन चर्चा आरंभ करने वाले थे, ने अध्यक्ष से अनुरोध किया था कि

---

* विधेयक लोक सभा द्वारा 9 दिसम्बर, 2015 को पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सहमति के लिए भेजा गया था। राज्य सभा ने अपनी 11 मई, 2016 को हुई बैठक में विधेयक को संशोधनों के साथ पारित किया तथा 18 मई, 2016 को लोक सभा को लौटा दिया।

श्री ज्योतिरादित्य एम॰ सिंधिया को उनकी ओर से चर्चा प्रारंभ करने की अनुमति दी जाए और अध्यक्ष ने उनके इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया।

तद्नुसार श्री ज्योतिरादित्य एम॰ सिंधिया ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री अनुराग सिंह ठाकुर
2. श्री ए॰ अनवर राजा
3. श्री कल्याण बनर्जी
4. श्री तथागत सत्पथी
5. श्री मुलायम सिंह यादव
6. श्री अरविन्द सावंत
7. श्री थोटा नरसिम्हम
8. श्री बूरा नरसैय्या गौड़
9. श्री मोहम्मद सलीम
10. डॉ॰ वारा प्रसादराव वेलगापल्ली
11. श्री तारिक अनवर
12. श्री प्रेम सिंह चंदूमाजरा
13. श्री एम॰जे॰ अकबर
14. श्री जय प्रकाश नारायण यादव
15. श्री भगवंत मान
16. डॉ॰ अरुण कुमार
17. श्री मुजफ्फर हुसैन बेग
18. श्री मौलाना बदरुद्दीन अजमल
19. श्री दुष्यंत चौटाला

20. श्री कौशलेन्द्र कुमार

21. श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर

22. श्री सी॰के॰ संगमा

23. श्री असादुद्दीन ओवैसी

24. श्री अधीर रंजन चौधरी

25. श्री जुगल किशोर शर्मा

26. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन

27. प्रो॰ (डॉ॰) सुगत बोस

28. श्री राजेश रंजन (पप्पू यादव)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

रात्रि 8.34 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 21 *जुलाई,* 2016 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—1705LS(S3)—20-07-2016.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 21 जुलाई, 2016/30 आषाढ़, 1938 (शक)

संख्या 160

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 61—63 और 73 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 64—72 और 74—80 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 691—920 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) इलाहाबाद म्यूजियम, इलाहाबाद के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलाहाबाद म्यूजियम, इलाहाबाद के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 की धारा 50 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 375(अ) से का॰आ॰ 380(अ) जो 5 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उनमें उल्लिखित पदधारियों को राजमार्ग प्रशासन की शक्तियों का प्रत्यायोजन किए जाने के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 486(अ) से का॰आ॰ 494(अ) जो 16 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उनमें उल्लिखित पदधारियों को राजमार्ग प्रशासन की शक्तियों का प्रत्यायोजन किए जाने के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 1301(अ) और का॰आ॰ 1302(अ) जो 04 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उनमें उल्लिखित पदधारियों को राजमार्ग प्रशासन की शक्तियों का प्रत्यायोजन किए जाने के बारे में है।

(चार) का॰आ॰ 574(अ) जो 24 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 24, 25, 26, 27 और 43 के अंतर्गत शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करने के लिए राज्य लोक निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंताओं और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशकों को नियुक्त किया गया है।

(6) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 3200(अ) जो 30 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 04 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का॰आ॰ 3382(अ) जो 15 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 12 दिसंबर, 2014 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3162(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(तीन) का॰आ॰ 3383(अ) जो 15 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 09 अप्रैल, 2015 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 976(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) का॰आ॰ 3384(अ) जो 15 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 04 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पांच) का॰आ॰ 3554(अ) जो 31 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 फरवरी, 2015 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 539(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छह) का॰आ॰ 3555(अ) जो 31 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 04 अगस्त, 2005 की अधिूसचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सात) का॰आ॰ 183(अ) जो 20 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 04 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(आठ) का॰आ॰ 184(अ) जो 20 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 04 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(नौ) का॰आ॰ 186(अ) जो 20 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 04 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दस) का॰आ॰ 188(अ) जो 20 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 04 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(ग्यारह) का॰आ॰ 413(अ) से का॰आ॰ 415(अ) जो 09 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 04 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बारह) का॰आ॰ 417(अ) जो 09 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 04 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तेरह) का॰आ॰ 418(अ) जो 09 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।

(चौदह) का॰आ॰ 419(अ) जो 09 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 04 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पंद्रह) का॰आ॰ 420(अ) जो 09 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 04 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सोलह) का॰आ॰ 641(अ) जो 02 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।

(सत्रह) का॰आ॰ 1098(अ) जो 15 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 04 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(7) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 185(अ) जो 20 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में राजमार्ग संख्या 82 और 102 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(दो) का॰आ॰ 187(अ) जो 20 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 31 जनवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 94(अ) को निरस्त किया गया है।

(तीन) का॰आ॰ 416(अ) जो 09 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तेलंगाना राज्य में राजमार्ग संख्या 202 (यदगिरी-वारंगल) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(8) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 455(अ) जो 27 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा लाईफबोटमेन (अर्हता और प्रमाण पत्र) नियम, 1963 को निरस्त किया गया है।

(दो) सा॰का॰नि॰ 456(अ) जो 27 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा वाणिज्य पोत परिवहन (कष्ट संदेश और नौपरिवहन चेतावनी) नियम, 1964 को निरस्त किया गया है।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 457(अ) जो 27 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा वाणिज्य पोत परिवहन (पायलट लैडर) नियम, 1967 को निरस्त किया गया है।

(चार) सा॰का॰नि॰ 458(अ) जो 27 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा वाणिज्य पोत परिवहन (मस्टर्स) नियम, 1968 को निरस्त किया गया है।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 459(अ) जो 27 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा वाणिज्य पोत परिवहन (सुरक्षा अभिसमय प्रमाण पत्र) नियम, 1968 को निरस्त किया गया है।

(छह) सा॰का॰नि॰ 460(अ) जो 27 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा वाणिज्य पोत परिवहन (रेडियो दिशा बोधक) नियम, 1968 को निरस्त किया गया है।

4. मंत्री द्वारा वक्तव्य

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय के राज्य मंत्री ने निम्नलिखित के संबंध में निम्नलिखित वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) दिए:—

(1) कोयला मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 7वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) कोयला मंत्रालय से संबंधित 'अवैध कोयला खनन और चोरी की रोकथाम' के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

5. समितियों के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

(1) डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 311 के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से श्री अर्जुन राम मेघवाल के मंत्री के रूप में नियुक्त होने के कारण उनके स्थान पर प्राक्कलन समिति की शेष अवधि हेतु उक्त समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) डॉ॰ (प्रो॰) किरिट पी॰ सोलंकी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331ख के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, श्री रमेश सी॰ जिगाजिनागि और श्री अजय टम्टा के मंत्रियों के रूप में नियुक्त होने के कारण उनके स्थान पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति की शेष अवधि हेतु उक्त समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से तीन सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(3) डॉ॰ (प्रो॰) किरिट पी॰ सोलंकी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा श्री रामदास अठावले के मंत्री के रूप में नियुक्त होने और श्रीमती विजयलक्ष्मी साधो के राज्य सभा से सेवानिवृत्त होने के कारण उनके स्थान पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति की शेष अवधि हेतु समिति के साथ सहयोजित होने के लिए राज्य सभा के दो सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट किए गए सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(4) श्री गणेश सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि इस सभा के सदस्य श्री राजेन गोहेन, श्रीमती अनुप्रिया पटेल और डॉ॰ सुभाष रामराव भामरे के मंत्रियों के रूप में नियुक्त होने के कारण नियम 254 के उप-नियम (3) के अंतर्गत उनके स्थान पर अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति की शेष अवधि हेतु उक्त समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से तीन सदस्य निर्वाचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(5) श्री गणेश सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा श्री वी॰ हनुमंत राव, श्री अश्क अली टाक श्री विशम्भर प्रसाद निषाद और श्री राजपाल सिंह सैनी के राज्य सभा से सेवानिवृत्त होने के कारण उनके स्थान पर अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति की शेष अवधि हेतु समिति में शामिल होने के लिए राज्य सभा के चार सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट किए गए सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.07 बजे

6. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय: 6 घंटे 31 मिनट

श्री ज्योतिरादित्य एम॰ सिंधिया द्वारा कश्मीर घाटी में हाल में हुई हिंसा से राज्य में लोगों की शांति और सुरक्षा के लिए उत्पन्न खतरे से संबंधित स्थिति के बारे में 20 जुलाई, 2016 को उठाई गई चर्चा पर आगे बहस जारी रही।

श्री राजनाथ सिंह ने चर्चा का उत्तर दिया।

चर्चा पूरी हुई।

*अपराह्न 12.37 बजे

7. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री ज्योतिरादित्य एम॰ सिंधिया ने भाजपा के उत्तर प्रदेश राज्य उपाध्यक्ष द्वारा बसपा नेता पर की गयी अपमानजनक टिप्पणी के बारे में निवेदन किया।

श्री राजेश रंजन (पप्पू यादव), श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन, एडवोकेट जोएस जॉर्ज और कोडिकुन्नील सुरेश सहयोजित हुए।

श्री अनन्त कुमार ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 1.35 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.37 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 2.37 बजे

8. **नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

(1) श्री शरद त्रिपाठी ने राज्यों में, विशेषकर जिला संत कबीरनगर, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति की निगरानी हेतु जिला समितियों की नियमित बैठक सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 12.37 बजे से 1.35 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(2) श्री ओम बिरला ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत श्रमिक-सामग्री अनुपात की 49:51 स्कीम कार्यान्वित किए जाने और मनरेगा के अंतर्गत अनुमोदित कार्यों की सूची में फेंसिंग कार्य को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री ओम प्रकाश यादव ने बिहार के छपरा जिले में स्थित जिला स्कूल जिसने देश को पहला राष्ट्रपति दिया में शिक्षकों की नियुक्ति और इसे आदर्श स्कूल के तौर पर विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) डॉ॰ मनोज राजोरिया ने डॉक्टरों के साथ एप्वाइंटमेंट की ऑन लाइन बुकिंग प्रणाली शुरू किए जाने और राज्य तथा जिला अस्पतालों में ऑन लाइन चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री सतीश चंद्र दुबे ने मुजफ्फरपुर-आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन प्रतिदिन चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री राघव लखनपाल ने राज्य के सहारनपुर जिले के नानोटा विकास खंड में किसानों को सिंचाई सुविधाऐं उपलब्ध कराने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में विशेषकर जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में तूफान और अत्यधिक वर्षा से फसल की बर्बादी झेलने वाले किसानों को क्षतिपूर्ति का भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री हुकुम सिंह ने कैराना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री मुकेश राजपूत ने उत्तर प्रदेश के फरूखाबाद में एफसीआई का एक खरीद केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार ने देश में बाल श्रमिकों की शिक्षा और पुनर्वास हेतु एक व्यापक नीति तैयार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री जुगल किशोर ने देश के रक्षा और पैरा-मिलिटरी सैन्य बलों में जम्मू और कश्मीर के युवकों की भर्ती हेतु एक विशेष अभियान शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री छोटेलाल ने शिवगंगा एक्सप्रेस को वाया रॉबर्ट्सगंज सिंगरौली तक और प्रयाग राज एक्सप्रेस को डालटनगंज तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री भैरों प्रसाद मिश्र ने उत्तर प्रदेश में सूखे के कारण फसल की बर्बादी झेलने वाले किसानों को क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री एस॰पी॰ मुद्दाहनुमे गौड़ा ने कर्नाटक के तुमाकुरु ताल्लुक में उरुकेरे में रेलवे जंक्शन की स्थापना से संबंधित समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री आर॰ ध्रुवनारायण ने कर्नाटक में चामराजनगर जिला मुख्यालय में मंडल स्तरीय डाकघर की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री एंटो एन्टोनी ने मुल्लापेरियार बांध के स्थल पर एक नए बांध का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री बी॰ सेनगुट्टुवन ने तमिलनाडु में पलार नदी में जल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने और पेन्नायार-पलार लिंक कैनाल परियोजना में भी तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री आर॰ पार्थिपन ने तमिलनाडु में जल्लीकट्टु के आयोजन की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री भर्तृहरि महताब ने कोयला उत्पादक राज्य के साथ कोयले पर उपकर में सहभागिता हेतु तंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) श्री अरविंद सावंत ने भारतीय मौसम विभाग ने मोडिफाइड फ्लैक्सिबल कॉम्प्लिमेंटिंग स्कीम के कार्यान्वयन की जांच किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) श्री राजू शेट्टी ने पद्म सम्मान से सम्मानित ओलम्पिक पहलवान के॰डी॰ जाधव को सम्मानित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.38 बजे

9. सरकारी विधेयक—पारित

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2016

लिया गया समय: 4 घण्टे 06 मिनट

श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा इस विधेयक पर विचार हेतु प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. डॉ॰ शशि थरुर
2. श्री हरि बाबू कम्भापति
3. श्री एस॰ सेलवाकुमार चिन्नैयन
4. प्रो॰ (डॉ॰) सुगत बोस
5. श्री बैजयंत जे पांडा
6. श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव
7. श्री चन्द्रकांत खैरे
8. श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी
9. श्री पी॰के॰ बिजू
10. श्रीमती बुत्ता रेणुका
11. श्री जयप्रकाश नारायण यादव
12. श्री निनोंग इरिंग
13. डॉ॰ उदित राज
14. श्री प्रेम दास राई
15. डॉ॰ अरुण कुमार
16. मौलाना बदरुद्दीन अजमल
17. श्री रत्न लाल कटारिया।
18. श्री संतोष कुमार
19. श्री दुष्यंत चौटाला
20. श्री राजेश रंजन (पप्पू यादव)
21. श्री हुकुम सिंह
22. श्री अधीर रंजन चौधरी
23. डॉ॰ किरिट पी॰ सोलंकी
24. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन

श्री प्रकाश जावड़ेकर ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री प्रकाश जावड़ेकर ने विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

सायं 6.44 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 22 जुलाई, 2016 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—1737LS(S3)—21-07-2016.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 22 जुलाई, 2016/31 आषाढ़, 1938 (शक)

संख्या 161

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण, तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। तदनुसार, आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 81—100 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 921—1150 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही-वृत्तांत में मुद्रित किए जायेंगे।

(सभा में व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.03 *बजे स्थगित हुई और मध्याह्न* 12.00 *बजे पुन: समवेत हुई।)*

मध्याह्न 12.00 बजे

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) सेंट्रल एडोप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित, लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को स्पष्ट करने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 की धारा 25 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) प्रेस परिषद् (संशोधन) नियम, 2016 जो 31 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 377(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) प्रेस परिषद् (संशोधन) नियम, 2016 जो 28 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 466(अ) में प्रकाशित हुए थे।

3. प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण-वसूली विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 2016 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

श्री निशिकांत दुबे ने प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण-वसूली विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 2016 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

4. प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण-वसूली विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 2016 संबंधी संयुक्त समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य का अभिलेख

श्री निशिकांत दुबे ने प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण-वसूली विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 2016 संबंधी संयुक्त समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य के अभिलेख की एक प्रति सभा पटल पर रखी।

5. मंत्री द्वारा वक्तव्य

योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; और आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री ने योजना मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 31वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

6. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने 25 जुलाई, 2016 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

7. *भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2015 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाए जाने के बारे में प्रस्ताव

श्री गणेश सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2015 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय शीतकालीन सत्र, 2016 के अंतिम दिवस तक बढ़ाती है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.04 बजे

8. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

''मुझे श्री भगवंत मान संसद सदस्य के विरूद्ध संसद भवन परिसर के सुरक्षा इंतजामों को अनधिकृत रूप से सार्वजनिक किए जाने और इस तरह से व्यवहार करने, जो कि एक सदस्य के लिए अशोभनीय है, के संबंध में सर्वश्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा, निशिकान्त दुबे, प्रहलाह सिंह पटेल, राम चरित्र निषाद, जनार्दन सिंह सीग्रीवाल, राजेन्द्र अग्रवाल, महेश गिरी, ओम बिरला, सुधीर गुप्ता, राकेश सिंह, सुशील कुमार सिंह, प्रो॰ चिंतामणि मालवीय, डॉ॰ किरीट सोमैया, डॉ॰ रवीन्द्र कुमार राय, डॉ॰ संजय कुमार जायसवाल और डॉ॰ उदित राज संसद सदस्यों से दिनांक 22 जुलाई, 2016 के विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

---

*समय बढ़ाने का कारण बताने वाला ज्ञापन अलग से परिचालित किया गया है।

इसके अलावा, मुझे श्री भर्तृहरि महताब, संसद सदस्य से श्री भगवंत मान, संसद सदस्य के विरुद्ध प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 334क के अंतर्गत दिनांक 22 जुलाई, 2016 की एक शिकायत भी प्राप्त हुई है। मुझे सर्वश्री उदय प्रताप सिंह, भर्तृहरि महताब और राजेश रंजन से इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं भी प्राप्त हुई हैं।

''सर्वश्री चन्द्रकांत खैरे, आनंदराव अडसुल और डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदे ने प्रश्न काल को निलंबित करने के तत्काल पश्चात् इस मामले को उठाने की मांग की है।

ये मामले मेरे विचाराधीन हैं और मैं इनके संबंध में निर्णय लूंगी।''

अपराह्न 12.14 बजे

(सभा में व्यवधान के कारण, लोक सभा सोमवार, 25 जुलाई, 2016 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—1763LS(S3)—22-07-2016.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 25 जुलाई, 2016/3 श्रावण, 1938 (शक)

संख्या 162

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

''माननीय सदस्यगण, जैसाकि आप जानते हैं कि 22 जुलाई, 2016 को इस सभा के अनेक सदस्यों ने श्री भगवंत मान, संसद सदस्य द्वारा संसद भवन परिसर की विडियोग्राफी करने एवं इससे संबंधित महत्वपूर्ण फुटेज को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के अनुचित आचरण के द्वारा संसद भवन की सुरक्षा व्यवस्था के गंभीर उल्लंघन का मामला उठाया था। इस संबंध में मैंने भी अपनी गंभीर चिन्ता व्यक्त की थी। संसद लोकतंत्र का पावन स्थल है। हमारी संसद पर वर्ष 2001 में हमला किया गया था और इसकी रक्षा करते हुए 13 सुरक्षाकर्मियों एवं संसदकर्मियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। उक्त हमले के पश्चात् संसद की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई थी एवं संसद की सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु समस्त सुरक्षा उपकरणों, सुरक्षा प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं में आमूल-चूल परिवर्तन किया गया। संसद सदस्य द्वारा संसद की दृश्य-श्रव्य रिकार्डिंग करने एवं इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के इस कृत्य ने संसद की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न कर दिया है। इन कृत्यों के गंभीर सुरक्षा प्रभावों और परिणामों के आलोक में मैंने सभा को यह आश्वासन दिया था कि मैं इस मामले पर विचार करुंगी। मामले की अत्यंत गंभीरता के मद्देनजर मैंने इस पर लोक सभा में राजनीतिक दलों के नेताओं से चर्चा की तथा उन सभी ने मेरे द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की।

मैंने इस घटना की जांच करने एवं इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु एक नौ सदस्यीय जांच समिति का गठन करने का निर्णय लिया है। यह जांच समिति 21 जुलाई, 2016 को श्री भगवंत मान, संसद सदस्य द्वारा संसद भवन संपदा में और संसद भवन के अंदर स्थित उपकरणों की दृश्य-श्रव्य रिकार्डिंग करने और बाद में उनके द्वारा उक्त दृश्य-श्रव्य रिकार्डिंग को सोशल मीडिया पर अपलोड करने के कृत्य से संबंधित एवं इससे उत्पन्न गंभीर सुरक्षा परिणामों और संबंधित पहलुओं की जांच करेगी तथा भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उपयुक्त उपचारात्मक उपायों के लिए सुझाव देगी तथा इस मामले में समुचित कार्रवाई की सिफारिश करेगी। संबंधित सदस्य को 26 जुलाई, 2016 को पूर्वाह्न 10.30 बजे तक इस मामले के सबंध में जांच समिति के समक्ष अपना वक्तव्य अथवा स्पष्टीकरण देने के लिए कहा जाएगा।

जांच समिति निम्नलिखित माननीय सदस्यों से मिलकर बनेगी:—

1. डॉ॰ किरीट सोमैया — सभापति
2. श्री आनंदराव अडसुल
3. श्रीमती मीनाक्षी लेखी
4. श्री भर्तृहरि महताब
5. डॉ॰ (श्रीमती) रत्ना डे (नाग)
6. श्री थोटा नरसिम्हम
7. डॉ॰ सत्यपाल सिंह
8. श्री के॰सी॰ वेणुगोपाल
9. डॉ॰ पी॰ वेणुगोपाल

समिति से अनुरोध किया जाता है कि वह इस मामले की शीघ्र जांच करे और 3 अगस्त, 2016 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। समिति अपनी स्वयं की प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए प्राधिकृत है। समिति का प्रतिवेदन सभा के समक्ष विचार किए जाने हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। मामले की गंभीरता के मद्देनजर, श्री भगवंत मान, संसद सदस्य को सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में निर्णय लिए जाने तक सभा की बैठकों में भाग न लें।''

पूर्वाह्न 11.04 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 101-105 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 106-120 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1151-1380 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) कर्मचारी पेंशन (तीसरा संशोधन) स्कीम, 2016 जो 19 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 533(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) कर्मचारी पेंशन (चौथा संशोधन) स्कीम, 2016 जो 16 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 603(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) कर्मचारी पेंशन (पांचवां संशोधन) स्कीम, 2016 जो 01 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰ का॰ नि॰ 657(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) बिक्को लॉरी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) बिक्को लॉरी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 15 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 1259(अ) जो 30 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट मद कच्चे तेल के संबंध में उत्पाद शुल्क की दर 20 प्रतिशत मूल्यानुसार दर पर होगी।

(दो) का॰आ॰ 1260(अ) जो 30 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 19 अप्रैल, 2012 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 868(अ) को निरस्त किया गया है।

(5) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कंपनियों को पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइप लाइनों को बिछाने, बनाने, प्रचालित करने अथवा उनका विस्तार करने हेतु प्राधिकृत किया जाना) संशोधन विनियम, 2016 जो 30 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ वीकेएस/डीबी/03/पीपीएल में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कंपनियों को शहरी या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण तंत्रों को बिछाने, बनाने, प्रचालित करने अथवा उसका विस्तार करने हेतु प्राधिकृत किया जाना) संशोधन विनियम, 2016 जो 30 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ वीकेएस/डीबी/.03/सीजीडी में प्रकाशित हुए थे।

(6) तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 की धारा 10 के अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (संशोधन) नियम, 2014 जो 06 दिसंबर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 874(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) खनिज (कैप्टिव प्रयोजनों के लिए नीलामी से भिन्न तरीके के माध्यम से प्रदान किए गए खनन पट्टे का अंतरण) नियम, 2016 जो 30 मई, 2016 के

भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 560(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सा॰का॰नि॰ 578(अ) जो 07 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनार्थ सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड को अधिसूचित किया गया है।

(8) बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 28क की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(1) बॉयलर सहायक (संशोधन) नियम, 2016 जो 18 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 528(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर्स (संशोधन) नियम, 2016 जो 18 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 529(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(9) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन कल्चर स्टडीज, दाहंग के वर्ष 2014–2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन कल्चर स्टडीज, दाहंग के वर्ष 2014–2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) नेशनल बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2014–2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2014–2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2014–2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद् (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान), पटना के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद् (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान), पटना के वर्ष 2013–2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) केरल महिला समाख्या सोसाइटी, त्रिवेंद्रम के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केरल महिला समाख्या सोसाइटी, त्रिवेंद्रम के वर्ष 2013–2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, रांची के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, रांची के वर्ष 2013–2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2016–2017 के लिए एमओआईएल लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) वर्ष 2016–2017 के लिए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) वर्ष 2016–2017 के लिए एमएसटीसी लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच हुआ समझौता ज्ञापन।

5. मंत्री द्वारा वक्तव्य

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 121वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

6. अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

(एक) श्री गणेश सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि इस सभा के सदस्य एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के

अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति की पहली बैठक की तारीख से एक वर्ष के कार्यकाल के लिए उक्त समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) श्री गणेश सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति की पहली बैठक की तारीख से एक वर्ष के कार्यकाल के लिए समिति में शामिल होने हेतु अपने में से दस सदस्यों को निर्वाचित करने के लिए सहमत हो तथा समिति के लिए इस प्रकार निर्वाचित किए गए सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7. लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव

(एक) डॉ॰ सत्यपाल सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा सर्वश्री पी॰पी॰ चौधरी और अर्जुन राम मेघवाल को मंत्रिपरिषद् में शामिल किए जाने तथा लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति से 05 जुलाई, 2016 को उनके त्यागपत्र के कारण *उनके स्थान पर* समिति की शेष अवधि के लिए सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार लोक सभा के दो सदस्यों को निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) डॉ॰ सत्यपाल सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा श्री के॰सी॰ त्यागी के राज्य सभा से सेवानिवृत्त होने के कारण रिक्त स्थान पर लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के लिए एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार राज्य सभा के एक सदस्य को निर्वाचित करे तथा संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा द्वारा इस प्रकार निर्वाचित किए गए सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*अपराह्न 12.10 बजे

8. सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) श्री जय प्रकाश नारायण यादव, श्री धर्मेन्द्र यादव और श्री बूरा नरसैय्या गौड ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा क्रीमीलेयर के मानदंड में कथित परिवर्तन किए जाने के कारण संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनर्ह ठहराए गए उम्मीदवारों के बारे में निवेदन किया।

श्री हरीश चंद्र मीना, श्री देवजी एम॰ पटेल, श्री राहुल कस्वां, डॉ॰ मनोज राजोरिया, श्री रवीन्द्र कुमार जेना, श्री राजेश रंजन (पप्पू यादव) सहयोजित हुए।

श्री अनंत कुमार ने उत्तर दिया।

श्री राजनाथ सिंह ने भी उत्तर दिया।

अपराह्न 1.13 बजे

(दो) श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय वायुसेना के एक विमान के लापता होने के बारे में निवेदन किया।

श्री एम॰ के॰ राघवन, श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा और श्री अनुराग सिंह ठाकुर सहयोजित हुए।

श्री अनंत कुमार ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 1.19 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.23 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 2.25 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

(1) श्री ओम प्रकाश यादव द्वारा बिहार के सिवान में दैनिक हिन्दुस्तान समाचार पत्र के ब्यूरो चीफ की हत्या की सीबीआई जांच कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 12.07 बजे से अपराह्न 1.18 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(2) डॉ॰ भोला सिंह द्वारा बेगूसराय संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कांवड़ झील पक्षी अभयारण में और उसके आस-पास खेती करने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री जनार्दन मिश्र द्वारा मध्य प्रदेश के रीवा में आकाशवाणी केन्द्र में नया मीडियम वेब ट्रांसमीटर टावर स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) एडवोकेट (श्री) नरेन्द्र केशव सवाईकर द्वारा बॉम्बे उच्च न्यायालय का नाम बदलकर महाराष्ट्र और गोवा उच्च न्यायालय रखे जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार द्वारा दिव्यांगों को ट्राइसाइकिल योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र बनाने हेतु शारीरिक अक्षमता का प्रतिशत घटाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री अर्जुन लाल मीणा द्वारा राजस्थान के उदयपुर को बी-2 श्रेणी का दर्जा प्रदान किए की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री प्रह्लाद जोशी द्वारा कर्नाटक के धारवाड़ जिले में विभिन्न रेल समपारों पर सड़क उपरिपुल/सड़क अंडरपास बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री सुखवीर सिंह जौनापुरिया द्वारा हजरत निजामुद्दीन और राजस्थान के कोटा के बीच चलने वाली होली डे ट्रेन में सामान्य कोच लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री लक्ष्मण गिलुवा द्वारा झारखंड के सिंहभूम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सोनवा रेलवे स्टेशन पर टाटानगर-एल्लेप्पी एक्सप्रेस (ट्रेन नं॰ 18189/90) का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री रमेन डेका द्वारा असम के दरांग जिले में रेल नेटवर्क की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री रवीन्द्र कुमार राय द्वारा देश की विशेषकर झारखंड के धनबाद, गिरीडीह और हजारीबाग जिलों में कोयला खदानों में बड़े जल निकायों को दोहन करने के लिए विस्तृत योजना बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री रामेश्वर तेली द्वारा असम के डिब्रूगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण सड़कों की स्थिति में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) डॉ॰ उदित राज द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो में कथित कदाचार के संबंध में।

(14) श्री सत्यपाल सिंह द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर उत्तर प्रदेश के संभल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में पशु चिकित्सालय खोले जाने एवं मौजूदा पशु चिकित्सालयों में चिकित्सकों एवं औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्रीमती सावित्री ठाकुर द्वारा मध्य प्रदेश की धार जिले में धामनौड़ और सरदारपुर में एनएच-3 पर गणेशघाट में बाइपास सड़क निर्माण किए जाने और राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रामा सेंटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) डॉ॰ शशि थरूर द्वारा बाढ़ की अभूतपूर्व स्थिति के दौरान राज्यों को सहायता प्रदान करने हेतु 'आपात कोष' बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री राजीव सातव द्वारा विद्यालय शिक्षा में कृषि को अनिवार्य विषय बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री के॰आर॰पी॰ प्रबाकरन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री के॰ परसुरमन द्वारा तमिलनाडु के तंजावुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक कागज मिल स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) प्रो॰ सौगत राय द्वारा माओवादी समस्या का सामना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत ओडिशा को केन्द्रीय सहायता शीघ्र जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(22) श्री चन्द्रकांत खैरे द्वारा मध्यम और छोटे समाचार पत्रों के पक्ष में नई विज्ञापन नीति के संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(23) श्री राममोहन नायडू किंजरापु द्वारा आन्ध्र प्रदेश के किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(24) श्रीमती सुप्रिया सुले द्वारा आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों की दुर्दशा के बारे में।

(25) श्री राजेश रंजन द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.26 बजे

10. सरकारी विधेयक — पारित

प्रौद्योगिक संस्था (संशोधन) विधेयक, 2016

लिया गया समय: 3 घंटे 38 मिनट

श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री गौरव गोगोई
2. श्री प्रह्लाद वेंकटेश जोशी
3. श्री जे॰ जयसिंह त्यागराज नट्टर्जी
4. प्रो॰ सौगत राय
5. श्री रविन्द्र कुमार जेना
6. श्री अरविन्द गणपत सावंत
7. श्री जैदेव गल्ला
8. श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी
9. श्री एम॰ बी॰ राजेश
10. डॉ॰ सत्यपाल सिंह
11. श्री जय प्रकाश नारायण यादव
12. डॉ॰ अरूण कुमार
13. श्री सिराजुद्दीन अजमल
14. प्रो॰ चिन्तामणि मालवीय
15. श्री कौशलेन्द्र कुमार
16. श्री दुष्यंत चौटाला

17. श्री शेर सिंह गुबाया

18. श्री भैरों प्रसाद मिश्र

19. श्री राजेश रंजन (पप्पू यादव)

20. श्री एडवोकेट नरेन्द्र केशव सावईकर

21. प्रो० (डॉ०) सुगत बोस

श्री प्रकाश जावड़ेकर ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 3, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 4, स्वीकृत हुआ।

खंड 5, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 6, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री प्रकाश जावड़ेकर ने विधेयक, यथासंशोधित, को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया गया।

सायं 6.04 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 26 *जुलाई,* 2016 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—1849LS(S3)—25-07-2016.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 26 जुलाई, 2016/4 श्रावण, 1938 (शक)

संख्या 163

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 121—123, 124 (131 के साथ युग्मित) और 125 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 126—130 और 132—140 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1381—1610 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.02 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद्, देहरादून के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद्, देहरादून के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 2161(अ) जो 21 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित कस्टमाइज्ड उर्वरक के विनिर्देशन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 31 मार्च, 2017 तक की अवधि के लिए अधिसूचित किए गए हैं।

(दो) का॰आ॰ 1466(अ) जो 21 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित कस्टमाइज्ड उर्वरक के विनिर्देशन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किए गए हैं।

(6) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2016 का संख्यांक 10)—(अप्रत्यक्ष कर-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर) सिनवेट क्रेडिट स्कीम, राजस्व विभाग।

(दो) मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2016 का संख्यांक 12)—(अनुपालन लेखापरीक्षा) वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालय/विभाग।

(तीन) मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (रेल)—(2016 का संख्यांक 13)।

(चार) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (रेल) (2016 का संख्यांक 14) वर्ष 2010-2011 से 2014-2015 तक की अवधि के लिए भारतीय रेल में उपनगरीय रेलगाड़ी सेवा।

(पांच) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (रेल) (2016 का संख्यांक 16)—(कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा) वर्ष 2009-2010 से 2014-2015 तक की अवधि के लिए लोक ऋण प्रबंध, वित्त मंत्रालय।

(छह) मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) (2016 का संख्यांक 17)—नौसेना और तटरक्षक।

(सात) मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) (2016 का संख्यांक 18)—वायुसेना।

(आठ) मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) (2016 का संख्यांक 19)—थल सेना, आयुध निर्माणी और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम।

(नौ) मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2016 का संख्यांक 20)—(अनुपालन लेखापरीक्षा)—कोयला खानों की ई-नीलामी, कोयला मंत्रालय।

*(7) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) अधिसूचना संख्या 26/2016-के०उ०शु० जो 26 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) अधिसूचना संख्या 27/2016-के०उ०शु० जो 26 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसका आशय (क) खुदरा ग्राहक द्वारा दिए गए आभूषणों का पुन:परिवर्तन, अथवा (ख) खुदरा ग्राहक द्वारा दिए गए कीमती पत्थरों को गढ़ने के द्वारा विनिर्मित तथा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5)

*अपराह्न 2.40 बजे।

के शीर्ष 7113 के अधीन आने वाली आभूषणों की मदों पर आंशिक रूप से केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क में छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) अधिसूचना संख्या 28/2016-के॰उ॰शु॰ जो 26 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 8/2003-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं। तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) अधिसूचना संख्या 29/2016-के॰उ॰शु॰ जो 26 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 मार्च, 2011 की अधिसूचना संख्या 17/2011-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पाँच) अधिसूचना संख्या 33/2016-के॰उ॰शु॰ (एन॰टी॰) जो 26 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत आने वाली सीमा-शुल्क योग्य वस्तुओं के लिए (क) प्रथम विक्रय मूल्य, अर्थात वह मूल्य जिस पर सीमा-शुल्क योग्य वस्तुएं प्रथम बार आभूषणों की वस्तुओं अथवा आभूषण की वस्तुओं के भागों अथवा दोनों के लिए टैरिफ मूल्य के रूप में बेची जाती हैं (उन वस्तुओं को छोड़कर जो खुदरा ग्राहक द्वारा उपलब्ध कराए गए कीमती पत्थरों से विनिर्मित की जाती हैं); (ख) मूल्य जो (i) आभूषणों की ऐसी वस्तुएं बनाने के लिए यथास्थिति, विनिर्माता अथवा प्रधान विनिर्माता द्वारा प्रयोग की गई अतिरिक्त सामग्रियों की लागत है; (ii) खुदरा ग्राहक से, यथास्थिति, विनिर्माता अथवा प्रधान विनिर्माता द्वारा प्रभारित श्रम प्रभार; और (ग) खुदरा ग्राहक द्वारा उपलब्ध कराए गए कीमती पत्थर का मूल्य का योग है, को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) आभूषण की वस्तुएं (शुल्क का संग्रहण) नियम 2016, जो 26 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 34/2016-के॰उ॰शु॰ में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (दूसरा संशोधन) नियम, 2016, जो 26 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ 35/2016-के॰उ॰शु॰ में प्रकाशित हुई थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सेनवेट क्रेडिट (आठवां संशोधन) नियम 2016, जो 26 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ 36/2016-के॰उ॰शु॰ में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) अधिसूचना संख्या 37/2016–के॰उ॰शु॰ जो 26 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय 1 प्रतिशत या 2 प्रतिशत की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की दर से स्वीकृत शुल्कयोग्य सामग्रियों की वापसी के लिए तिमाही विवरणी हेतु एक नया प्ररूप, ईआर–8 उपलब्ध कराना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) अधिसूचना संख्या 38/2016–के॰उ॰शु॰ जो 26 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 26 जून, 2001 की अधिसूचना संख्या 35/2001–के॰उ॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) अधिसूचना संख्या 39/2016–के॰उ॰शु॰ जो 26 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 अगस्त, 2006 की अधिसूचना संख्या 17/2006–के॰उ॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) अधिसूचना संख्या 40/2016–के॰उ॰शु॰ जो 26 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 26 जून, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2006–के॰उ॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

*(8) सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ 43/2016–सी॰शु॰, जो 26 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 मार्च, 2011 की अधिसूचना संख्या 27/2011–सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

4. विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां — कार्य का सारांश

महासचिव ने विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां — कार्य का सारांश (1 सितम्बर, 2014 से 31 अगस्त, 2015 तक) के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक–एक प्रति सभा पटल पर रखी।

5. संसदीय समितियां (वित्तीय और विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों से भिन्न)

महासचिव ने विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां — (वित्तीय और विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों से भिन्न)—कार्य का सारांश (1 जून, 2014 से 31 मई, 2015 तक) के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक–एक प्रति सभा पटल पर रखी।

---

*अपराह्न 2.40 बजे।

6. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया ने कार्य मंत्रणा समिति का तैंतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

7. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति, लोक सभा का प्रतिवेदन

डॉ॰ एम॰ तंबिदुरै ने 'संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना मार्गनिर्देश में नये उपबन्धों के लिए प्रस्ताव' के बारे में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति का 5वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.05 बजे

8. ध्यानाकर्षण

श्री भर्तृहरि महताब ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कथित तौर पर महानदी के ऊपर बैराज परियोजनाओं का कार्य शुरू किए जाने, जिसके परिणामस्वरूप ओडिशा में हीराकुंड बांध में जल प्रवाह प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है, के बारे में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री की ओर से जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री ने इस संबंध में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों का उत्तर दिया।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री ने भी सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों का उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 1.03 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.10 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 2.08 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

(1) मेजर जनरल भुवन चन्द्र खंडूरी, एवीएसएम द्वारा उत्तराखंड में, विशेषकर गढ़वाल

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बीएसएनएल मोबाइल सेवा में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री दद्दन मिश्रा द्वारा उत्तर प्रदेश में आयुष चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री फिरोज़ वरूण गांधी द्वारा कपड़ा क्षेत्र में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्रीमती संतोष अहलावत द्वारा झुनझुनु-सीकर खंड पर रेलगाड़ियों की आगमन-प्रस्थान समय-सारणी पुनर्निर्धारित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री पशुपति नाथ सिंह द्वारा झारखंड के धनबाद में भारतीय जीवन बीमा निगम का मंडल कार्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री श्यामा चरण गुप्त द्वारा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में नैनी स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रम भारत पम्प एंड कम्प्रेशर्स लिमिटेड का पुनरुद्धार किए जाने हेतु समुचितम कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा द्वारा विशेषकर गुजरात के भरूच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र के लिए जिन परिवारों की भूमि अधिगृहीत की गई है, उन्हें कारोबार में हिस्सेदारी दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्रीमती रमा देवी द्वारा गुमशुदा बच्चों की तलाश करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा मध्य प्रदेश के विशेषकर दमोह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत बनी सड़कों को विभाजित करने वाली सड़कों पर अंडर ब्रिज या उपरिपुल बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री विष्णु दयाल राम द्वारा झारखंड के गढ़वा में बाइपास सड़क का निर्माण कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा झारखंड के गांवों में जल और स्वच्छता संबंधी कार्यों के प्रबंधन हेतु नियुक्त की गई जलसहियाओं की सेवाएं नियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री परेश रावल द्वारा गुजरात में सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत विकास कार्यों की निगरानी करने हेतु पर्याप्त संख्या में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) कुमारी सुष्मिता देव द्वारा असम की बराक घाटी में राष्ट्रीय राजमार्गों की खराब स्थिति में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री एम॰आई॰ शनवास द्वारा भारतीय स्टेट बैंक में स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर के विलय किये जाने के प्रस्ताव की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री एस॰पी॰ मुद्दाहनुमे गौड़ा द्वारा भूमि अर्जन के बदले किसानों को पर्याप्त मुआवजा दिलाने के लिए भारतीय ऊर्जा अधिनियम, 2003 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री एम॰ उदय कुमार द्वारा उदय योजना में तमिलनाडु राज्य की भागीदारी के बारे में।

(17) श्री आर॰ गोपालकृष्णन द्वारा श्रीमीनाक्षी अम्मन मंदिर, मदुरै को विश्व दाय सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) डॉ॰ रत्ना डे (नाग) द्वारा पश्चिम बंगाल के खामरगाछी रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज के लिए रैम्प का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्रीमती अपरूपा पोद्दार द्वारा पश्चिम बंगाल के आरामबाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक सैनिक स्कूल खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) डॉ॰ कुलमणि सामल द्वारा ओडिशा के पाराद्वीप में भारतीय तेल निगम लिमिटेड में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) डॉ॰ बूरा नरसैय्या गौड द्वारा विभिन्न न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता के बारे में।

(22) श्री विजय कुमार हांसदाक द्वारा झारखंड के राजमहल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में इस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के राजमहल ओपन कास्ट माइनिंग प्रोजेक्ट में स्थानीय युवकों को नौकरी दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(23) कुंवर हरिवंश सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में बीटीएस टावर और उपस्कर लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(24) श्री दुष्यंत चौटाला द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जंगली जानवरों द्वारा की गई फसलों की बर्बादी को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(25) श्री राजू शेट्टी द्वारा पश्चिम महाराष्ट्र में गुड़ प्रसंस्करण एककों का कलस्टर की स्थापना के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.11 बजे

10. सरकारी विधेयक — पारित

बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016*, राज्य सभा द्वारा यथापारित*

लिया गया समय: 5 घंटे 47 मिनट

श्री बंडारू दत्तात्रेय द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्रीमती रंजीत रंजन
2. डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार
3. श्री गोपालकृष्णन चिन्नाराज
4. श्री कल्याण बनर्जी
5. श्री कलिकेश नारायण सिंह देव
6. श्री विनायक भाऊराव राऊत
7. श्री जैदेव गल्ला
8. श्रीमती कविता कलवकुंतला
9. श्री पी॰के॰ बीजू
10. श्रीमती रेणुका बुत्ता
11. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
12. श्री फिरोज वरुण गांधी
13. श्री अक्षय यादव
14. श्री देवेन्द्र सिंह **उर्फ** भोले सिंह
15. श्री शैलेष (बुलो मंडल) कुमार

16. श्री गोपाल शेट्टी
17. मौलाना बदरुद्दीन अजमल
18. डॉ॰ रवीन्द्र कुमार राय
19. डॉ॰ अरुण कुमार
20. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल
21. श्री दुष्यंत चौटाला
22. श्रीमती रेखा वर्मा
23. श्री ई॰ टी॰ मो॰ बशीर
24. श्री जुगल किशोर शर्मा
25. श्री कौशलेन्द्र कुमार
26. डॉ॰ धर्म वीर गांधी
27. श्री सी॰एन॰ जयदेवन
28. श्री शेर सिंह गुबाया
29. श्री एन॰ के॰ प्रेमचन्द्रन
30. श्री प्रेम दास राय
31. श्री जोस के॰ मणि
32. श्री कोडिकुन्नील सुरेश
33. श्री राजेश रंजन (पप्पू यादव)
34. श्रीमती अपरुपा पोद्दार
35. श्रीमती पी॰के॰ श्रीमथि टीचर
36. श्री के॰ परसुरमन
37. डॉ॰ (श्रीमती) रत्ना डे (नाग)
38. डॉ॰ वाराप्रसाद राव वेलगापल्ली
39. श्री मल्लिकार्जुन खड़गे

श्री बंडारू दत्तात्रेय ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड–वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3 स्वीकृत हुआ।

खंड 4 स्वीकृत हुआ।

खंड 5 से 17 स्वीकृत हुए।

खंड 18 स्वीकृत हुआ।

खंड 19 स्वीकृत हुआ।

खंड 20 से 22 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री बंडारू दत्तात्रेय ने विधेयक, राज्य सभा यथापारित, को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पारित किया गया।

*रात्रि 9.17 बजे

(लोक सभा बुधवार, 27 जुलाई, 2016 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र
महासचिव

*सायं 7.58 बजे से रात्रि 9.17 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—1898LS(S3)—26-07-2016.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 27 जुलाई, 2016/5 श्रावण, 1938 (शक)

संख्या 164

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 141—145 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 146—160 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1611—1840 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.02 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) भू-संपदा (विनियम और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 1 की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 1544(अ) जो 27 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम में उल्लिखित उपबंधों को लागू होने की तारीख 1 मई, 2016 नियत की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 की धारा 48 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 1265(अ) जो 31 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो दिल्ली मेट्रो के कार्यकरण से होने वाली किसी व्यक्ति की मृत्यु अथवा शारीरिक क्षति अथवा किसी संपत्ति की हानि वाली दुर्घटनाओं के संबंध में प्रतिकर के दावे के बारे में न्याय निर्णय करने के प्रयोजनार्थ दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड के लिए दावा आयुक्त के पद का अतिरिक्त प्रभार 3 जुलाई, 2016 तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, श्री सतीश चन्द्र, महाप्रबंधक (विधिक), (दि॰मे॰रे॰का॰) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन को सौंपे जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 673(अ) जो 8 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे—

(एक) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2016 जो 21 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 326(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2016 जो 21 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 327(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) दूसरा संशोधन नियम, 2016 जो 19 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 426(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 2016 जो 29 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 467(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2016 जो 29 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 468(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) संशोधन नियम, 2016 जो 29 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 469(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2016 जो 29 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 470(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) चौथा संशोधन नियम, 2016 जो 7 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 583(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 2016 जो 7 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 584(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (ज्येष्ठता सूची का विनियमन) संशोधन नियम, 2016 जो 10 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 495(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(7) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 74 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय डाकघर (संशोधन) नियम, 2016 जो 28 मई, 2016 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 80 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) शेयर बाज़ार घोटाला और तत्संबंधी विषयों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसरण में की-गई-कार्रवाई संबंधी 26वें प्रगति प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

4. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

डॉ॰ एम॰ तंबिदुरै ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 24वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया

5. प्रस्ताव

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करेंगे:—

"कि यह सभा 26 जुलाई, 2016 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 33वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*अपराह्न 12.04 बजे

6. सदस्य द्वारा निवेदन

श्रीमती रंजीत रंजन ने खेलों में डोप टेस्टिंग के बारे में निवेदन किया।

श्री रवीन्द्र कुमार जेना, डॉ॰ संजय जायसवाल, श्री राजेश रंजन (पप्पू यादव), श्री पी॰के॰ बिजू, मौलाना बदरुद्दीन अज़मल, श्री पी॰ करुणाकरण और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल सहयोजित हुए।

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया ने उत्तर दिया।

#7. सरकारी विधेयक—पारित

लोकपाल और लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2016

---

*अपराह्न 12.04 बजे से अपराह्न 12.56 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।
#अपराह्न 12.16 बजे।

अपराह्न 12.57 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

1. श्री शरद त्रिपाठी द्वारा उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खलीलाबाद–बखीरा–मेहदावल सड़क की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
2. श्री कामाख्या प्रसाद तासा द्वारा असम के जोरहाट में टोकलाई चाय अनुसंधान संस्थान के लिए पर्याप्त में धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
3. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश द्वारा उच्च न्यायालयों में मुकदमों की सुनवाई क्षेत्रीय भाषाओं में कराने की आवश्यकता के बारे में।
4. श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे द्वारा एक राष्ट्रीय नीति बनाकर बालू के अवैध खनन को रोकने की आवश्यकता के बारे में।
5. श्री देवेन्द्र सिंह *उर्फ* भोले सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत सीवर और पानी की पाईप लाइन प्रणाली के खराब निर्माण कार्य की जांच किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
6. श्री रावसाहेब पाटील दानवे द्वारा महाराष्ट्र में जलगांव और सोलापुर के बीच रेल लाइन के निर्माण की आवश्यकता के बारे में।
7. श्री जुगल किशोर शर्मा द्वारा जम्मू और कश्मीर के ऐसे किसानों जिनकी भूमि सीमा पर बाड़ लगाए जाने के कारण अधिगृहीत कर ली गई है, को मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
8. श्री रामस्वरूप शर्मा द्वारा हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत क्षेत्र की समस्याओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक विशेष समूह गठित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
9. श्री भैरों प्रसाद मिश्र द्वारा उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में केन्द्रीय विद्यालय के भवन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
10. श्री सतीश चंद्र दुबे द्वारा बिहार के वाल्मिकी नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28बी के भाग के निर्माण/विकास हेतु पर्यावरणीय मंजूरी दिलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

11. श्री लक्ष्मी नारायण यादव द्वारा विभिन्न छावनी क्षेत्रों के असैनिक क्षेत्रों को निकटवर्ती नगरनिगमों अथवा नगरपालिकाओं के अंतर्गत लाने की आवश्यकता के बारे में।

12. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में एक कृषि अभियांत्रिकी संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

13. श्री भरत सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के बलिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

14. डॉ॰ किरीट सोमैया द्वारा मुम्बई के भांडुप में एक कैंसर अनुसंधान केन्द्र और अस्पताल स्थापित करने के लिए भूमि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

15. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया द्वारा राजस्थान के भीलवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सुवाना के डाकघर को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

16. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन द्वारा समुद्री तट किनारों के साथ-साथ समुद्री दीवार का निर्माण पूरा किए जाने हेतु केरल को सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

17. श्री सी॰ महेंद्रन द्वारा तमिलनाडु में नारियल के पेड़ों को पुनर्जीवित करने और पुन: रोपने की आवश्यकता के बारे में।

18. श्री वी॰ पन्नीरसेलवम द्वारा तमिलनाडु में सलेम इस्पात संयंत्र का विस्तार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

19. श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव द्वारा आन्ध्र प्रदेश के पंचायती राज विभाग के लिए राज्य सरकार को धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

20. श्री पी॰के॰ बिजू द्वारा सऊदी अरब को बायो-मैट्रिक वीजा मुक्त देशों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

21. श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा बिहार को विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

22. श्री बदरुद्दीन अज़मल द्वारा असम में निजी क्षेत्र को 12 ऑयल फील्ड दिए जाने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

23. श्री नव कुमार सरनीया द्वारा असम के कछार समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र हासिल करने में आ रही समस्याओं को हल करने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.58 बजे

9. सरकारी विधेयक—पारित

लोकपाल और लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2016

लिया गया समय: 22 मिनट

डॉ॰ जितेन्द्र सिंह द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव किया गया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

डॉ॰ जितेन्द्र सिंह ने विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री मोहम्मद सलीम

2. श्री कल्याण बनर्जी

3. श्री मल्लिकार्जुन खड़गे

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

(*लोक सभा अपराह्न* 1.20 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.29 *बजे पुन: समवेत हुई।*)

अपराह्न 2.29 बजे

10. सरकारी विधेयक—पारित

बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) संशोधन विधेयक, 2015

लिया गया समय: 3 घंटे 37 मिनट

श्री अरुण जेटली द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री एस॰ पी॰ मुद्दाहनुमे गौड़ा

2. डॉ॰ रमेश पोखरियाल 'निशंक'
3. श्री एम॰ उदयकुमार
4. श्री कल्याण बनर्जी
5. श्री लडू किशोर स्वाइँ
6. डॉ॰ रविन्द्र बाबू
7. श्री शंकर प्रसाद दत्ता
8. श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी
9. श्री वाई॰वी॰ सुब्बा रेड्डी
10. श्री प्रह्लाद सिंह पटेल
11. श्री एन॰ के॰ प्रेमचन्द्रन
12. डॉ॰ उदित राज
13. श्री जय प्रकाश नारायण यादव
14. श्री विनायक भाऊराव राऊत
15. कु॰ सुष्मिता देव
16. श्री प्रेम सिंह चंदूमाजरा
17. श्री कौशलेन्द्र कुमार
18. श्री सी॰एन॰ जयदेवन
19. श्री सी॰के॰ संगमा
20. डॉ॰ बूरा नरसैय्या गौड़
21. प्रो॰ सौगत राय

श्री अरुण जेटली ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3 स्वीकृत हुआ।

खंड 4, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 5 से 7 स्वीकृत हुए।

खंड 8, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 9, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 10 और 11 स्वीकृत हुए।

खंड 1, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री अरुण जेटली ने विधेयक, यथासंशोधित, को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया गया।

सायं 6.06 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 28 *जुलाई,* 2016 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—1926LS(S3)—27-07-2016.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 28 जुलाई, 2016/6 श्रावण, 1938 (शक)

संख्या 165

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 161—165 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 166—180 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1841—2070 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 94 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड (दूसरा संशोधन) नियम, 2015 जो 11 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 956 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड (संशोधन) नियम, 2015 जो 24 अक्टूबर, 2015 के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 200 में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 1771(अ) जो 30 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (गुड़गांव-कोटपुतली-जयपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 1772(अ) जो 30 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (नरवाना से हरियाणा/राजस्थान सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 2091(अ) जो 31 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 (रोहतक-हिसार खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चार) का॰आ॰ 2167(अ) जो 10 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 95 (नया राजमार्ग सं॰ 5) (लुधियाना-चंडीगढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पांच) का॰आ॰ 2562(अ) जो 18 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में लाडोवाल बाईपास, लुधियाना के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छह) का॰आ॰ 1856(अ) जो 10 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 (नया राजमार्ग सं॰ 9)

(हिसार-डबवाली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सात) का॰आ॰ 2086(अ) जो 31 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 (पानीपत-जालंधर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(आठ) का॰आ॰ 2168(अ) जो 10 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 और 95 (नया राजमार्ग सं॰ 5) (लुधियाना-चंडीगढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(नौ) का॰आ॰ 2170(अ) जो 10 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 और 95 (नया राजमार्ग सं॰ 5) (लुधियाना-चंडीगढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दस) का॰आ॰ 2221(अ) जो 14 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 (पानीपत-जालंधर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(ग्यारह) का॰आ॰ 1430(अ) जो 29 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 (नया राजमार्ग सं॰ 9) (हिसार-डबवाली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बारह) का॰आ॰ 1551(अ) जो 11 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 (नया राजमार्ग सं॰ 9) (हिसार-डबवाली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेरह) का॰आ॰ 1858(अ) जो 10 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट, लुधियाना (वेस्ट) को पंजाब राज्य में लुधियाना में एन एच-95 को जोड़ने वाले लाडोवाल बाईपास

को लाडोवाल बीज फार्म से होकर एनएच-1 से जोड़ने वाले चार लेन (आंशिक पहुंच नियंत्रित) के निर्माण हेतु प्राधिकृत किया गया है।

(चौदह) का॰आ॰ 2066(अ) जो 29 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उसमें उल्लिखित अधिकारियों को पंजाब राज्य में राजमार्ग सं॰ 344ए के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(पन्द्रह) का॰आ॰ 2224(अ) जो 14 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 152 (कैथल-नरवाना खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सोलह) का॰आ॰ 2620(अ) जो 4 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 1 (जालंधर-अमृतसर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्रह) का॰आ॰ 1860(अ) जो 10 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उसमें उल्लिखित जिला राजस्व अधिकारी, गुडगांव और जिला राजस्व अधिकारी, मेवात हरियाणा को हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71बी (नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 919 खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(अठारह) का॰आ॰ 2286(अ) जो 21 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो जिला राजस्व अधिकारी, भिवानी हरियाणा को हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 709 विस्तार लोहारू रोड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(उन्नीस) का॰आ॰ 1423(अ) जो 29 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर, 2008 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 2575(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बीस) का॰आ॰ 1547(अ) जो 11 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 (हिसार–डबवाली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्कीस) का॰आ॰ 2172(अ) जो 10 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (अंबाला–कैथल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बाईस) का॰आ॰ 2424(अ) जो 4 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (अंबाला–कैथल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेईस) का॰आ॰ 659(अ) जो 4 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 15 मार्च, 2005 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 349(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौबीस) का॰आ॰ 660(अ) जो 4 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 8 मार्च, 2013 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 594(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पच्चीस) का॰आ॰ 1200(अ) जो 22 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 1 जुलाई, 2015 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 1789(अ) को निरस्त किया गया है।

(छब्बीस) का॰आ॰ 1201(अ) जो 22 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 1 जुलाई, 2015 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 1788(अ) को निरस्त किया गया है।

(सत्ताईस) का॰आ॰ 1283(अ) जो 1 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 758 (राजसमंद–गंगापुर–भीलवाड़ा–लाडपुरा) के प्रयोक्ताओं से उदग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।

(अट्ठाईस) का॰आ॰ 1469(अ) जो 21 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 31 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 231) के प्रयोक्ताओं से उदग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।

(उनतीस) का॰आ॰ 1470(अ) जो 21 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 25 के प्रयोक्ताओं से उदग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।

(4) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवदेन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवदेन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अधीन अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 610(अ) जो 17 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा नागर विमानन मंत्रालय की अनुसूची 5 (विमान प्रचालन की सुरक्षा हेतु ऊंचाई संबंधी प्रतिबंध) नियम 2015 में कतिपय संशोधन किए गए है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री आनन्दराव अडसुल ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय (भेषज विभाग) के 'फार्मा सेक्टर के लिए क्लस्टर' विकास कार्यक्रम-(सीडीपी-पीएस) विषय पर समिति का 24वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्रीमती अंजू बाला ने रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्रवाई विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) की 'वर्ष 2015-16 की अनुदानों की मांगों' के बारे में 7वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2015-16) के 14वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण।

(2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (भेषज विभाग) के 'जन औषधि योजना' विषय पर समिति के चौथे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2015-16) के 15वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण।

(3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की 'वर्ष 2015-16 की अनुदानों की मांगों' के बारे में 5वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2015-16) के 16वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण।

(4) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (भेषज विभाग) के 'राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर का कार्यकरण)' विषय पर समिति के 12वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2015-16) के 18वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण।

अपराह्न 12.04 बजे

6. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री ने श्री नरसिंह यादव, पहलवान के संबंध में एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघन के बारे में एक वक्तव्य दिया।

@(2) रक्षा मंत्री ने 22 जुलाई, 2016 को भारतीय वायु सेना के लापता हुए एएन–32 वायुयान के बारे में एक वक्तव्य दिया।

#(3) ग्रामीण विकास मंत्री; पंचायती राज मंत्री; तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री ने जिला स्तर पर जिला समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की स्थापना के बारे में एक वक्तव्य दिया।

*अपराह्न 12.09 बजे

7. सदस्यों द्वारा निवेदन

श्री ज्योतिरादित्य एम॰ सिंधिया, प्रो॰ सौगत राय, श्री मुलायम सिंह यादव और श्री भगत सिंह कोश्यारी ने उत्तराखंड में भारतीय क्षेत्र में चीनी सेना द्वारा की गई कथित घुसपैठ के बारे में निवेदन किया।

श्री रविन्द्र कुमार जेना, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल और श्री शरद त्रिपाठी सहयोजित हुए।

श्री अनंत कुमार ने उत्तर दिया।

$श्री मनोहर पर्रिकर ने भी उत्तर दिया।

(*लोक सभा अपराह्न* 1.30 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.31 *बजे पुन: समवेत हुई*।)

अपराह्न 2.31 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

1. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा बिहार में मांझी और उत्तर प्रदेश में अयोध्या के बीच सरयू नदी में जलमार्ग विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

@अपराह्न 2.32 बजे से अपराह्न 2.38 बजे

#अपराह्न 3.10 बजे

*अपराह्न 12.09 बजे से अपराह्न 1.30 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

$अपराह्न 2.38 बजे

2. श्री जॉर्ज बेकर द्वारा पश्चिम बंगाल में बंद पड़ी जूट मिलों को पुन: चालू कर उन्हें पीपीपी मॉडल के तहत कपड़ा एककों में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

3. डॉ॰ रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा उत्तराखंड में वन्यजीवों द्वारा फसल को नष्ट किए जाने से रोकने हेतु उपचारात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

4. श्रीमती रीति पाठक द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

5. श्री अजय मिश्रा टेनी द्वारा उत्तर प्रदेश में कृषि शिक्षा और अनुसंधान को प्रोत्साहन देने हेतु राज्य सरकार को उपयुक्त उपाय करने के लिए निर्देश दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

6. कुमारी शोभा कारान्दलाजे द्वारा कर्नाटक में सुपारी उत्पादकों के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में।

7. कर्नल सोनाराम चौधरी द्वारा राजस्थान में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में दूषित जल प्रवाहित किए जाने के बारे में।

8. श्री बीरेन्द्र कुमार चौधरी द्वारा बिहार के मधुबनी जिले में जयनगर में नवनिर्मित चिकित्सालय को आरंभ करने हेतु बिहार सरकार को निर्देश दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

9. श्री नारणभाई काछड़िया द्वारा गुजरात के अमरेली जिले में एक केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

10. श्री सुमेधानन्द सरस्वती द्वारा देश में ऊंटों की संख्या में आ रही कमी को रोकने हेतु पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

11. श्री कौशल किशोर द्वारा सरकारी कार्यालयों विशेषकर बीएसएनएल में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के बारे में।

12. श्री विक्रम उसेंडी द्वारा छत्तीसगढ़ के कांकेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खनन कार्यकलापों के कारण संकटग्रस्त लोगों को मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

13. श्री मुकेश राजपूत द्वारा फर्रूखाबाद और नई दिल्ली/हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच एक दैनिक रेलगाड़ी आरम्भ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

14. श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा बिहार–झारखंड सीमा पर कुटकु बांध में लोहे का फाटक लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

15. श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह द्वारा उत्तराखंड के टिहरी गढवाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में टिहरी बांध झील के कारण प्रभावित लोगों का पुनर्वास किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

16. श्रीमती रंजीत रंजन द्वारा बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के उपबंधों में विसंगतियों को दूर किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

17. श्री बी॰एन॰ चन्द्रप्पा द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत राज्य सूचना आयुक्त की सेवा के निबंधन और शर्तों के बारे में।

18. श्री एंटो एन्टोनी द्वारा केरल के पथानामथिट्टा में एक पासपोर्ट सेवा केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

19. डॉ॰ जे॰ जयवर्धन द्वारा नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड (एनडीआरएफ) के विद्यमान मानदंडों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

20. श्री सी॰ गोपालकृष्णन द्वारा तमिलनाडु में मुल्लाई पेरियार बांध के सुदृढ़ीकरण कार्यों को आरम्भ करने हेतु शीघ्र मंजूरी प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

21. श्री बलभद्र माझी द्वारा ओडिशा को 'विशेष श्रेणी' के राज्य का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

22. श्री गजानन कीर्तिकर द्वारा भारतीय खाद्य निगम के बोरीबली डिपो की समस्याओं के बारे में।

23. एडवोकेट जोएस जॉर्ज द्वारा प्रारूप राष्ट्रीय वन नीति के बारे में।

अपराह्न 2.39 बजे

9. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय: 4 घंटे 40 मिनट

श्री पी॰ करुणाकरन ने मूल्यवृद्धि के बारे में एक चर्चा उठायी।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया।

1. श्री राहुल गांधी
2. श्री हुक्मदेव नारायण यादव
3. श्री पी॰ कुमार
4. श्री अरूण जेटली
5. प्रो॰ सौगत राय
6. श्री भर्तृहरि महताब
*7. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन
*8. श्री बी॰एन॰ चन्द्रप्पा
*9. श्री सी॰एन॰ जयदेवन
*10. श्री ए॰टी॰ (नाना) पाटील
*11. डॉ॰ (श्रीमती) रत्ना डे (नाग)
*12. डॉ॰ किरीट सोमैया
*13. श्री के॰ अशोक कुमार
*14. श्री जी॰ हरी
*15. श्री ए॰ अरुणमणिदेवन
16. श्री तारिक अनवर
*17. श्रीमती रेणुका बुत्ता
*18. डॉ॰ (प्रो॰) प्रसन्ना कुमार पाटसाणी
*19. डॉ॰ कुलमणि सामल
*20. श्री वी॰ सत्यबामा
*21. श्री आर॰ ध्रुवनारायण
*22. डॉ॰ सुनील बलीराम गायकवाड़
*23. श्री एस॰पी॰ मुद्दाहनुमे गौड़ाः
24. श्री जैदेव गल्ला

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*25. श्री नलिन कुमार कटील

*26. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले

*27. श्री पी॰ नागराजन

28. श्री ए॰पी॰ जितेन्द्र रेड्डी

*29. श्री पी॰आर॰ सुंदरम

*30. श्री गणेश सिंह

*31. श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी

32. श्री एम॰ राजमोहन रेड्डी

*33. डॉ॰ थोकचोम मेन्या

34. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे

*35. प्रो॰ (डॉ॰) ममताज संघमिता

*36. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय

37. श्रीमती पूनम महाजन

*38. श्रीमती के॰ मरगथम

*39. श्रीमती वासंती एम॰

*40. श्री डी॰के॰ सुरेश

*41. श्री विजयकुमार एस॰आर॰

*42. श्री अपरूपा पोद्दार

43. श्री धर्मेन्द्र यादव

44. श्री जय प्रकाश नारायण यादव

*45. श्री निशिकांत दूबे

46. श्री उदय प्रताप सिंह

*47. श्री चामाकुरा मल्ला रेड्डी

*48. श्रीमती आर॰ वनरोजा

49. श्री कौशलेन्द्र कुमार

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

50. श्रीमती रीति पाठक

*51. श्री शरद त्रिपाठी

52. प्रो॰ के॰वी॰ थॉमस

*53. श्री राजीव शंकरराव सातव

*54. श्री भैरों प्रसाद मिश्र

55. श्री दुष्यंत चौटाला

*56. श्री पी॰के॰ बिजू

57. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन

58. श्री राजेश रंजन (पप्पू यादव)

59. श्री असादुद्दीन ओवैसी

*60. श्री अजय मिश्रा (टेनी)

*61. श्रीमती नीलम सोनकर

*62. श्रीमती पूनमबेन माडम

*63. श्रीमती प्रियंका सिंह रावत

*64. श्री जगदम्बिका पाल

*65. श्री विनायक भाऊरापव राऊत

श्री रामविलास पासवान ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा पूरी हुई।

सायं 7.25 बजे

(*लोक सभा शुक्रवार,* 29 *जुलाई,* 2016 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।*)

अनूप मिश्र
महासचिव

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

GMGIPMRND—1967LS(S3)—28-07-2016.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 29 जुलाई, 2016/7 श्रावण, 1938 (शक)

संख्या 166

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 181—185 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 186—200 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2071—2300 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 462 की उपधारा (2) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) प्रारूप अधिसूचना सं॰ एफ॰ सं॰ 3/1/2015-सीएल-एक जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 462(1) के अधीन विनिर्दिष्ट आईएफएससी असूचीबद्ध सरकारी कंपनियां जो एसईजेड नियम, 2006 (इसमें इसके पश्चात् ''विनिर्दिष्ट आईएफएसीसी पब्लिक कंपनी'' कहा गया है) के साथ

पठित विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 के अधीन गठित अनुमोदित बहु-सेवा विशेष आर्थिक जोन में अवस्थित अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र से भारतीय रिजर्व बैंक अथवा भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अथवा भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण द्वारा ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस प्राप्त हैं, के लिए छूट/उपांतरण का उपबंध किया गया है।

(दो) प्रारूप अधिसूचना सं॰ एफ॰ सं॰ 3/1/2015-सीएल-एक जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 462(1) के अधीन विनिर्दिष्ट आईएफएससी प्राइवेट कंपनियां जो एसईजेड नियम, 2006 (इसमें इसके पश्चात् "विनिर्दिष्ट आईएफएसीसी प्राइवेट कंपनी" कहा गया है) के साथ पठित विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 के अधीन गठित अनुमोदित बहु-सेवा विशेष आर्थिक जोन में अवस्थित अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र से भारतीय रिजर्व बैंक अथवा भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अथवा भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण द्वारा ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस प्राप्त है, के लिए छूट/उपांतरण का उपबंध किया गया है।

(2) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 40 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) फरवरी, 2016 की अधिसूचना सं॰ आईसीएसआई सं॰ 1 जो 5 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो दिनांक 4 फरवरी, 2016 से श्री अशोक कुमार दीक्षित के स्थान पर सुश्री मीनाक्षी गुप्ता, संयुक्त सचिव, निदेशक (अनुशासन) के रूप में पदाभिहित के अधीन भारतीय कंपनी सचिव संस्थान में अनुशासनिक निदेशालय की स्थापना किये जाने के बारे में है।

(दो) अप्रैल, 2016 की अधिसूचना सं॰ आईसीएसआई सं॰ 1, जो 5 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो दिनांक 4 फरवरी, 2016 से सुश्री मीनाक्षी गुप्ता, संयुक्त सचिव, जिन्हें संस्थान के परिषद द्वारा इसे प्राप्त किसी सूचना या शिकायत के संबंध में अन्वेषण करने के लिए निदेशक (अनुशासन) के रूप में पदाभिहित किया गया है जिसकी अधिसूचना 4 फरवरी, 2016 की अधिसूचना सं॰ आईसीएसआई सं॰ 1 फरवरी, 2016 में जारी की गई थी, के अधीन भारतीय कंपनी सचिव संस्थान में, उसमें उल्लिखित, अनुशासनिक निदेशालय की स्थापना किये जाने के बारे में है।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 539(अ) जो 23 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 13 जुलाई, 2007 की अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 490(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(3) चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 1634(अ) जो 4 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो दिसम्बर, 2015 में भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान परिषद में निर्वाचन के मामले में अधिनियम की धारा 10क के अंतर्गत उत्पन्न विवादों का अभिनिश्चय करने हेतु उसमें उल्लिखित व्यक्तियों से मिलकर एक अधिकरण की स्थापना किए जाने के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 1940(अ) जो 2 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 मई, 2016 की अधिसूचना सं॰का॰आ॰ 1634(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(4) लागत और संकर्म लेखाकार अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 541(अ) जो 24 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 3 अक्टूबर, 2007 की अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 1693(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(दो) सा॰का॰नि॰ 498(अ) जो 11 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 15 अक्तूबर, 2015 की अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 787(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(5) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 की धारा 33 की उपधारा (2) के अधीन नये चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना (नये अथवा उच्चतर अध्ययन अथवा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम खोला जाना और चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रवेश क्षमता में वृद्धि) संशोधन विनियम, 2016 जो 13 मई, 2016 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एफ सं॰ 12-6/2001-सीसीएच (भाग-दो) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

(6) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन निम्नलिखित सूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 443(अ) जो 26 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं॰ 12/2012-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 448(अ) जो 5 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 1 मार्च, 2011 की अधिसूचना सं॰ 1/2011-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 489(अ) जो 5 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 1 मार्च, 2011 की अधिसूचना सं॰ 2/2011-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 490(अ) जो 5 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं॰ 12/2012-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 491(अ) जो 5 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2008 की अधिसूचना सं॰ 49/2008-के॰उ॰(एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 492(अ) जो 5 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित चार अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सेनवेट क्रेडिट (छठा संशोधन) नियम, 2016 जो 14 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 512(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 525(अ) जो 17 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं॰ 12/2012–के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सेनवेट क्रेडिट (सातवां संशोधन) नियम, 2016 जो 26 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 555(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰का॰नि॰ 599(अ) जो 14 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 25 मार्च, 1986 की अधिसूचना सं॰ 214/86–के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा॰का॰नि॰ 600(अ) जो 14 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 16 मार्च, 1995 की अधिसूचना सं॰ 67/95–के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा॰का॰नि॰ 679(अ) जो 11 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं॰ 12/2012–के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(7) सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 159 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 444(अ) जो 26 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं॰ 12/2012–सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 485(अ) जो 5 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं॰ 12/2012–सी॰शु में कतिपय संशोधन किए गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 486(अ) जो 5 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं॰ 21/2012–सी॰शु में कतिपय संशोधन किए गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 487(अ) जो 5 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 1 मार्च, 2005 की अधिसूचना सं॰ 24/2005–सी॰शु में कतिपय संशोधन किए गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 526(अ) जो 17 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना सं॰ 39/96–सी॰शु में कतिपय संशोधन किए गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 535(अ) जो 19 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 13 अगस्त, 2008 की अधिसूचना सं॰ 96/2008–सी॰शु में कतिपय संशोधन किए गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 548(अ) जो 26 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 1 मार्च, 2011 की अधिसूचना सं॰ 27/2011–सी॰शु में कतिपय संशोधन किए गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 607(अ) जो 16 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 1 मार्च, 2011 की अधिसूचना सं॰ 27/2011–सी॰शु में कतिपय संशोधन किए गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 611(अ) जो 17 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं॰ 12/2012–सी॰शु में कतिपय संशोधन किए गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰का॰नि॰ 615(अ) जो 21 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 13 अगस्त, 2008 की अधिसूचना

सं॰ 96/2008-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा॰का॰नि॰ 616(अ) जो 21 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 1 जुलाई, 2011 की अधिसूचना सं॰ 53/2011-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा॰का॰नि॰ 671(अ) जो 6 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 1 मार्च, 2011 की अधिसूचना सं॰ 27/2011-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा॰का॰नि॰ 678(अ) जो 11 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं॰ 12/2012-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(8) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उप-धारा (4) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 538(अ) जो 20 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 20 जून, 2012 की अधिसूचना सं॰ 25/2012-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 550(अ) जो 26 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 20 जून, 2012 की अधिसूचना सं॰ 30/2012-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 551(अ) जो 26 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ऐसी कराधेय सेवा को उन पर उदग्रहणीय संपूर्ण कृषि कल्याण उपकर से, जिन्हें या तो संपूर्ण सेवा कर से छूट प्राप्त है अथवा जिन पर सेवा कर उदग्रहणीय नहीं है, से छूट प्रदान करना और यह उपबंध करना है कि कृषि कल्याण उपकर की संगणना करने के लिए उपशमन लागू होंगे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 552(अ) जो 26 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 20 जून, 2012 की अधिसूचना सं॰ 39/2012–सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पाँच) सा॰का॰नि॰ 553(अ) जो 26 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 1 जुलाई, 2013 की अधिसूचना सं॰ 12/2013–सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2016 जो 26 मई, 2016 के भारत के राजपत्र की अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 554(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 575(अ) जो 6 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 20 जून, 2012 की अधिसूचना सं॰ 25/2012–सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सेवा कर (चौथा संशोधन) नियम, 2016 जो 6 जून, 2016 के भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 576(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 577(अ) जो 6 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 20 जून, 2012 की अधिसूचना सं॰ 30/2012–सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰का॰नि॰ 623(अ) जो 23 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ऐसी कराधेय सेवाओं को संपूर्ण कृषि कल्याण उपकर से छूट प्रदान करना है जिनके संबंध में सेवा का बीजक 31 मई, 2016 को अथवा उससे पूर्व जारी किया गया है, बशर्ते कि सेवा का प्रावधान 31 मई, 2016 को या उससे पूर्व पूर्ण हो चुका हो, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा॰का॰नि॰ 624(अ) जो 23 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारत के बाहर से भारत में सीमा शुल्क स्टेशन तक आने वाले जलयान द्वारा माल की ढुलाई पर कर योग्य सेवाओं को छूट प्रदान करना है जिसके संबंध में सेवा का बीजक 31 मई, 2016 को अथवा उससे पूर्व जारी किया गया है, बशर्ते कि सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 30 के अधीन आयात सूची अथवा सुपुर्द किए जाने के लिए अपेक्षित आयात रिपोर्ट की सीमा शुल्क प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जाए, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा॰का॰नि॰ 510(अ) जो 14 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो वित्त अधिनियम, 2010 के अधीन जारी अथवा दिए गए नियमों, अधिसूचनाओं, अनुदेशों, निर्णयों अथवा आदेश में 'स्वच्छ ऊर्जा उपकर' के किसी संदर्भ को 'स्वच्छ पर्यावरण उपकर' से संबंधित माने जाने का निदेश दिए जाने के बारे में है।

(9) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9ए की उप-धारा (7) के अधीन निम्नलिखित सूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 696(अ) जो 14 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 4 मई, 2012 की अधिसूचना सं॰ 23/2012-सीमा शुल्क (एडीडी) में कतिपय संशोधन किये गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 697(अ) जो 14 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 8 मार्च, 2016 की अधिसूचना सं॰ 06/2016-सीमा शुल्क (एडीडी) में कतिपय संशोधन किये गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 698(अ) जो 14 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय इंडोनेशिया और वियतनाम में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित '6 एमएम और उससे अधिक की मोटाई वाले सादा मध्यम घनत्व वाले फाइबर बोर्ड' के आयात पर पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चियात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 442(अ) जो 26 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन शुल्क एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा किये गये अन्वेषण के अंतिम निष्कर्ष के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य और इजराइल में उद्‌भूत अथवा वहां से निर्यातित 'सुमेलित डिजिटल सोपानतंत्र प्रसारण उपस्कर' के आयात पर इसे अध्यारोपित किये जाने की तारीख अर्थात् 26 अप्रैल, 2016 से पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 477(अ) जो 2 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन शुल्क एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा किये गये अन्वेषण के अंतिम निष्कर्ष के अनुसरण में चीनी ताइपेई, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम में उद्‌भूत अथवा वहां से निर्यातित 'मेजरिंग टेप्स' के आयात पर इसे अध्यारोपित किये जाने की तारीख अर्थात् 2 मई, 2016 से पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 509(अ) जो 13 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन शुल्क एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा किये गये अन्वेषण के अंतिम निष्कर्ष के अनुसरण में वियतनाम और थाईलैंड में उद्‌भूत अथवा वहां से निर्यातित 'डिजिटल वार्साटाइल डिस्क-रिकार्डडेबल (डीवीडी-आर)' के आयात पर इसे अध्यारोपित किये जान की तारीख अर्थात् 13 मई, 2016 से पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 527(अ) जो 17 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पदभिहित प्राधिकारी, प्रतिपाटन शुल्क एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशक द्वारा किये गये अन्वेषण के आरंभिक निष्कर्ष के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य में उद्‌भूत अथवा वहां से निर्यातित 'सीमलेस ट्यूब, पाइप और लौह, मिश्र धातु अथवा गैर मिश्र धातु, इस्पात के पाइप और खोखले प्रोफाइल (ढलवां लोहा और स्टेनलैस स्टील से भिन्न), चाहे वे गर्म करके तैयार किये गये हों अथवा ठंडे लाये गये हों अथवा 355.6 एमएम या 14 ओडी से अनधिक बाह्य डायामीटर के कोल्ड रोल्ड

हो, के आयात पर विहित रूप में छह माह की अवधि के लिए अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 534(अ) जो 19 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 30 अगस्त, 2012 की अधिसूचना सं॰ 40/2012–सीमा शुल्क (एडीडी) में कतिपय संशोधन किये गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 557(अ) जो 27 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सभी प्रकार के 'कुमेरिन' पर पांच वर्ष की अवधि के लिए (जब तक कि इससे पूर्व प्रतिसंहृत, अधिक्रमित अथवा संशोधित नहीं हों) प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰का॰नि॰ 565(अ) जो 31 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य या रूस में उदभूत अथवा वहां से निर्यातित सभी प्रकार के 'डाईक्लोरोमिथेन (मिथिलीन क्लोराइड), पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाये जाने की तारीख से अर्थात् 8 दिसम्बर, 2015 से पांच वर्ष की अवधि के लिए (जब तक कि इससे पूर्व प्रतिसंहृत, अधिक्रमित अथवा संशोधित नहीं हों), प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा॰का॰नि॰ 566(अ) जो 31 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय संयुक्त राज्य अमरीका और चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'मिथाइल एसीटोएसिटेट' पर पांच वर्ष की अवधि के लिए (जब तक कि इससे पूर्व प्रतिसंहृत, अधिक्रमित अथवा संशोधित नहीं हों), निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा॰का॰नि॰ 574(अ) जो 6 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन शुल्क एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा किये गये सनसेट समीक्षा अन्वेषण के अंतिम निष्कर्ष के अनुसरण में रूस में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'पोलीटेट्रा फलूरोइथिलीन (पीटीएफई)' पांच वर्ष की अवधि के लिए (जब तक कि इससे पूर्व प्रतिसंहृत, अधिक्रमित

अथवा संशोधित नहीं हों) निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा॰का॰नि॰ 581(अ) जो 7 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मैसर्स फ्रोशन सनसुई रोमांटिक्स सिरामिक कं॰ लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य (उत्पादक सं॰ 1) और ह्यूयान रोमांटिक सिरामिक कं॰ लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य (उत्पादक सं॰ 2) के द्वारा विनिर्मित और फोशन बियाण्ड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं॰ लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य (शिपर) और थाई इम्पेक्स मलेशिया एसडीएन बीएचडी, मलेशिया (निर्यातक) के द्वारा भारत को निर्यात किए जाने वाले विट्रीफाइड/पोर्सिलीन टायल्स, जिनको अधिसूचना सं॰ 35/2012–सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 10 जुलाई, 2012 के अनुसरण में अनंतिम आकलन के अंतर्गत रखा गया था, के सभी प्रकार के आयात के अनंतिम आकलन को अंतिम रूप प्रदान करना है। इसे अधिसूचना सं॰ 15/25/2011–डीजीएडी, दिनांक 28 मार्च, 2016 के द्वारा प्रतिपाटन एवं सहायक शुल्क महानिदेशालय द्वारा किए गए न्यू शिपर रिव्यू के अंतिम निष्कर्षों के परिणामस्वरूप अंतिम रूप दिया जा रहा है और अधिसूचना सं॰ 82/2008–सीमा शुल्क, दिनांक 27 जून, 2008 के द्वारा निर्धारित दर के अनुसार किया जाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा॰का॰नि॰ 582(अ) जो 7 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 10 जुलाई, 2012 की अधिसूचना सं॰ 35/2012–सी॰शु॰ (एडीडी) को निरस्त करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा॰का॰नि॰ 596(अ) जो 13 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित पेंटाइरीथ्रीटॉल के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है, उसको 1 वर्ष की और अवधि अर्थात् 13 जून, 2017, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, प्रतिपाटन एवं सहायक शुल्क महानिदेशालय के द्वारा कराई गई सनसेट रिव्यू जांच के परिणाम आने तक जारी रखना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा॰का॰नि॰ 622(अ) जो 23 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कोरिया गणराज्य, ताईवान, चीन, जनवादी गणराज्य, मलेशिया, थाईलैण्ड और यूरोपीय संघ में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित 'पोलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) पेस्ट रेसिन' पर 5 वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा॰का॰नि॰ 664(अ) जो 5 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया और ताईवान में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित भिन्न रूपों के मीडियम क्वालिटी टेरिफथेलिक एसिड और क्वालीफाइड टेरिफथेलिक एसिड समेत क्वालीफाइल टेरिफथेलिक एसिड पर, इस पर लगाए गए अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क की तारीख अर्थात् 10 दिसम्बर, 2015 से 5 वर्ष की अवधि के लिए (10 जून, 2016 से 4 जुलाई, 2016 तक की अवधि को छोड़कर) निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा॰का॰नि॰ 685(अ) जो 5 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 8 मार्च, 2016 की अधिसूचना सं॰ 7/2016-सी॰शु॰ (एडीडी) में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा॰का॰नि॰ 675(अ) जो 11 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन शुल्क एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा किये गये प्रतिपाटन अन्वेषण के अंतिम निष्कर्ष के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित 1, 1,1,2-टट्राफ्लूओरोईथेन या आर-134ए पर 5 वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा॰का॰नि॰ 676(अ) जो 11 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 15 जुलाई, 2011 की अधिसूचना सं॰ 61/2011-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(10) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 38 और वित्त अधिनियम 1994 की धारा 94 के अधीन अधिसूचना

सं॰ सा॰का॰नि॰ 630(अ) जो 24 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 नवम्बर, 2015 की अधिसूचना सं॰ 110/2015-सी॰शु॰(एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(11) वित्त विधेयक, 2016 के खण्ड 159 के उप-खण्ड (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 5क के अधीन अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 511(अ) जो 14 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2016 की अधिसूचना सं॰ 1/2016-अवसंरचना उपकर में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(12) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गुडगांव के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गुडगांव के वर्ष 2014-15 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) वर्ष 2015-2016 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा बाजार से उधार के विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) भारत डायनामिक्स लिमिटेड और रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(i) कि राज्य सभा 28 जुलाई, 2016 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 3 मई, 2016 को पारित प्रतीकरात्मक वनरोपण निधि विधेयक, 2016 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(ii) कि राज्य सभा 28 जुलाई, 2016 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 27 जुलाई, 2016 को पारित लोकपाल और लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2016 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

5. भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2015 संबंधी संयुक्त समिति के लिए लोक सभा और राज्य सभा के सदस्यों की नियुक्ति के बारे में प्रस्ताव

(i) श्री गणेश सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा श्री संजय धोत्रे, श्री पंकज चौधरी और श्रीमती संतोष अहलावत को भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2015 संबंधी संयुक्त समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए, श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया, श्री पी॰पी॰ चौधरी और श्रीमती कृष्णा राज, जिन्होंने मंत्रियों के रूप में अपनी नियुक्ति हो जाने पर संयुक्त समिति से त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर नियुक्त करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(ii) श्री गणेश सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2015 संबंधी संयुक्त समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए राज्य सभा के तीन सदस्यों को, राज्य सभा से सेवानिवृत्त श्री जयराम रमेश, श्री शरद यादव और श्री राजपाल सिंह सैनी के स्थान पर नियुक्त करने के लिए सहमत हो और संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नियुक्त सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6. मंत्री द्वारा वक्तव्य

वित्त मंत्री ने राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.05 बजे

7. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने 01 अगस्त, 2016 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

*अपराह्न 12.12 बजे

8. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश में कथित रूप से गोमांस ले जाने के कारण दो मुसलमान महिलाओं पर हमला करने और उन्हें अपशब्द कहने की खबर के बारे में निवेदन किया।

(श्री मोहम्मद बदरुद्दोजा खान, श्री शंकर प्रसाद दत्ता, डॉ॰ प्रो॰ संघमिता ममताज, श्री डी॰के॰ सिंह, श्री थोकचोम मेन्या, श्री पी॰ कुमार, श्री पी॰के॰ बिजू और श्री राजेश रंजन सहयोजित हुए।

श्री राजनाथ सिंह ने उत्तर दिया।

(*लोक सभा अपराह्न,* 1.29 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.39 *बजे पुनः समवेत हुई*।)

अपराह्न 2.39 बजे

9. अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष पीठ ने निम्नलिखित घोषणा की:—

''माननीय सदस्यों, माननीय अध्यक्ष से अनुरोध किया गया है कि आज की कार्य सूची की क्रम संख्या 19 में सम्मिलित सहित आधे घण्टे की चर्चा जिसे आज अपराह्न 5.30 बजे लिया जाना था, को 3 अगस्त, 2016 के लिए स्थगित किया जाए।

माननीय अध्यक्ष ने अनुरोध को स्वीकार किया।

अत:, अब आधे घण्टे की चर्चा 3 अगस्त, 2016 को ली जाएगी।''

अपराह्न 2.40 बजे

10. सरकारी संकल्प

आबंटित समय	:	2 घंटे
लिया गया समय	:	50 मिनट
शेष समय	:	1 घंटे 10 मिनट

श्री सुरेश प्रभु ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

''कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को संदेय लाभांश की दर की समीक्षा करने

*अपराह्न 12.12 बजे से 1.29 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

तथा अन्य अनुषंगी मामलों की समीक्षा करने के लिए नियुक्त रेल अभिसमय समिति (2014) के पहले प्रतिवेदन, जो 22 दिसम्बर, 2015 को संसद की दोनों सभाओं में प्रस्तुत किया गया था, के पैरा 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 में अंतर्विष्ट सिफारिशों का अनुमोदन करती है।''

निम्नलिखित सदस्य संकल्प पर बोले:—

1. श्री के॰एच॰ मुनियप्पा
2. श्री गणेश सिंह
3. श्री के॰ अशोक कुमार

चर्चा पुरी नहीं हुई।

अपराह्न 3.30 बजे

11. प्रस्ताव

श्री रत्न लाल कटारिया ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा क्रमश: 11 मई, 20 और 27 जुलाई, 2016 को प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 22वें, 23वें और 24वें प्रतिवेदनों से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.31 बजे

12. गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प—विचाराधीन

श्री एन॰ के॰ प्रेमचन्द्रन द्वारा 11 दिसम्बर, 2015 को पेश किए गए निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा:—

''यह सभा सरकार से निम्नलिखित के संबंध में तत्काल कदम उठाने का आग्रह करती है—

(एक) कर्मचारी भविष्य निधि पेंशनभोगियों को संराशीकरण और पूंजी लौटाने के लाभ पुन:स्थापित करना;

(दो) कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन के लाभार्थियों को सेवानिवृत्ति के ठीक पहले बारह माह के औसत वेतन के आधार पर पेंशन प्रदान करना;

(तीन) कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के अनुसार पेंशनभोगियों से संराशीकृत पेंशन की पूरी राशि के कार्यान्वयन के बाद पेंशनभोगियों को पूरी पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करना;

(चार) कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के अधीन तीन हजार रुपए प्रति माह तक न्यूनतम पेंशन बढ़ाना;

(पांच) लगभग सत्ताईस हजार करोड़ रुपए की अदावाकृत भविष्य निधि राशि का उपयोग करके पेंशनभोगियों के लिए आवास योजना सहित कल्याण योजनाएं लागू करना;

(छह) विगत अनुभव के आधार पर संपूर्ण कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 का संशोधन करना; और

(सात) कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 का विभिन्न अन्य क्षेत्रों तक विस्तार।''

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. प्रो॰ सौगत राय
2. श्री रमेश बिधूड़ी
3. श्री जगदम्बिका पाल
4. श्री शंकर प्रसाद दत्ता
5. श्री निशिकांत दुबे (भाषण अपूर्ण रहा)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.00 बजे

(*लोक सभा सोमवार,* 01 *अगस्त,* 2016 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।*)

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—2018LS(S3)—29-07-2016.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 01 अगस्त, 2016/10 श्रावण, 1938 (शक)

संख्या 167

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 201—206 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 207—220 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2301—2530 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.02 बजे

3. सभा पटल पर रखे जाने वाल पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, वर्धा के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, वर्धा के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन, नागपुर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन, नागपुर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कंपनियों को शहरी अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस संवितरण नेटवर्क बिछाने, बनाने, प्रचालित करने अथवा उनका विस्तार करने हेतु प्राधिकृत किया जाना) संशोधन विनियम, 2016 जो 27 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएनजीआरबी/सीजीडी/संशोधन/2015/2/एससी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (असंतुलन प्रबंधन सेवाएं) विनियम, 2016, जो 29 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएनजीआरबी/एम(सी)/48 में प्रकाशित हुए थे।

(6) बामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18छ के अंतर्गत न्यूजप्रिंट नियंत्रण (संशोधन) नियम, 2016, जो 9 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1690(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम, 2008 की धारा 33 की उप-धारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2313(अ) जो 5 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो थोक मूल्य सूचकांक की प्रस्तावित नई श्रृंखलाओं के लिए संगठित विनिर्माण इकाइयों से मासिक मूल्य के संग्रहण के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 38 की उप-धारा (4) के अंतर्गत संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन) नियम, 2016, जो 1 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 391 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

(10) (एक) सर्व शिक्षा अभियान सोसाइटी यू॰टी॰ चंडीगढ़, चंडीगढ़ के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान सोसाइटी यू॰टी॰ चंडीगढ़, चंडीगढ़ के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(1) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(2) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

4. अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)

श्री अरुण जेटली ने वर्ष 2016-2017 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

*अपराह्न 12.09 बजे

5. सदस्य द्वारा निवेदन

प्रो॰ के॰वी॰ थॉमस ने भारी संख्या में सऊदी अरब के जेद्दा में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता के बारे में निवेदन किया।

श्री शंकर प्रसाद दत्ता, श्री मोहम्मद बदरुद्दोजा खान, श्री राजेश रंजन (पप्पू यादव), श्री रवीन्द्र कुमार जेना, श्री कोडिकुन्नील सुरेश, श्री एंटो एन्टोनी, श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन, श्री पी॰ करुणाकरन और श्री के॰सी॰ वेणुगोपाल सहयोजित हुए।

श्रीमती सुषमा स्वराज ने उत्तर दिया।

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.41 *बजे स्थगित हुई और*
अपराह्न 2.04 *बजे पुन: समवेत हुई।)*

अपराह्न 2.04 बजे

6. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार निम्नलिखित सदस्यों के नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

(1) श्री महेश गिरी ने जानवरों के प्रति क्रूरता के अपराधों के लिए दंड और जुर्माने में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री दुष्यंत सिंह ने राजस्थान में क्रिटिकल टाइगर हैबिटैट (सीटीएच) में गांवों के पुनर्व्यवस्थापन के बारे में।

(3) श्रीमती रेखा वर्मा ने शारदा नदी के प्रवाह को विनियमित करने के लिए उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में रतौली गांव के साथ-साथ तटबंध का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री कंवर सिंह तंवर ने क्षेत्र में आसन्न बाढ़ के खतरे का निवारण करने हेतु उत्तर प्रदेश में अमरोहा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गंगा नदी पर तटबंध का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 12.05 बजे से 12.41 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(5) श्री श्यामा चरण गुप्त ने तेंदु पत्ते के औषधीय/आयुर्वेदिक गुणों का पता लगाने हेतु अनुसंधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री चिन्तामन नावाशा वांगा ने प्रस्तावित वडोदरा–मुम्बई एक्सप्रेस हाइवे को निरस्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री छेदी पासवान ने रोहतास उद्योग पुंज, डालमिया नगर, रोहतास, बिहार में बड़ा उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री राहुल कस्वां ने समझौते के अनुसार रावी और व्यास नदियों का जल राजस्थान को उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्रीमती रक्षाताई खाडसे ने घटिया औषधियों पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री पशुपति नाथ सिंह ने झारखंड के धनबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उच्च शक्ति का रेडियो स्टेशन स्थापित किए जाने की आवश्कता के बारे में।

(11) श्री शरद त्रिपाठी ने उत्तर प्रदेश के संतकबीर नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बालिका विद्यालयों के भवन निर्माण में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार पारदर्शिता तथा कार्य के मानक सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री देवेन्द्र सिंह भोले ने उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के अधीन सभी पात्र व्यक्तियों को आवास उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री गोपाल शेट्टी ने महाराष्ट्र में पिछड़े वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण किए जाने हेतु बकाया निधियां अवमुक्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में कांडी मास्टर प्लान के क्रियान्वयन के बारे में।

(15) श्री रवनीत सिंह ने पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 का कड़ाई से कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्रीमती आर॰ वनरोजा ने तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 की मरम्मत कराए जाने के बारे में।

(17) श्री एस॰आर॰ विजय कुमार ने चेन्नै मेट्रो रेल परियोजना के बारे में।

(18) प्रो॰ सौगत राय ने केन्द्रीय गृह मंत्री के पाकिस्तान के दौरे के बारे में।

(19) श्री तापस पाल ने पश्चिम बंगाल में जलंगी नदी में बांग्लादेश की ओर से प्रदूषित जल डालने पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) श्री चन्द्रकांत खैरे ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सम्भाजी नगर में विविध भारती रेडियो सेवा आरम्भ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव ने अवंती, आन्ध्र प्रदेश में गंगावरम पत्तन पर शीघ्र ही एलएनजी टर्मिनल विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(22) श्री पी॰के॰ बिजू ने देश में जीवन रक्षक औषधियों के मूल्य निर्धारण के बारे में।

(23) श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा ने अनिवासी भारतीयों के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में।

अपराह्न 2.04 बजे

7. सरकारी विधेयक — पारित

प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन और ऋणवसूली विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 2016, *संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित*

लिया गया समय: 4 घण्टे 13 मिनट

श्री अरुण जेटली ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया—

1. कु॰ सुष्मिता देव
2. श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत
3. डा॰ पी॰ वेणुगोपाल
4. प्रो॰ सौगत राय
5. श्री तथागत सत्पथी
6. श्री आनंदराव अडसूल
7. श्री जैदेव गल्ला

8. श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी
9. श्री मोहम्मद बदरुद्दोजा खान
10. श्रीमती मेकापति राजामोहन रेड्डी
11. श्री जगदम्बिका पाल
12. श्री शैलेश कुमार (बुलो मंडल)
13. श्री कौशलेन्द्र कुमार
14. श्री एम॰ आई॰ शनवास
15. श्री दुष्यंत चौटाला
16. श्री हुकुम सिंह
17. श्री प्रेम सिंह चंदूमाजरा
18. श्री एन॰ के॰ प्रेमचन्द्रन
19. श्री सी॰ एन॰ जयदेवन
20. श्री गोपाल शेट्टी
21. श्री एडवोकेट जोएस जॉर्ज
22. श्री गजानन कीर्तिकर
23. श्री राजेश रंजन (पप्पू यादव)

श्री अरुण जेटली ने वाद-विवाद का उत्तर दिया

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3 स्वीकृत हुआ।

खंड 4 स्वीकृत हुआ।

खंड 5 स्वीकृत हुआ।

खंड 6 और 7 स्वीकृत हुए।

खंड 8 और 9 स्वीकृत हुए।

खंड 10 से 16 स्वीकृत हुए।

खंड 17 स्वीकृत हुआ।

खंड 18 से 20 स्वीकृत हुए।

खंड 21 से 26 स्वीकृत हुए।

खंड 27 स्वीकृत हुआ।

खंड 28 और 29 स्वीकृत हुए।

खंड 30 और 31 स्वीकृत हुए।

खंड 32 स्वीकृत हुआ।

खंड 33 से 37 स्वीकृत हुए।

खंड 38 से 43 स्वीकृत हुए।

खंड 44 स्वीकृत हुआ।

पहली अनुसूची ओर दूसरी अनुसूची स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अरुण जेटली ने संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

सायं 6.17 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 02 अगस्त, 2016 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—2057LS(S3)—01-08-2016.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 2 अगस्त, 2016/11 श्रावण, 1938 (शक)

संख्या 168

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 221—226 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 227—240 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2531—2760 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.05 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 35 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतन और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) (संशोधन) नियम, 2016, जो 22 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 437(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (पद्धति और प्रक्रिया) (संशोधन) नियम, 2016, जो 22 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1478(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतन और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) (संशोधन) नियम, 2016, जो 05 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 484(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 की धारा 7क के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 605(अ), जो 16 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 04 नवंबर, 2008 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 768(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) सा॰का॰नि॰ 606(अ), जो 16 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा एक स्कीम अर्थात् पर्यावरण राहत निधि स्कीम, 2008 को अधिसूचित किया गया है।

(5) आयुध अधिनियम, 1958 की धारा 44 की उपधारा (3) के अंतर्गत आयुध नियम, 2016, जो 15 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 701(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 2052(अ), जो 09 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(3) के अंतर्गत विशेष न्यायालय अर्थात कोर्ट ऑफ जूडिशियल कमिश्नर, रांची में एक न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 2053(अ), जो 09 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(3) के अंतर्गत विशेष न्यायालय अर्थात प्रथम अपर जिला और सत्र न्यायाधीश के न्यायालय, जगदलपुर में एक न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 2054(अ), जो 09 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(3) के अंतर्गत विशेष न्यायालय अर्थात कोर्ट ऑफ सीनियर मोस्ट एडीशनल सेसन्स जज, मोहाली में एक न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में है।

(चार) का॰आ॰ 2055(अ), जो 09 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(3) के अंतर्गत विशेष न्यायालय अर्थात् कोर्ट ऑफ सीनियर मोस्ट एडीशनल सेसन्स जज, पंचकुला, में एक न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में है।

(पांच) का॰आ॰ 2056(अ), जो 09 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(3) के अंतर्गत विशेष न्यायालय अर्थात् कोर्ट ऑफ सीनियर मोस्ट एडीशनल सेसन्स जज, चंडीगढ़ में एक न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में है।

(7) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (4) और (5) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1697(अ), जो 10 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मुकेश मित्तल, संयुक्त सचिव (आईएस-II) की अभिहित प्राधिकारी के रूप में नियुक्ति के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) ओडिशा एग्रो-इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2013-14 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ओडिशा एग्रो-इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 2013-14 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) पंजाब एग्रो-इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2014-15 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पंजाब एग्रो-इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 2014-15 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2013-14 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 2013-14 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) केरल एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, तिरूवनंतपुरम के वर्ष 2011-12 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केरल एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, तिरूवनंतपुरम का वर्ष 2011-12 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 2162(अ) जो 21 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से 31 मार्च, 2017 तक की अवधि के लिए वाणिज्यिक परीक्षणों के संचालन हेतु विनिर्मित किए जाने वाले, उसमें उल्लिखित

उर्वरकों के संबंध में विनिर्देशनों को अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4(घ) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) पादप संघरोध (भारत में आयात की विनियमन) (छठा संशोधन) आदेश, 2016, जो 19 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2453(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) पादप संघरोध (भारत में आयात की विनियमन) (पांचवां संशोधन) आदेश, 2016, जो 30 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2248(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) पादप संघरोध (भारत में आयात की विनियमन) (चौथा संशोधन) आदेश, 2016, जो 23 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2192(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(चार) पादप संघरोध (भारत में आयात की विनियमन) (तीसरा संशोधन) आदेश, 2016, जो 25 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1873(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(12) सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 की धारा 155 की उप-धारा (3) के अंतर्गत सशस्त्र सीमा बल समूह 'ग' योधक (अराजपत्रित) परा-पशु-चिकित्सा पद नियुक्ति (संशोधन) नियम, 2016, जो 07 मई, 2016 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 64 में प्रकाशित हुए थे, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

(13) (एक) नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन—संघ सरकार (सिविल) (2016 के संख्यांक 11)—अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियां, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

(16) केन्द्रीय भंडागारण निगम तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

*(17) निम्नलिखित पुस्तिकाओं की एक प्रति (केवल अंग्रेजी संस्करण)—

1 रेल हमसफर सप्ताह (26 मई, 2016 से 01 जून, 2016)

2. सुहाना सफर—पैसेंजर सर्विसेस इनिशिएटिव्स

3. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस—फ्रेट सेग्मेंट इनिसिएटिव्स

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी है:—

(एक) कि राज्य सभा 1 अगस्त, 2016 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 19 जुलाई, 2016 को पारित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2016 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(दो) कि राज्य सभा 1 अगस्त, 2016 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 19 जुलाई, 2016 को पारित दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2016 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(तीन) कि राज्य सभा 1 अगस्त, 2016 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 21 जुलाई, 2016 को पारित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2016 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

---

*सायं 5.25 बजे।

5. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

डॉ॰ शशि थरूर ने 'भारतीय विदेश सेवा संवर्ग के लिए संघ लोक सेवा आयोग की एक पृथक परीक्षा की आवश्यकता, कैरियर के बीच में सेवा में प्रवेश और सेवा कालीन प्रशिक्षण तथा प्रबोधन सहित आईएफएस संवर्ग के लिए भर्ती, संरचना और क्षमता-निर्माण' के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति (2015-16) का बारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. श्रम संबंधी स्थायी समिति के की-गई कार्रवाही संबंधी विवरण

डॉ॰ वीरेंद्र कुमार ने श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेः—

(1) 'राउरकेला इस्पात संयंत्र के दिवंगत कर्मचारियों के विधिक उत्तराधिकारियों का कल्याण-एक मामला अध्ययन, के बारे में सैंतीसवें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के दसवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(2) श्रम और रोजगार मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2015-16)' के बारे में समिति के सातवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में उनके चौदहवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(3) 'रेडियो कश्मीर, सीबीएस रेडियो कश्मीर और दूरदर्शन केंद्र, श्रीनगर के नैमित्तिक कामगारों/कलाकारों का नियमितीकरण' के बारे में समिति के चौथे प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/ सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में उनके बारहवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/ सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

7. जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री हुकुम सिंह ने 'जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनःस्थापन-जल निकायों पर अतिक्रण तथा अतिक्रमणों को हटाए जाने तथा जल निकायों के पुनःस्थापन हेतु अपेक्षित आवश्यक कदम' विषय पर जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2015-2016) का दसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री हुकुम सिंह ने श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में छठे प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(2) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में सातवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

9. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डीएआरई), की अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य रखा।

(2) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री ने ज्योति खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'मेगा फूड पार्क' के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

(3) रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य (हिन्दी और अंग्रेजी प्रति) सभा पटल पर रखे:—

(i) रक्षा मंत्रालय से संबंधित सामान्य रक्षा बजट (मांग सं॰ 20, 21 और 27) की अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(ii) रक्षा मंत्रालय से संबंधित थल सेना (मांग सं॰ 22) की अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(iii) रक्षा मंत्रालय से संबंधित नौसेना और वायु सेना (मांग सं॰ 23 और 24) की अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(iv) रक्षा मंत्रालय से संबंधित आयुध निर्माणियां और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (मांग सं॰ 25 और 26) की अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

अपराह्न 12.08 बजे

10. सरकारी विधयेक—पुर:स्थापित

उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2016

श्री थावर चंद गहलोत ने विधेयक पुर:स्थापित किए जाने की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन ने विधेयक पुर:स्थापित किए जाने का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण की मांग की। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने सदस्य द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर दिए।

अध्यक्ष ने श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन द्वारा उठाए गए बिन्दुओं पर टिप्पणी@ की।

तत्पश्चात प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुर:स्थापित किया गया।

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.15 *बजे स्थगित हुई और* 12.30 *बजे पुन:समवेत हुई।)*

(व्यवधान जारी रहने के कारण लोक सभा अपराह्न 12.31 *बजे स्थगित हुई और* 12.47 *बजे पुन:समवेत हुई।)*

*अपराह्न 12.47 बजे

(लोक सभा अपराह्न 1.35 *बजे स्थगित हुई और* 2.37 *बजे पुन:समवेत हुई।)*

@ब्यौरे के लिए कृपया इस दिन का वाद-विवाद देखिए।

*अपराह्न 12.47 बजे से 01.35 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

अपराह्न 2.37 बजे

11. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न, मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

1. श्री अशोक महादेवराव नेते द्वारा महाराष्ट्र के गढ़चिरौली, चिमूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

2. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा द्वारा गुजरात के दाहोद, छोटा उदयपुर, नर्मदा और भरूच जिलों में सिंचाई सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

3. श्री चन्द्र प्रकाश जोशी द्वारा राजस्थान के धार्मिक स्थलों को जोड़ने हेतु सड़कों के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

4. डॉ॰ किरिट पी॰ सोलंकी द्वारा गुजरात के बंदरगाहों में सुरक्षा बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

5. कर्नल सोनाराम चौधरी द्वारा राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक सैनिक विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

6. श्री थुपस्तान छेवांग द्वारा लद्दाख में पूगा भू-तापीय परियोजना को पुन: शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

7. श्री लल्लू सिंह द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश में तमसा, तिलोदकी गंगा, कल्याणी और बिसुही नदियों का जीर्णोद्धार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

8. श्री नाना पटोले द्वारा देश भर में आकाशवाणी केन्द्रों में संविदागत आधार पर कार्यरत आर्टिस्टों और कम्पियर्स की सेवाओं को नियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

9. कुँवर भारतेन्द्र सिंह द्वारा देश में मेडिकल कॉलेजों में विनिर्दिष्ट शिक्षा मानक को बनाए रखे जाने को सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में।

10. श्री देवजी एम॰ पटेल द्वारा बीकानेर-दादर सुपरफास्ट (ट्रेन नं॰ 12489/90) को दैनिक रूप से चलाए जाने तथा इसमें पर्याप्त संख्या में बर्थ प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

11. मेजर जनरल भुवन चन्द्र खंडूड़ी, एवीएसएम द्वारा उत्तराखंड राज्य विशेष रूप से गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोगों के पलायन को रोकने के लिए उत्तराखंड को एक विशेष पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

12. डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार द्वारा देश में गायों के लिए चारागाह उपलब्ध कराने की आवश्यकता के बारे में।

13. श्री अजय निषाद द्वारा बिहार के मुजफ्फरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत स्मार्ट कार्ड जारी करने तथा इनका नवीकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

14. श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा झारखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना पुन: शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

15. श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा मध्य प्रदेश में चीता अभयारण्य के अधिसूचित क्षेत्र में जल निकायों का सृजन तथा अभयारण्य क्षेत्रों में जल संग्रह सुविधाओं को प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

16. कुमारी सुष्मिता देव द्वारा असम में बाढ़ प्रबंधन की आवश्यकता के बारे में।

17. श्री गौरव गोगोई द्वारा असम में 12 मार्जिनल ऑयल फील्ड की नीलामी के लिए निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

18. श्री एम॰के॰ राघवन द्वारा केरल के कोझिकोड और मालापुरम जिलों में डिप्थीरिया को फैलने से रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।

19. डॉ॰ पी॰ वेणुगोपाल द्वारा मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत तमिलनाडु को निधियां जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

20. श्री पी॰ कुमार द्वारा तमिलनाडु के तिरुचुरापल्ली स्थित ईएसआई के शाखा कार्यालय का उन्नयन उप-क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

21. श्रीमती अपरूपा पोद्दार द्वारा पश्चिम बंगाल में आरामबाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शिल्पकारों के लिए प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्रों को स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

22. डॉ॰ ममताज संघमिता द्वारा हावड़ा–नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का दैनिक ठहराव बर्धमान में प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

23. डॉ॰ प्रभास कुमार सिंह द्वारा पश्चिमी ओडिशा के लोगों को राजधानी ट्रेन सेवा की सुविधा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

24. श्री प्रतापराव जाधव द्वारा महाराष्ट्र के बुलढाणा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

25. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु द्वारा आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत मंडल परिषद और जिला परिषद स्थानीय निकायों के लिए निधियां जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

26. श्री बी॰ विनोद कुमार द्वारा मजीठिया मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

27. श्री राधेश्याम बिश्वास द्वारा असम के करीमगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अकबरपुर में कृषि महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

28. श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा बिहार में नदियों को आपस में जोड़े जाने संबंधी परियोजनाओं के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने तथा इस प्रयोजनार्थ पर्याप्त धन राशि भी प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

29. श्री राजेश रंजन द्वारा बिहार में सभी बीपीएल परिवारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न और केरोसीन प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

30. एडवोकेट जोएस जॉर्ज द्वारा केरल के इलायची, कॉफी और रबड़ उत्पादकों के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में।

अपराह्न 2.38 बजे

12. सरकारी संकल्प — स्वीकृत

लिया गया समय : 3 घंटे 51 मिनट

श्री सुरेश प्रभु द्वारा 29 जुलाई, 2016 को पेश किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा:—

''कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को संदेय लाभांश की दर की समीक्षा करने तथा अन्य अनुषंगी मामलों की समीक्षा करने के लिए नियुक्त रेल अभिसमय समिति (2014) के पहले प्रतिवेदन, जो 22 दिसम्बर, 2015 को संसद की दोनों सभाओं में प्रस्तुत किया गया था, के पैरा 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 में अंतर्विष्ट सिफारिशों का अनुमोदन करती है।''

निम्नलिखित सदस्यों ने संकल्प पर विचार व्यक्त किए:—

1. श्री दिनेश त्रिवेदी
2. श्री बलभद्र मांझी
3. श्री अरविन्द गणपत सावंत
4. श्री पी॰ करुणाकरन
5. श्री शरद त्रिपाठी
6. डॉ॰ वाराप्रसाद राव वेलगापल्ली
7. श्री शेर सिंह गुबाया
8. श्री नानाभाऊ फाल्गुनराव पटोले
9. श्री दुष्यंत चौटाला
10. श्रीमती वी॰ सत्यबामा
11. श्री राजीव शंकरराव सातव
12. श्री धर्मेन्द्र यादव
13. श्रीमती संतोष अहलावत
14. श्री जय प्रकाश नारायण यादव

15. डॉ॰ अरुण कुमार

16. श्री मुकेश राजपूत

17. श्री कौशलेन्द्र कुमार

18. श्री सुधीर गुप्ता

19. श्री गौरव गोगोई

20. श्री राजेश रंजन (पप्पू यादव)

21. श्री के॰ परसुरमन

22. श्री ए॰पी॰ जितेन्द्र रेड्डी

23. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय

श्री सुरेश प्रभु ने संकल्प का उत्तर दिया।

तत्पश्चात् संकल्प स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.39 बजे

13. आधे घंटे की चर्चा

श्री दुष्यंत चौटाला ने 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)' के बारे में तारांकित प्रश्न सं॰ 61 के संबंध में ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा 21.07.2016 को दिए गए उत्तर से उत्पन्न बिंदुओं पर चर्चा उठायी।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने चर्चा का उत्तर दिया।

सायं 6.29 बजे

(लोक सभा बुधवार, 3 अगस्त, 2016 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—2107LS(S3)—02-08-2016.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 3 अगस्त, 2016/12 श्रावण, 1938 (शक)

संख्या 169

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 241—245 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 246—260 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2761—2990 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

> ''माननीय सदस्यों जैसा कि आपको याद होगा, 25 जुलाई, 2016 को मैंने श्री भगवंत मान, संसद सदस्य द्वारा संसद भवन परिसर की विडियोग्राफी करने और महत्वपूर्ण फुटेज को सोशल मीडिया पर डालने के अनुचित आचरण द्वारा संसद भवन की सुरक्षा के गंभीर उल्लंघन की घटना की जांच करने हेतु एक नौ सदस्यीय जांच समिति के गठन के संबंध में सभा में घोषणा की थी। समिति से अनुरोध किया गया था कि वह अपना प्रतिवेदन 3 अगस्त, 2016 तक प्रस्तुत कर दें।

चूंकि, मुझे जांच समिति के माननीय सभापति डॉ॰ किरीट सोमैया से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए समिति के सदस्यों ने एकमत से यह राय दी है कि समिति को सौंपे गए काम के साथ न्याय करने के लिए उन्हें कुछ और समय चाहिए क्योंकि कुछ और साक्षियों का साक्ष्य लिया जाना है तथा कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की गहराई से जांच की जानी है। इसलिए, सभापति ने दो हफ्ते का और समय बढ़ाने की मांग की है।

बताए गए आधार और कारणों पर उचित विचार करने के पश्चात् मैंने 4 अगस्त, 2016 से दो हफ्तों का समय बढ़ाए जाने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है।

जैसा कि मैंने पहले टिप्पणी की थी, मामले की गंभीरता को देखते हुए श्री भगवंत मान, संसद सदस्य को पुन: सलाह दी जाती है कि जब तक मामले पर कोई निर्णय नहीं ले लिया जाता है तब तक सभा की बैठकों में भाग न लें।''

अपराह्न 12.03 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड तथा शहरी विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 57 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 2479(अ), जो 21 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा प्रतीकों (विज्ञापन पट्ट) का नियंत्रण और बाह्य प्रदर्शन संरचनाओं के बारे में दिल्ली के लिए एकीकृत भवन उपविधियां, 2016 की उपविधि 9.2.5 का संशोधन किया गया है तथा उपविधियां दिल्ली विकास प्राधिकरण की अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों पर लागू होंगी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2013-14 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रेलवे में भर्ती और पदोन्नति श्रेणियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने में हुई प्रगति के बारे में प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) इंडियन रेलवे वेलफेयर आर्गनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन रेलवे वेलफेयर आर्गनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 30 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) रेल दावा अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2015, जो 17 सितंबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 711(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) रेल दावा अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2016, जो 28 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 464(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) रेल दावा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन नियम, 2016, जो 12 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 500(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(14) उपर्युक्त (13) की मद संख्या (एक) और (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) काउंसिल ऑफ सांइटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) काउंसिल ऑफ सांइटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) काउंसिल ऑफ सांइटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) काउंसिल ऑफ सांइटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) काउंसिल ऑफ सांइटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) काउंसिल ऑफ सांइटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा 2 अगस्त को हुई अपनी बैठक में 25 जुलाई 2016 को पारित प्रौद्योगिक संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2016 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

6. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

डॉ॰ एम॰ तंबिदुरै ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का पच्चीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का प्रतिवेदन

प्रो॰ ए॰एस॰आर॰ नायक ने सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का पांचवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ सत्यपाल सिंह ने लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का छठा, सातवां और आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्री वाई॰एस॰ चौधरी ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) दिया:—

(1) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 257वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई कार्रवाई के बारे में समिति के 276वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 281वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

*अपराह्न 12.06 बजे

10. सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) श्री विनायक राऊत ने अंग्रेजों के समय के मुम्बई-गोवा राजमार्ग पुल के ढहने के बारे में निवेदन किया।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री अरविन्द सावंत, श्री राजन बाबूराव विचारे, डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदे, श्री श्रीरंग अप्पा बारणे, श्री प्रताप राव जाधव और श्री राजीव शंकरराव सातव सहयोजित हुए।

श्री राजनाथ सिंह ने उत्तर दिया।

अपराह्न 1.13 बजे

(दो) श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने डॉ॰ भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर उनसे संबंधित साहित्य के पुन:मुद्रण के बारे में निवेदन किया।

श्री अनंत कुमार ने उत्तर दिया।

(*लोक सभा अपराह्न 1.17 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.23 बजे पुन: समवेत हुई।*)

अपराह्न 2.23 बजे

11. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्ष के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

(1) श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी द्वारा देश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कर्मियों के मानदेय को बढ़ाए जाने और उनकी सेवा शर्तों तथा उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं में सुधार लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 12.06 बजे से अपराह्न 1.17 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(2) श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा बोकारो थर्मल, झारखंड में ओवर ब्रिज का निर्माण निर्दिष्ट मानदंडों और मानकों के अनुसार सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री आलोक संजर द्वारा एम्स, भोपाल में डॉक्टरों की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति सुनिश्चित करने और संस्थान में रोगियों के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्रीमती रीती पाठक द्वारा मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में एक कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री राम प्रसाद सरमा द्वारा पाकिस्तान और तिब्बत में अल्पसंख्यक समुदायों के मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन के बारे में।

(6) श्री रोड़मल नागर द्वारा रामगंज मण्डी–भोपाल रेल लाइन परियोजना में तेजी लाने और इस उद्देश्य हेतु निधियां भी उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) योगी आदित्यनाथ द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में प्रति वर्ष आने वाली बाढ़ को रोकने हेतु उपयुक्त उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री ओम बिरला द्वारा राजस्थान के कोटा विमानपत्तन से नियमित विमान सेवा आरम्भ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री बी॰ श्रीरामुलु द्वारा जल संरक्षण हेतु पुराने कुंओं और जलाशयों का पुनरुद्धार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह द्वारा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री धाम मंदिर की संरक्षा सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री जनक राम द्वारा विदेशों में मरने वाले भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर को वापस लाने संबंधी प्रक्रिया को सरल बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री निशिकान्त दुबे द्वारा झारखंड के देवघर में एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री बिष्णु पद राय द्वारा अंडमान एंड निकोबार द्वीपसमूह आयुर्विज्ञान संस्थान में सुपर स्पेशलिस्ट्स की नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री मुकेश राजपूत द्वारा उत्तर प्रदेश में फर्रूखाबाद नगर को पर्यटक केन्द्र के रूप में घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री राजवीर सिंह (राजू भैया) द्वारा उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री एस॰पी॰ मुद्दाहनुमे गौड़ा द्वारा कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 206 को चार लेन का बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री के॰एन॰ रामचन्द्रन द्वारा तमिलनाडु में तिरुसुलम रेलवे स्टेशन पर लम्बी दूरी की गाड़ियों का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) डॉ॰ के॰ कामराज द्वारा तमिलनाडु के कल्लाकुरिची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में निर्बाध दूरभाष सेवाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री दशरथ तिर्की द्वारा पश्चिम बंगाल में सांसद आदर्श ग्राम योजना, नया 20 सूत्री कार्यक्रम, कौशल विकास योजना और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत आवंटन बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) श्रीमती प्रतिमा मण्डल द्वारा पश्चिम बंगाल के जयनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कुलतली प्रखंड में रेल सेवाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) डॉ॰ प्रसन्न कुमार पाटसाणी द्वारा ओडिशा में पाइका विद्रोह को मान्यता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(22) डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदे द्वारा निर्माण कर्मियों के कल्याण हेतु कल्याण उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(23) श्री जैदेव गल्ला द्वारा आन्ध्र प्रदेश के गुंटूर में लम्बित रेल परियोजनाओं को पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(24) श्री मोहम्मद बदरुद्दोजा खान द्वारा पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले में एक नई भूमि सीमा शुल्क सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(25) श्री वाई॰वी॰ सुब्बा रेड्डी द्वारा आन्ध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में दो केन्द्रीय विद्यालयों को शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(26) श्री राम कुमार शर्मा द्वारा देश में रोजगार अवसरों को बढ़ाने हेतु श्रमोन्मुखी स्वदेशी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(27) श्री प्रेम दास राई द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 की बुरी स्थिति के बारे में।

अपराह्न 2.24 बजे

12. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय: 3 घंटे 47 मिनट

उपाध्यक्ष ने सभा को सूचित किया कि श्री रत्न लाल कटारिया, जिन्हें संधारणीय विकास लक्ष्यों के बारे में नियम 193 के अधीन चर्चा प्रारंभ करनी थी, ने अध्यक्ष से अनुरोध किया था कि उनकी ओर से कुंवर भारतेन्द्र सिंह को चर्चा प्रारंभ किए जाने की अनुमति दी जाए तथा अध्यक्ष ने उनके अनुरोध को स्वीकार किया।

तद्नुसार कुंवर भारतेन्द्र सिंह ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. डॉ॰ एम॰ वीरप्पा मोइली
2. श्री सुरेश प्रभु
3. श्री आर॰ गोपालकृष्णन
4. डॉ॰ (श्रीमती) काकोली घोष दस्तिदार
5. श्री तथागत सत्पथी
6. श्री एम॰ श्रीनिवास राव (अवंती)
7. श्रीमती मेनका संजय गांधी
8. श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी
9. श्री एम॰बी॰ राजेश
10. श्री रत्न लाल कटारिया
11. श्री जय प्रकाश नारायण यादव
12. श्री तेजप्रताप सिंह यादव
13. श्री अनिल महादेव दवे
14. डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदे
15. श्रीमती रेणुका बुत्ता

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.11 बजे

(*लोक सभा गुरुवार,* 4 *अगस्त,* 2016 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।*)

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—2155LS(S3)—03-08-2016.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 4 अगस्त, 2016/13 श्रावण, 1938 (शक)

संख्या 170

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 261—265 और 265 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 266—280 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2991—3220 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 29 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 2182(अ), जो 23 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की

अनुसूची I में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

(2) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) (चौथा संशोधन) विनियम, 2016, जो 29 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-1/18/2010-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन समाधान तंत्र और संबंधित मामले) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2016, जो 16 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-1/(3)/2009-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (ऊर्जा बचत प्रमाणपत्रों के निपटान हेतु निबंधन और शर्तें) विनियम, 2016, जो 30 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-1/97/2016-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(3) उपर्युक्त (2) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड तथा खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उप-धारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 601(अ), जो 15 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा चेन्नई पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 का अनुमोदन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

(8) 'प्रारूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2016 के लिए कुछ आदान' शीर्षक पर दस्तावेज की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

(9) नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 15 की उप-धारा (3) के अंतर्गत नोटरी (संशोधन) नियम, 2016 जो 19 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 429(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2016 द्वारा यथासंशोधित परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 11(1)(ख) तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 9(ग) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं॰ ओ॰एन॰ 14(अ), जो 15 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो संविधान (सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015 के परिणामस्वरूप भारत और बंगलादेश राज्यक्षेत्र के बीच परिक्षेत्रों के आदान-प्रदान के कारण पश्चिम बंगाल राज्य में निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका शुद्धिपत्र जो 21 मार्च, 2016 की अधिसूचना सं॰ ओ॰एन॰ 16(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(11) निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 1 की उप-धारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 665(अ), जो 4 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 4 मार्च, 2016 को उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में नियत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से निम्नलिखित संदेश प्राप्त होने की सूचना दी है:—

(एक) कि राज्य सभा 2 अगस्त, 2016 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 27 जुलाई, 2016 को पारित बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) संशोधन विधेयक, 2016 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(दो) कि राज्य सभा ने 3 अगस्त, 2016 को हुई अपनी बैठक में संविधान (122वां संशोधन) विधेयक, 2014 को संशोधनों के साथ पारित किया और विधेयक को इस अनुरोध के साथ वापस किया कि संशोधनों पर लोक सभा की सहमति से राज्य सभा को सूचित किया जाए।

5. राज्य सभा द्वारा यथासंशोधित विधेयक — सभा पटल पर रखा गया

संविधान (122 *वां संशोधन*) *विधेयक*, 2014

6. सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति

निम्नलिखित सदस्यों को उनके सामने उल्लिखित अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई है:—

(1) एस॰पी॰वाई॰ रेड्डी	23.02.2016 से 16.03.2016
	25.04.2016 से 11.05.2016
	और
	18.07.2016 से 05.08.2016
(2) डॉ॰ अंबुमनी रामादोस	25.04.2016 से 11.05.2016
(3) श्री मनोहर उटवाल	25.04.2016 से 11.05.2016
(4) कु॰ अर्पिता घोष	25.04.2016 से 11.05.2016
(5) श्री सुब्रत बक्शी	26.02.2016 से 16.03.2016
	और
	25.04.2016 से 06.05.2016
(6) श्री हरिओम सिंह राठौड़	18.07.2016 से 12.08.2016
(7) श्री रामचन्द्र हाँसदा	23.02.2016 से 16.03.2016
	और
	25.04.2016 से 11.05.2016
(8) श्री चाँद नाथ	25.07.2016 से 12.08.2016
(9) श्री छ॰ उदयनराजे भोसले	18.07.2016 से 12.08.2016

7. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया ने कार्य मंत्रणा समिति का 34वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

8. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) खान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) विद्युत मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 5वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री ने पोत परिवहन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 221वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा:—

*अपराह्न 12.06 बजे

9. श्रीमती सुषमा स्वराज ने सऊदी अरब के जेद्दा में भारी संख्या में फंसे भारतीयों के संबंध में प्रो॰ के॰ वी॰ थॉमस द्वारा 1.08.2016 को उठाए गए मुद्दे पर सरकार द्वारा किए गए उपायों के बारे में सभा को सूचित किया ।

(*लोक सभा अपराह्न* 1.35 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.33 *बजे पुन: समवेत हुई ।*)

अपराह्न 2.33 बजे

10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

1. श्री डी॰ एस॰ राठौड़ द्वारा संबंधित संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए

*अपराह्न 12.11 बजे से 01.35 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत जारी की गई धनराशि के उपयोग का ब्यौरा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

2. श्री भैरों प्रसाद मिश्र द्वारा उत्तर प्रदेश के बांदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कताई मिल तथा फ्लोर ग्लास लिमिटेड को पुनः शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

3. श्री ओम प्रकाश यादव द्वारा बिहार के सिवान जिले में भैरवा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन संख्या 15105/06 का ठहराव प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

4. श्री जॉर्ज बेकर द्वारा असम और पश्चिम बंगाल में नदियों से गाद निकाले जाने की आवश्यकता के बारे में।

5. श्री हरीश मीना द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने से संबंधित संविधान (117वां संशोधन) विधेयक, 2012 को पारित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

6. श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा देश में केन्द्रीय विद्यालयों में दो पालियों में कक्षाएं चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

7. श्री फिरोज़ वरूण गाँधी द्वारा इलेक्ट्रिकल व्हिकल (ईवी) को और अधिक वहनीय बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

8. श्री रामेश्वर तेली द्वारा असम में बाढ़ और कटाव के कारण होने वाले विनाश के बारे में।

9. श्री लक्ष्मी नारायण यादव द्वारा मध्य प्रदेश के सागर में विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के केन्द्र बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

10. श्री राजेश वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के सीतापुर में रेलवे परिसर में केन्द्रीय विद्यालय खोलने में तीव्रता लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

11. श्री जुगल किशोर शर्मा द्वारा जम्मू-कश्मीर में सीमावर्ती सड़कों के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

12. श्री बोध सिंह भगत द्वारा मध्य प्रदेश के बालाघाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नई रेल लाइनों को बिछाए जाने के लिए स्वीकृति प्रदान किए लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

13. कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा रक्षा बलों के शहीद सैनिकों की विधवाओं को अनुकम्पा आधार पर नियुक्तियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

14. श्री एंटो एन्टोनी द्वारा विदेशों में नौकरी की भर्ती के वर्तमान स्वीकृति प्रक्रिया में छूट दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

15. डॉ॰ थोकचोम मेन्या द्वारा सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का निरसन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

16. श्री ताम्रध्वज साहू द्वारा लोक कलाकार, कवियों और लेखकों को सहायता प्रदान करने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

17. श्री ए॰ अरुणमणिदेवन द्वारा कड्डलौर के तिरुपल्लियार रेलवे स्टेशन से कट्डलौर तिरुचरापल्ली चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

18. श्री ए॰ अनवर राजा द्वारा डॉ॰ एपीजे अब्दुल कलाम के कार्यों और निजी सामान को राष्ट्रीय सम्पदा और धरोहर घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

19. श्रीमती रेणुका सिन्हा द्वारा पश्चिम बंगाल के कूचबिहार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सभी एनक्लेव निवासियों को एक समयबद्ध रूप से बुनियादी सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

20. श्रीमती प्रत्यूषा राजेश्वरी सिंह द्वारा ओडिशा के बौध जिले में दो सिंचाई परियोजनाओं के लिए निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

21. श्री विनायक भाऊराव राऊत द्वारा 1995 और 1996 की रिट याचिका संख्या 202 में एक वरिष्ठ सालिसीटर को नियुक्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.33 बजे

11. अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)—2016-17

लिया गया समय: 4 घंटे 53 मिनट

वर्ष 2016-17 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग सं॰ 1 से 3, 5 से 7, 9, 12 से 20, 28, 29, 32, 34, 37, 38, 42, 44, 48, 50 से 52, 54, 58, 60, 61, 64, 66, 68, 74 से 77, 81, 82, 84, 85, 87, 89 और 93 से 98 पर चर्चा प्रारंभ हुई।

उपाध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

''अब सभा वर्ष 2016-17 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा और मतदान को लेगी।

श्री अधीर रंजन चौधरी ने बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर तीन कटौती प्रस्तावों को सभा पटल पर रखा। यदि माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्तावों को पेश करना चाहते हैं तो वे 15 मिनट के भीतर उनके द्वारा पेश किए जाने वाले कटौती प्रस्तावों की क्रम सं॰ को दर्शाने वाले स्लिप पटल पर भेज सकते हैं।

तत्पश्चात् पेश कर दिए गए माने जाने वाले कटौती प्रस्तावों की क्रम सं॰ दर्शाने वाली सूची सूचना पट पर लगा दी जाएगी। यदि सदस्य सूची में कोई विसंगति पाते हैं तो वे कृपया तुरंत पटल पर बैठे अधिकारी के ध्यान में लाएं''

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री के॰सी॰ वेणुगोपाल
2. श्री हुकुम सिंह
3. श्री सी॰ महेन्द्रन
4. श्री अभिषेक बनर्जी
5. श्री भर्तृहरि महताब
6. श्री मोहम्मद सलीम
7. श्री गजानन चन्द्रकांत कीर्तिकर
8. श्री भीमराव बी॰ पाटील
9. श्री वाई॰वी॰ सुब्बारेड्डी
10. श्री निशिकांत दुबे
11. श्री जय प्रकाश नारायण यादव

*12. श्री नलीन कुमार कटील

*13. श्रीमती वी॰ सत्यबामा

*14. श्री इल्लुमलाई वी॰

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*15. डॉ॰ (श्रीमती) रत्ना डे (नाग)

*16. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल

*17. श्रीमती रक्षा निखिल खड़से

*18. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन

*19. श्रीमती अपरूपा पोद्दार

*20. श्री विनायक भाऊराव राऊत

*21. श्रीमती पूनमबेन माडम

22. श्री प्रेम सिंह चंदूमाजरा

*23. श्री रामेश्वर तेली

24. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया

*25. श्री पी॰आर॰ सुंदरम

26. श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर

*27. डॉ॰ रमेश पोखरियाल निशंक

*28. श्री डी॰के॰ सुरेश

29. श्री आर॰ पार्थिपन

*30. श्री आर॰ ध्रुवनारायण

*31. श्री एस॰पी॰ मुद्दाहनुमे गौड़ा

32. श्री कौशलेन्द्र कुमार

33. श्री चरणजीत सिंह रोड़ी

34. डॉ॰ भारतीबेन डी॰ श्याल

*35. श्री बी॰एन॰ चंद्रप्पा

36. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन

*37. श्री भैरो प्रसाद मिश्र

*38. श्री नाराणभाई काछड़िया

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

39. श्री बिष्णु पद राय

40. श्री राजेश रंजन (पप्पू यादव)

*41. श्री गोपाल शेट्टी

42. श्री राजीव शंकरराव सातव

*43. श्री श्रीरंग अप्पा बारणे

*44. श्री जुगल किशोर शर्मा

*45. डॉ॰ किरीट सोमैय्या

*46. श्री के॰ परसुरमन

*47. श्री मुरली मोहन मगंती

श्री अरुण जेटली ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

वर्ष 2016-17 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों—प्रथम बैच (सामान्य) की मुद्रित सूची के कॉलम 3 के अंतर्गत दर्शायी गई राशियों के लिए अनुदानों की सभी अनुपूरक मांग सं॰ 1 से 3, 5 से 7, 9, 12 से 20, 28, 29, 32, 34, 37, 38, 42, 44, 48, 50 से 52, 54, 58, 60, 61, 64, 66, 68, 74, से 77, 81, 82, 84, 85, 87, 89 और 93 से 98 (राजस्व लेखे और पूंजीगत लेखे दोनों) पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

सायं 7.24 बजे

12. सरकारी विधेयक—पुर: स्थापित

विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2016

13. सरकारी विधेयक—पारित

विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2016

श्री अरुण जेटली द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के लिए पेश किया गया प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अरुण जेटली ने विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

सायं 7.26 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 5 अगस्त, 2016 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—2203LS(S3)—04-08-2016.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 5 अगस्त, 2016/14 श्रावण, 1938 (शक)

संख्या 171

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने क्रमश: 6 और 9 अगस्त, 1945 को जापान के शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने की 71वीं पुण्यतिथि का उल्लेख किया।

तत्पश्चात् परमाणु नरसंहार के शिकार हुए लोगों की याद में सदस्य थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहे।

उन्होंने 5 अगस्त, 2016 से ब्राजील के रियो द जेनेरियो में आयोजित होने वाले 31वें ग्रीष्म ओलंपिक में भारतीय दल के भाग लेने के लिए उन्हें सभा की ओर से शुभकामनाएं भी दीं।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 281—283, 284 (293 के साथ युग्मित), 285 और 286 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 287—292 और 294—300 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3221—3450 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (इक्विटी शेयरधारकों के लिए आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता के 31.3.2016 को समाप्त हुई तिमाही के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (इक्विटी शेयरधारकों के लिए आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता का 31.3.2016 को समाप्त हुई तिमाही के लिए परिसमापक का प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) आयकर (तीसरा संशोधन) नियम, 2016, जो 1 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 637(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आयकर (चौथा संशोधन) नियम, 2016, जो 3 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 650(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) आयकर (छठा संशोधन) नियम, 2016, जो 17 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1146(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) आयकर (दसवां संशोधन) नियम, 2016, जो 28 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1580(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) आयकर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2016, जो 29 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1587(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) आयकर (बारहवां संशोधन) नियम, 2016, जो 5 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1655(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) आयकर (तेरहवां संशोधन) नियम, 2016, जो 31 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1923(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) आयकर (सत्रहवां संशोधन) नियम, 2016, जो 24 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2196(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(3) वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 163 की उप-धारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1904(अ), जो 27 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 जून, 2016 को उक्त अधिनियम के अध्याय 8 के प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में नियत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(4) वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 179 की उप-धारा (3) के अंतर्गत समकरण उद्ग्रहण नियम, 2016, जो 27 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 1905(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(5) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 569(अ), जो 1 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का॰आ॰ 1588(अ), जो 29 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना सं॰ 36/2001-सी॰शु॰(एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) अधिसूचना सं॰ 64/2016–सी॰शु॰(एन॰टी॰), जो 5 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का॰आ॰ 1772(अ) जो 13 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना सं॰ 36/2001–सी॰शु॰(एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) अधिसूचना सं॰ 77/2016–सी॰शु॰(एनटी), जो 19 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का॰आ॰ 1921(अ) जो 31 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना सं॰ 36/2001–सी॰शु॰(एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) अधिसूचना सं॰ 80/2016–सी॰शु॰(एनटी), जो 2 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) का॰आ॰ 2100(अ) जो 14 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना सं॰ 36/2001–सी॰शु॰(एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) का॰आ॰ 2117(अ) जो 15 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना सं॰ 36/2001–सी॰शु॰(एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) अधिसूचना सं॰ 87/2016–सी॰शु॰(एनटी), जो 16 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के

निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपविर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) अधिसूचना सं॰ 88/2016-सी॰शु॰(एनटी), जो 23 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपविर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) अधिसूचना सं॰ 89/2016-सी॰शु॰(एनटी), जो 24 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपविर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) अधिसूचना सं॰ 91/2016-सी॰शु॰(एनटी), जो 29 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपविर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) का॰आ॰ 2265(अ) जो 30 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना सं॰ 36/2001-सी॰शु॰(एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) का॰आ॰ 2312(अ) जो 05 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना सं॰ 36/2001-सी॰शु॰(एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) अधिसूचना सं॰ 96/2016-सी॰शु॰ (एनटी), जो 6 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपविर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(6) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 77 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) नियम, 2016 जो 12 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 685(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का॰आ॰ 2373(अ) जो 12 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित पदार्थों, लवणों और निर्मितियों को विनिर्माण औषधि-अर्थात् एएच-7921 के रूप में घोषित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का॰आ॰ 2374(अ), जो 12 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की उसमें उल्लिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट मन:प्रभावी पदार्थों की सूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का॰आ॰ 2375(अ) जो 12 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 19 अक्तूबर, 2001 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1055(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(7) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन—संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2016 का संख्यांक 15)—(अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियां) खंड एक और दो की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट, फरीदाबाद के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट, फरीदाबाद के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट, फरीदाबाद के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उपधारा (4) के अंतर्गत कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2016, जो 23 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सा०का०नि० 540(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(11) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45यक के अंतर्गत जारी प्रारूप अधिसूचना संख्या एफ सं० 12/1/2016-एफएसएलआरसी, जो 5 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रारंभ होकर 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए मुद्रास्फीति लक्ष्यों को अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(12) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2015, जो 5 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी-एनआरओ/ओआईएई/जीएन/2015-16/003 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों को पर्याप्त अर्जन और ग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2015, जो 5 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी-एनआरओ/ओआईएई/जीएन/2015-16/004 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्युचुअल फंड) (संशोधन) विनियम, 2015, जो 15 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी-एनआरओ/ओआईएई/जीएन/2015-16/005 में प्रकाशित हुए थे।

(13) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2016, जो 28 अप्रैल, 2016

के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 465(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और संदाय की रीति) विनियम, 2016, जो 3 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 480(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सा०का०नि० 504(अ), जो 12 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें 29 दिसंबर, 2015 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० सं०1006(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(चार) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (सातवां संशोधन) विनियम, 2016, जो 20 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 537(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) (संशोधन) विनियम, 2016, जो 1 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 570(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदाएं) (संशोधन) विनियम, 2016, जो 1 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 571(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(14) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(1) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(2) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तथा बेल-थेल्स सिस्टम्स लिमिटेड के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(3) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तथा बेल आप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

5. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ० किरीट सोमैया ने ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2015-16) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) 'ठोस अपशिष्ट से विद्युत उत्पादन' विषय पर बीसवां प्रतिवेदन।

(2) लघु जल-विद्युत क्षेत्र का विकास और स्थिति के बारे में तेरहवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी इक्कीसवां प्रतिवेदन।

6. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

एडवोकेट जोएस जॉर्ज ने 'अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अंतर्गत विधिक शिक्षा और अनुसंधान का संवर्धन' विषय पर कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का 86वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.03 बजे

7. मंत्री द्वारा वक्तव्य

गृह मंत्री ने सार्क देशों के आंतरिक कार्य/गृह मंत्रियों की 7वीं बैठक में भाग लेने के लिए हाल ही में किए गए पाकिस्तान के दौरे के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.09 बजे

8. संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री ने 8 अगस्त, 2016 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्यों के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.21 बजे

9. प्रस्ताव

श्री अनन्त कुमार ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 4 अगस्त, 2016 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 34वें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*अपराह्न 12.22 बजे

10. सरकारी विधेयक — पुर:स्थापित

(एक) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016

(दो) कर्मचारी प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, 2016

(*लोक सभा अपराह्न* 1.25 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.38 *बजे पुन: समवेत हुई।*)

*अपराह्न 12.23 बजे से अपराह्न 1.25 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

*अपराह्न 2.40 बजे

11. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय: 4 घंटे 37 मिनट

कुँवर भारतेन्द्र सिंह द्वारा 3 अगस्त, 2016 को संधारणीय विकास लक्ष्यों के बारे में उठाई गई चर्चा पर आगे बहस जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री वीरेन्द्र सिंह
2. श्री अभिजीत मुखर्जी
3. श्री इदरिस अली
4. श्री के॰ परसुरमन
5. श्री प्रेम दास राई (भाषण अपूर्ण रहा)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराह्न 3.30 बजे

12. प्रस्ताव

श्री रत्न लाल कटारिया ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 3 अगस्त, 2016 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के 25वें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.31 बजे

13. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुर:स्थापित

(1) श्रीमती पूनम महाजन द्वारा माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2016 (**धारा 2 का संशोधन, आदि**)।

(2) श्रीमती पूनम महाजन द्वारा पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (संशोधन) विधेयक, 2016 (**धारा 11 का संशोधन, आदि**)।

(3) श्री प्रह्लाद वेंकटेश जोशी द्वारा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2015 (**धारा 62 का संशोधन**)।

---

*अपराह्न 2.38 बजे से अपराह्न 2.40 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(4) श्री प्रह्लाद वेंकटेश जोशी द्वारा सार्वजनिक स्थान पर थूकने का प्रतिषेध विधेयक, 2015

(5) श्री प्रह्लाद वेंकटेश जोशी द्वारा प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) विधेयक, 2015 **(धारा 52 का संशोधन)**।

(6) श्री प्रह्लाद वेंकटेश जोशी द्वारा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2016 **(नई धारा 70क का अंत:स्थापन)**।

(7) श्री बिरेन सिंह इंगती द्वारा असम पुनर्गठन (कार्बी दिमांचल) विधेयक, 2016

(8) श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा भारत का उच्चतम न्यायालय (हमीरपुर में स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2016।

(9) श्री राजीव सातव द्वारा भारत का उच्चतम न्यायालय (मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्किट न्यायपीठों की स्थापना) विधेयक, 2016

(10) डॉ॰ शशि थरूर द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (**अनुच्छेद 243ण का संशोधन आदि**)।

(11) डॉ॰ शशि थरूर द्वारा घरेलू कर्मकार कल्याण विधेयक, 2016

(12) श्री राजीव सातव द्वारा विदर्भ और मराठवाड़ा के पिछड़े और सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2016

(13) श्री राजीव सातव द्वारा प्राइवेट सेक्टर में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण विधेयक, 2016

(14) श्री राजीव सातव द्वारा शैक्षिक संस्थाओं में कृषि शिक्षा का अनिवार्य शिक्षण विधेयक, 2016

(15) श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा रैगिंग का प्रतिषेध और उन्मूलन विधेयक, 2016

(16) श्री निनोंग ईरिंग द्वारा अरूणाचल प्रदेश राज्य (संशोधन) विधेयक, 2016 **(नई धारा 29क से 29ठ का अंत:स्थापन)**।

(17) डॉ॰ संजय जायसवाल द्वारा बाल विवाह का प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2016 **(धारा 2 का संशोधन आदि)**।

(18) श्री एन॰टी॰ नाना पाटील द्वारा बुनियादी और प्राथमिक शिक्षा (मातृभाषा में अनिवार्य शिक्षण) विधेयक, 2016

(19) श्री राजेश रंजन (पप्पू यादव) द्वारा नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर और तकनीकी शिक्षा विधेयक, 2016

(20) श्री देवजी एम॰ पटेल द्वारा स्वदेशी गौ संरक्षण बोर्ड विधेयक, 2016

(21) श्री देवजी एम॰ पटेल द्वारा प्राइवेट कोचिंग सेंटर विनियामक बोर्ड विधेयक, 2016

(22) श्री ए॰टी॰ नाना पाटील द्वारा जिम्नेजियम और फिटनेस सेंटर्स (विनियमन) विधेयक, 2016

(23) श्री निशिकांत दुबे द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 **(अनुच्छेद 343 के स्थान पर नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन आदि)**।

(24) श्री निशिकांत दुबे द्वारा बाल विकास कार्यक्रम समन्वय अभिकरण विधेयक, 2016

(25) श्री निशिकांत दुबे द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2016 (**धारा 196 का संशोधन**)।

(26) श्री निशिकांत दुबे द्वारा बालकों का नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2016 (**धारा 16 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन**)।

(27) श्री अजय मिश्रा 'टेनी' द्वारा रेल पटरियों, रेल यार्डों के समीप और रेल भूमि पर रहने वाले बेघर व्यक्ति कल्याण विधेयक, 2016

(28) डॉ॰ रमेश पोखरियाल 'निशंक' द्वारा उत्तराखंड उच्च न्यायालय (हरिद्वार में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2016

(29) श्री आर॰ ध्रुवनारायण द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 **(अनुच्छेद 72 और 161 का संशोधन)**।

(30) श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 **(अनुच्छेद 80 का संशोधन)**।

(31) श्री ओम प्रकाश यादव द्वारा जूट उत्पादक (लाभकारी मूल्य और कल्याण) विधेयक, 2016

(32) श्री ओम प्रकाश यादव द्वारा पावरलूम सेक्टर (कल्याण) विधेयक, 2016

(33) श्री रवीन्द्र कुमार जेना द्वारा भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2016 **(धारा 5, आदि का संशोधन)**।

(34) श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 **(अनुच्छेद 325 का संशोधन)**।

(35) श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2016

(36) श्री राजेश रंजन (पप्पू यादव) द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और अन्य कर्मकार (संरक्षण, प्रोत्साहन और कल्याण) विधेयक, 2016

(37) श्री राजेश रंजन द्वारा साइकिल चलाने को प्रोत्साहन तथा प्रमुख सड़कों और राजमार्गों पर अनिवार्यत: समर्पित साइकिल गलियारे का उपबंध विधेयक, 2016

(38) श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 **(अनुच्छेद 72 का संशोधन)**।

(39) श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के मूर्तिकार और कलाकार कल्याण विधेयक, 2016

(40) डॉ॰ मनोज राजोरिया द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय (करौली में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2016

(41) डॉ॰ मनोज राजोरिया द्वारा स्वतंत्रता सेनानी और उनका परिवार (कल्याण) विधेयक, 2016

(42) डॉ॰ उदित राज द्वारा दलित, पिछड़े और दलित युवा (विकास और कल्याण) विधेयक, 2016

(43) श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया द्वारा वृद्धावस्था पेंशन विधेयक, 2016

(44) श्री राहुल शेवाले द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 **(अनुच्छेद 15 का संशोधन)**।

(45) श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2016 **(धारा 2 का संशोधन)**।

(46) श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन द्वारा आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2016 **(धारा 11 और 35 का संशोधन)**।

(47) श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन द्वारा माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2016 **(धारा 2 का संशोधन, आदि)**।

(48) डॉ॰ बूरा नरसैय्या गौड द्वारा हथकरघा बुनकर (कल्याण) विधेयक, 2016

(49) प्रो॰ रिचर्ड हे द्वारा आंग्ल-भारतीय कल्याण विधेयक, 2016

(50) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (**अनुच्छेद 75 का संशोधन, आदि**)।

(51) श्री दयाकर पसुनूरी द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (**अनुच्छेद 341 का संशोधन**)।

(52) श्री गोपाल चिनय्या शेट्टी द्वारा शुष्क और मरुस्थलीय क्षेत्रों के किसान (कल्याण और अन्य विशेष उपबंध) विधेयक, 2016

(53) श्री गोपाल चिनय्या शेट्टी द्वारा महानगरीय पिछड़ा क्षेत्र (बुनियादी सुख-सुविधाएं और अन्य उपबंध) विधेयक, 2016

(54) श्री गोपाल चिनय्या शेट्टी द्वारा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और बेरोजगारी भत्ता विधेयक, 2016

(55) श्री गोपाल चिनय्या शेट्टी द्वारा आश्रय का अधिकार विधेयक, 2016

(56) श्री बैजयंत पांडा द्वारा भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2016 (**धारा 309 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन**)।

(57) श्री बैजयंत पांडा द्वारा वाहन प्रदूषण में कमी लाने संबंधी विधेयक, 2016

(58) डॉ॰ रमेश पोखरियाल 'निशंक' द्वारा भारतीय हिम और हिमनद प्राधिकरण विधेयक, 2016

(59) डॉ॰ बूरा नरसैय्या गौड द्वारा राष्ट्रीय अति लघु उद्योग आयोग विधेयक, 2016

(60) डॉ॰ बूरा नरसैय्या गौड द्वारा ताड़ी उद्योग कामगार कल्याण विधेयक, 2016

(61) श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान द्वारा उड़ीसा उच्च न्यायालय (सम्बलपुर में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2016

(62) श्री बैजयंत पांडा द्वारा मानसिक स्वास्थ्य (संशोधन) विधेयक, 2016 (**धारा 4 का संशोधन, आदि**)।

(63) श्री बैजयंत पांडा द्वारा भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2016 (**धारा 499 का संशोधन, आदि**)।

(64) श्री चंद्र प्रकाश जोशी द्वारा शैक्षिक संस्थाओं में आपदा प्रबंधन शिक्षा का अनिवार्य शिक्षण विधेयक, 2016

(65) श्री चंद्र प्रकाश जोशी द्वारा शैक्षिक संस्थाओं में विधि शिक्षा का अनिवार्य शिक्षण विधेयक, 2016

(66) श्री चंद्र प्रकाश जोशी द्वारा शैक्षिक संस्थाओं में मनोविज्ञान का अनिवार्य शिक्षण विधेयक, 2016

(67) डॉ॰ किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी द्वारा अनिवार्य विवाह-पूर्व स्वास्थ्य परीक्षा विधेयक, 2016

(68) डॉ॰ किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी द्वारा उपनाम का प्रयोग (प्रतिषेध) विधेयक, 2016

(69) श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया द्वारा वन्य जीव (संरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2016 **(धारा 9 का संशोधन)**।

(70) श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया द्वारा बाल विकास विधेयक, 2016

(71) श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया द्वारा वर्षाजल (अनिवार्य संचयन) विधेयक, 2016

(72) श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार विधेयक, 2016 (**धारा 2 और 3 का संशोधन**)।

(73) डॉ॰ मनोज राजोरिया द्वारा सूक्ष्म वित्त संस्थाएं (धन उधार देने का विनियमन) विधेयक, 2016

(74) डॉ॰ मनोज राजोरिया द्वारा राष्ट्रीय सौर ऊर्जा प्राधिकरण विधेयक, 2016

(75) श्री विनायक भाऊराव राऊत द्वारा बालक श्रम (उत्सादन) विधेयक, 2016

(76) श्री राहुल शेवाले द्वारा वन्य जीव गलियारे विधेयक, 2016

(77) श्री राहुल शेवाले द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) विधेयक, 2016

(78) श्री श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा प्लास्टिक मदों पर पाबंदी विधेयक, 2016

(79) श्री भैरों प्रसाद मिश्र द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा (संवर्धन और अनिवार्य उपयोग) विधेयक, 2016

(80) श्री भैरों प्रसाद मिश्र इलाहाबाद उच्च न्यायालय (बांदा में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2016

(81) डॉ॰ उदित राज द्वारा कास्तकार और कारीगर कल्याण विधेयक, 2016

(82) डॉ॰ उदित राज द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 **(अनुच्छेद 15 का संशोधन)**।

(83) श्री फिरोज वरुण गांधी द्वारा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2016

(84) श्री फिरोज वरुण गांधी द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 **(अनुच्छेद 324 का संशोधन)**।

14. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक — स्थगित

विपरीतलिंगी व्यक्तियों के अधिकार विधेयक, 2014, *राज्य सभा द्वारा यथापारित*

श्री विनसेंट एच॰ पाला ने उपाध्यक्ष से अनुरोध किया कि उन्हें मद संख्या 121 पर सूचीबद्ध संविधान की छठी अनुसूची (सशोधन) विधेयक, 2015 के बारे में चर्चा आरंभ करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष ने सभा की भावना की जानकारी ली और सभा सहमत हुई।

तद्नुसार विपरीतलिंगी व्यक्तियों के अधिकार विधेयक, 2014, राज्य सभा द्वारा यथापारित, के बारे में चर्चा स्थगित हुई।

अपराह्न 4.07 बजे

15. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक — विचाराधीन

संविधान की छठी अनुसूची (संशोधन) विधेयक, 2015

श्री विनसेंट एच॰ पाला द्वारा पेश किए गए विधेयक पर विचार के लिए प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री भैरों प्रसाद मिश्र
2. श्री भर्तृहरि महताब
3. श्री शंकर प्रसाद दत्ता
4. श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी
5. श्री प्रेम दास राई (भाषण अपूर्ण रहा)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सांय 6.00 बजे

(*लोक सभा सोमवार* 8 *अगस्त,* 2016 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई*।)

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—2273LS(S3)—05-08-2016.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 8 अगस्त, 2016/17 श्रावण, 1938 (शक)

संख्या 172

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने 5 अगस्त, 2016 को असम के कोकराझार जिले में अतिवादियों के हमले में 14 व्यक्तियों की मृत्यु होने और कई अन्य लोगों के घायल होने का उल्लेख किया।

तत्पश्चात् सदस्यगण अतिवादी हमले के शिकार व्यक्तियों की स्मृति में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 301—306 और 308 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 307 और 309—320 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3451—3680 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) संविधान के अनुच्छेद 338क के खण्ड (6) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई ज्ञापन।

(ख) (एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई ज्ञापन।

(ग) (एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई ज्ञापन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2002—2004 के वार्षिक प्रतिवेदन (खंड एक, दो और तीन) की एक प्रति।

(दो) अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2002—2004 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई ज्ञापन।

(4) दूसरे अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति आयोग, नवंबर, 2004 की सिफारिशों के कार्यकारी सारांश की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2002—2004 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) कर्मचारी निक्षेप-संबद्ध बीमा (संशोधन) स्कीम, 2016 जो 24 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 543(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) कर्मचारी भविष्य निधि (चौथा संशोधन) स्कीम, 2016 जो 7 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 580(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 604(अ) जो 16 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 10 फरवरी, 2016 की अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 158(अ) को निरस्त करना है।

(7) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ओएनजीसी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में कच्चा तेल उत्पादन मापन तथा रिपोर्टिंग प्रणाली के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन-संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2016 का संख्यांक 21) (अनुपालन लेखापरीक्षा) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-17 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-17 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-17 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(9) (एक) बद्दी इंफ्रास्ट्रक्चर सोलन के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बद्दी इंफ्रास्ट्रक्चर सोलन के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) तिरुचिरापल्ली इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तिरुचिरापल्ली इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) नारोल टेक्सटाइल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनविरो मैनेजमेंट, अहमदाबाद के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नारोल टेक्सटाइल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनविरो मैनेजमेंट, अहमदाबाद के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) एसआईए-हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (औद्योगिक क्षेत्र खंद्रौरी और पैंडोगा परियोजना के लिए), शिमला के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एसआईए-हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (औद्योगिक क्षेत्र खंद्रौरी और पैंडोगा परियोजना के लिए), शिमला के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) जम्मू और कश्मीर डेवलपमेंट फाइनांस कार्पोरेशन लिमिटेड, जम्मू के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जम्मू और कश्मीर डेवलपमेंट फाइनांस कार्पोरेशन लिमिटेड, जम्मू के वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) कॉफी अधिनियम, 1942 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत कॉफी (संशोधन) नियम, 2016 जो 5 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 669(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 25 की उपधारा (3) के अंतर्गत रबड़ (संशोधन) नियम, 2016 जो 5 जुलाई, 206 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 668(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 30 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 2240(अ) जो 30 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में यथानिर्धारित शास्तियां प्रभारित करके नीलामी मंचों पर अप्राधिकृत अतिरेक तम्बाकू का क्रय करने के लिए व्यापारियों/व्यवहारियों को अनुमति दिए जाने के लिए तम्बाकू बोर्ड को प्राधिकृत किया गया है।

(दो) का॰आ॰ 2241(अ) जो 28 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में तम्बाकू अधिनियम, 1975 की धारा 10(1) के उपबंधों के प्रवर्तन को शिथिल किया गया है।

(22) (एक) नार्थ ईस्ट जोन कल्चर सेंटर, दीमापुर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नार्थ ईस्ट जोन कल्चर सेंटर, दीमापुर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) (एक) साउथ जोन कल्चरल सेंटर, तंजावुर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साउथ जोन कल्चरल सेंटर, तंजावुर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) (एक) साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, नागपुर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, नागपुर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) नार्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, इलाहाबाद के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नार्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, इलाहाबाद के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) (एक) नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट, कंजरवेशन एंड म्यूजियोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट, कंजरवेशन एंड म्यूजियोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) (एक) उत्तराखंड सर्व शिक्षा अभियान, देहरादून के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तराखंड सर्व शिक्षा अभियान, देहरादून के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) (एक) यूईई मिशन दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) यूईई मिशन दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) (एक) वेस्ट बंगाल सोसाइटी फार राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वेस्ट बंगाल सोसाइटी फार राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) (एक) उडीसा माध्यमिक शिक्षा मिशन, भुबनेश्वर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उडीसा माध्यमिक शिक्षा मिशन, भुबनेश्वर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आंध्र प्रदेश, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आंध्र प्रदेश, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आंध्र प्रदेश, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आंध्र प्रदेश, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) उपर्युक्त (42) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नोएडा के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नोएडा के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नोएडा के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) (एक) लक्षद्वीप सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथारिटी, कावारत्ती के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लक्षद्वीप सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथारिटी, कावारत्ती के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) उपर्युक्त (46) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016'—नई शिक्षा नीति का विकास संबंधी समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) (एक) राजीव गांधी इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट शिलांग, शिलांग के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट शिलांग, शिलांग के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट कोझिकोड, कोझिकोड के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट कोझिकोड, कोझिकोड के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) उपर्युक्त (51) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(53) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट रांची, रांची के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट रांची, रांची के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) उपर्युक्त (53) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(55) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट लखनऊ, लखनऊ के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट लखनऊ, लखनऊ के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) उपर्युक्त (55) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(57) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट रोहतक, रोहतक के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट रोहतक, रोहतक के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(58) उपर्युक्त (57) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(59) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी पटना, पटना के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी पटना, पटना के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(60) उपर्युक्त (59) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(61) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर, जमशेदपुर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर, जमशेदपुर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(62) उपर्युक्त (61) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(63) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(64) उपर्युक्त (63) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(65) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिजोरम, आइजोल के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिजोरम, आइजोल के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(66) उपर्युक्त (65) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(67) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(68) उपर्युक्त (67) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(69) (एक) बोर्ड ऑफ अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (दक्षिण क्षेत्र), चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड ऑफ अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (दक्षिण क्षेत्र), चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(70) उपर्युक्त (69) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(71) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रायपुर, रायपुर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रायपुर, रायपुर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(72) उपर्युक्त (71) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(73) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगरतला, अगरतला के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगरतला, अगरतला के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(74) उपर्युक्त (73) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(75) (एक) नार्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इटानगर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नार्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इटानगर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(76) उपर्युक्त (75) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(77) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजूकेशन एंड रिसर्च, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजूकेशन एंड रिसर्च, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(78) उपर्युक्त (77) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(79) योजना तथा वास्तुकला विद्यालय अधिनियम, 2014 की धारा 40 की उप-धारा (2) के अंतर्गत योजना तथा वास्तुकला विद्यालय (कठिनाइयों का निराकरण) तीसरा आदेश, 2016 जो 1 जलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 2268(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

अपराह्न 12.02 बजे

5. मंत्री द्वारा वक्तव्य गृह मंत्री ने 5.08.2016 को हुए कोकराझार उग्रवादी हमले के बारे में वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.05 बजे

6. वित्तीय समितियां (2015-16)—एक समीक्षा

महासचिव ने 'वित्तीय समितियां (2015-16)—एक समीक्षा' के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी।

*अपराह्न 12.55 बजे

7. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री मेकापति राजमोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के लिए विशेष दर्जे के बारे में निवेदन किया।

श्री अरुण जेटली ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 12.59 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

---

*अपराह्न 12.06 बजे से 12.59 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

अपराह्न 2.00 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री कर्नल सोनाराम चौधरी द्वारा राजस्थान के जिलों में सूखा से निपटने के लिए राज्य को सीआरएफ/एनडीआरएफ से सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी, एवीएसएम द्वारा उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में चीड़ से भिन्न अन्य प्रजातियों के पेड़ लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा आयुष चिकित्सकों की अधिवर्षिता आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री नाराणभाई काछड़िया द्वारा गुजरात के अमरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एफएम रेडियो स्टेशन स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री देवुसिंह चौहान द्वारा गुजरात में तीन रेल परियोजनाओं को समय से पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री शरद त्रिपाठी द्वारा उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के खलीलाबाद और देवरिया जिले के गौरी बाजार में विनिर्दिष्ट मानदंडों और मानकों के अनुरूप रेल ऊपरिपुलों का निर्माण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले के जिन किसानों की भूमि भारत-नेपाल सीमा सड़क परियोजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण हेतु अधिगृहीत कर ली गई है, उन्हें भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त मुआवजा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री जनार्दन मिश्र द्वारा मध्य प्रदेश के रीवा जिले में प्रस्तावित सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री रमेश बिधूड़ी द्वारा दिल्ली में अनधिकृत बस्तियों में रह रहे लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा झारखंड में कम्प्यूटर ऑपरेटरों के वेतन के बकाए का भुगतान किए जाने और पैरा-शिक्षकों और ग्राम रोजगार सेवकों की सेवाएं नियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री बीरेन्द्र कुमार चौधरी द्वारा नेपाल से निकलने वाली और बिहार से होकर बहने वाली नदियों पर जलद्वारों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री राहुल कास्वां द्वारा राजस्थान को समझौते के अनुसार रावी और व्यास नदियों का पानी उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री रामचरण बोहरा द्वारा जयपुर-दिल्ली रेल मार्ग को हरित कोरिडोर घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री निशिकान्त दुबे द्वारा झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में तीन केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्रीमती रक्षाताई खाडसे द्वारा कृषि अनुसंधान कार्यकलापों के संबंध में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की नीति की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्रीमती रीती पाठक द्वारा मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय और एक खनन महाविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री निनोंग इरिंग द्वारा अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट शहर को स्पेशल स्मार्ट सिटी की सूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री मल्लिकार्जुन खडगे द्वारा डॉ॰ बी॰ आर॰ अम्बेडकर के साहित्य का पुनर्मुद्रण कराने हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री पी॰ आर॰ सुन्दरम द्वारा नमक्कल नगर को एएमआरयूटी योजना के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) डॉ॰ के॰ गोपाल द्वारा कृषि शिक्षा को रोजगार परक बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) डॉ॰ ममताज़ संघमिता द्वारा एअर इंडिया के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(22) श्रीमती अपरूपा पोद्दार द्वारा पश्चिम बंगाल को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत और अधिक धनराशि का आवंटन किए जाने की आश्यकता के बारे में।

(23) श्री झीना हीकाका द्वारा ओडिशा के कोरापुट जिले में जिन लोगों की भूमि नाल्को द्वारा अधिगृहीत कर ली गई है उन्हें रोजगार उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(24) श्री राम मोहन नायडु किंजरापु द्वारा रियो ओलम्पिक खेलों को दिखाए जाने हेतु प्रबंध किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(25) श्री ए॰ पी॰ जितेन्द्र रेड्ड द्वारा मध्य-पूर्व देशों में भारतीय श्रमिकों की बदहाली के बारे में।

(26) श्रीमती कोथापल्ली गीता द्वारा संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निष्पादित किए जाने वाले कार्यों को वैट और अन्य करों से छूट दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(27) श्रीमती पी॰ के॰ श्रीमथि टीचर द्वारा केरल के कन्नुर जिले में वालापट्टनम रेलवे स्टेशन और अझिक्कल पत्तन के बीच रेलवे लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(28) श्रीमती सुप्रिया सुले द्वारा देश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्या के बारे में।

(29) श्री शैलेश कुमार द्वारा बिहार की 'गंगोटा' जाति को अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.00 बजे

9. सरकारी विधेयक पर राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन—संशोधनों पर सहमति हुई—विधेयक, संशोधनों द्वारा यथासंशोधित—पारित

**संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014*

लिया गया समय: 5 घंटे 58 मिनट

श्री अरुण जेटली द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया कि विधेयक, लोक सभा द्वारा यथापारित, में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए:—

अधिनियम सूत्र

1. पृष्ठ 1, पंक्ति 1, ''छियासठवें'' शब्द **के स्थान पर** ''सड़सठवें'' शब्द **प्रतिस्थापित** किया जाए।

---

* विधेयक लोक सभा द्वारा 6 मई, 2015 को पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सहमति के लिए भेजा गया था। राज्य सभा ने अपनी 3 अगस्त, 2016 को हुई बैठक में विधेयक को संशोधनों के साथ पारित किया तथा 4 अगस्त, 2016 को लोक सभा को लौटा दिया।

खंड 1

2. पृष्ठ 1, पंक्ति 3 और 4, ''संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015'' शब्द **के स्थान पर** ''संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016'' शब्द **प्रतिस्थापित** किए जाएं।

खंड 9

3. पृष्ठ 2, पंक्ति 36 के **पश्चात्** निम्नलिखित **अंत:स्थापित** किया जाए, अर्थात्:—

''(2) खंड (1) के तहत राज्य को प्रभाजित राशि भारत की संचित निधि का हिस्सा नहीं बनेगी।

(3) जहां खंड (1) के तहत लगाए गए कर के रूप में संगृहीत किसी राशि का प्रयोग अनुच्छेद 246क के तहत किसी राज्य द्वारा लगाए गए कर के भुगतान के लिए किया गया है, ऐसी राशि भारत की संचित निधि का हिस्सा नहीं बनेगी।

(4) जहां अनुच्छेद 246क के तहत किसी राज्य द्वारा लगाए कर के रूप में संगृहीत किसी राशि का प्रयोग खंड (1) के तहत लगाए गए कर के भुगतान के लिए किया गया है, ऐसी राशि भारत की संचित निधि का हिस्सा नहीं बनेगी।''

खंड 10

4. पृष्ठ 3, पंक्ति 6 से 10 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए—

'(ii) खंड (1) के बाद, निम्नलिखित खंडों को प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(1क) अनुच्छेद 246क के खंड (1) के तहत संघ द्वारा संगृहीत कर को भी खंड (2) में प्रदत्त तरीके से संघ और राज्यों के बीच वितरित किया जाए।

(1ख) अनुच्छेद 246क और 269क के खंड (2) के तहत संघ द्वारा लगाए और संगृहीत कर, जिसे अनुच्छेद 246क के खंड (1) के तहत संघ द्वारा लगाए गए कर के भुगतान के लिए प्रयोग किया गया है, और अनुच्छेद 269क के खंड (1) के तहत संघ को प्रभाजित राशि को भी खंड (2) में प्रदत्त तरीके से संघ और राज्यों के बीच वितरित किया जाए।''।

खंड 12

5. पृष्ठ 3, पंक्ति 16, ''संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015'' शब्दों, कोष्ठक और अंकों **के स्थान पर** ''संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016'' शब्दों, कोष्ठक और अंकों को **प्रतिस्थापित** किया जाए।

6. पृष्ठ 3, पंक्ति 33, ''एकीकृत माल और सेवा कर'' शब्दों **के स्थान पर** ''अनुच्छेद 269क के तहत अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान आपूर्तियों पर लगाया गया माल और सेवा कर'' शब्दों, अंकों और अक्षरों को **प्रतिस्थापित** किया जाए।

7. पृष्ठ 4, पंक्ति 35 और 36 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए:—

''(11) माल और सेवा कर परिषद्, परिषद् की सिफारिशें या उसके कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले किसी निम्नलिखित विवाद के अधिनिर्णयन के लिए एक तंत्र स्थापित करेगा—

(क) भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच; अथवा

(ख) भारत सरकार और एक ओर कोई राज्य या राज्यों के बीच और दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच; अथवा

(ग) दो या उससे अधिक राज्यों के बीच।''।

खंड 14

8. यह संशोधन हिन्दी पाठ पर लागू नहीं होता।

खंड 18

9. पृष्ठ 6, पंक्ति 22 से 36 का **लोप** किया जाए।

खंड 19

10. पृष्ठ 7, पंक्ति 3, ''कर सकेगी'' शब्दों **के स्थान पर** ''करेगी'' शब्द **प्रतिस्थापित** किया जाए।

11. पृष्ठ 6, पंक्ति 16-17,—

''ऐसी अवधि के लिए, जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी,'' **के स्थान पर** ''पांच वर्ष की अवधि के लिए'' **प्रतिस्थापित** किया जाए।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. डॉ॰ एम॰ वीरप्पा मोइली
2. श्री सुभाष चंन्द्र बहेड़िया
3. डॉ॰ पी॰ वेणुगोपाल

4. श्री कल्याण बनर्जी
5. श्री तथागत सत्पथी
6. श्री आनंदराव अडसूल
7. डॉ॰ रविन्द्र बाबू
8. श्री ए॰पी॰ जितेन्द्र रेड्डी
9. श्री पी॰ करूणाकरन
10. श्री मेकापति राजमोहन रेड्डी
11. श्री तारिक अनवर
12. श्री राजेश पाण्डेय
13. श्री धर्मेन्द्र यादव
14. श्री प्रेम सिंह चंदूमाजरा
15. श्री जय प्रकाश नारायण यादव
16. श्री सिराजुद्दीन अजमल
17. डॉ॰ हिना विजय कुमार गावित
18. श्री दुष्यंत चौटाला
19. श्री संतोष कुमार
20. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन
21. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा
22. श्री विजय कुामर हांसदाक
23. श्री सी॰एन॰ जयदेवन
24. श्री राजू शेट्टी
25. श्री एडवोकेट जोएस जॉर्ज
26. श्री मल्लिकार्जुन खड़गे

माननीय प्रधान मंत्री ने हस्तक्षेप किया।

श्री अरुण जेटली ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार करने के प्रस्ताव पर सभा में मत-विभाजन हुआ, पक्ष में 450; विपक्ष में शून्य, मतदान में भाग नहीं लिया शून्य। प्रस्ताव सभा की कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत द्वारा पारित हुआ।

लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन संख्या 1 और 2 की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव पर सभा में मत-विभाजन हुआ, पक्ष में 451; विपक्ष में शून्य, मतदान में भाग नहीं लिया शून्य। संशोधन संख्या 1 और 2 सभा की कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत द्वारा पारित हुआ।

लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन पर संख्या 3 की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव पर सभा में मत-विभाजन हुआ, पक्ष में 451; विपक्ष में 02, मतदान में भाग नहीं लिया शून्य। संशोधन संख्या 3 सभा की कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत द्वारा पारित हुआ।

राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन सं॰ 4 के संबंध में श्री भर्तृहरि महताब द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन सं॰ 17 पर सभा में मत-विभाजन हुआ, पक्ष में 21; विपक्ष में 420, मतदान में भाग नहीं लिया 08 तदनुसार, संशोधन अस्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन संख्या 4 से 6 की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव पर सभा में मत-विभाजन हुआ, पक्ष में 435; विपक्ष में 01 मतदान में भाग नहीं लिया शून्य। संशोधन संख्या 4 से 6 सभा की कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत द्वारा पारित हुआ।

लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन संख्या 7 से 11 की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव पर सभा में मत-विभाजन हुआ, पक्ष में 455; विपक्ष में शून्य, मतदान में भाग नहीं लिया शून्य। संशोधन संख्या 7 से 11 सभा की कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत द्वारा पारित हुआ।

श्री अरुण जेटली द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया कि स्वीकृत संशोधनों से यथासंशोधित विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव पर सभा में मत विभाजन हुआ, पक्ष में 450; विपक्ष में शून्य, मतदान में भाग नहीं लिया शून्य। प्रस्ताव सभा की कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों

के दो–तिहाई से अन्यून बहुमत द्वारा पारित हुआ। स्वीकृत संशोधनों द्वारा यथासंशोधित विधेयक संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार अपेधित बहुमत द्वारा पारित किया गया।

रात्रि 7.58 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 9 अगस्त, 2016 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—2304LS(S3)—08-08-2016.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 9 अगस्त, 2016/18 श्रावण, 1938 (शक)

संख्या 173

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने 9 अगस्त, 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किए गए 'भारत छोड़ो' आंदोलन की 74वीं वर्षगांठ के बारे में उल्लेख किया तथा राष्ट्रपिता और स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहूति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

तत्पश्चात्, सदस्यगण शहीदों की स्मृति में सम्मानस्वरूप थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 321 (328 के साथ युग्मित) और 322—325 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 326, 327 और 329—340 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3681—3910 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.02 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 471(अ) जो 29 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र

में प्रकाशित हुई थी तथा जिनके द्वारा यह निदेश दिया गया है कि चीनी का कोई भी व्यवहारी उसके द्वारा चीनी का स्टॉक प्राप्त करने की तारीख से 30 दिन से ज्यादा अवधि के लिए ऐसे स्टॉक का धारण नहीं करेगा तथा उसमें उल्लिखित स्थानों पर उनके सामने दर्शाने गई मात्राओं से अधिक मात्रा में किसी भी समय चीनी स्टॉक में नहीं रखेगा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो 18 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 320(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो 28 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 343(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विनिर्माण और ध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो 27 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 445(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 जो 8 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1357(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) नेशनल सीड्स कोर्पोरेशन लिमिटेड तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, शिमला के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, शिमला का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 77 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, समूह 'क', राजपत्रित, योद्धक पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2015 जो 20 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 54(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, समूह 'ख', राजपत्रित, गैर-योद्धक पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2015 जो 20 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 55(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, समूह 'ख', और समूह 'ग' अराजपत्रित, योद्धक पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2015 जो 20 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 56(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सीमा सुरक्षा बल जल स्कंध समूह 'ग' पद, भर्ती (संशोधन) नियम, 2016, जो 14 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 691(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमा सुरक्षा बल मोटर परिवहन कर्मशाला (अराजपत्रित) समूह 'ख' और समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2016, जो 14 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 692(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सीमा सुरक्षा बल मोटर (इंजीनियरिंग/इलैक्ट्रिकल) समूह 'ख' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2016, जो 14 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 688(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सीमा सुरक्षा बल मोटर इंजीनियरिंग व्यवस्था (सिविल) योद्धक (समूह 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2016, जो 14 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 689(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) सीमा सुरक्षा बल मोटर जल स्कंध समूह 'ख' (योद्धक तकनीकी स्टाफ) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2016, जो 14 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 690(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) सीमा सुरक्षा बल मोटर (इंजीनियरिंग/इलैक्ट्रिकल) समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2016, जो 14 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 693(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(9) पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) संशोधन नियम, 2016, जो 18 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 702(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3 के अंतर्गत जारी विदेशियों विषयक (संशोधन) आदेश, 2016, जो 18 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 703(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) संघ सरकार के विभिन्न शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रसार और विकास तथा इसके प्रगामी प्रयोग में तेजी लाए जाने के लिए कार्यक्रम तथा वर्ष 2014-2015 के लिए इसके कार्यान्वयन के बारे में 46वां वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

(12) (एक) सोसाइटी ऑफ क्रिष्ट ज्योति (नव वाणी स्कूल), वाराणसी के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सोसाइटी ऑफ क्रिष्ट ज्योति (नव वाणी स्कूल), वाराणसी के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) वेटेरीनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2014–2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वेटेरीनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2014–2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की धारा 66 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भारतीय पशु चिकित्सा परिषद पशु चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानदंड (पशु चिकित्सा विज्ञान स्नातक तथा पशुपालन स्नातक पाठ्यक्रम) विनियम, 2016 जो 12 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ 12–5/2015–वीसीआई में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, रायबरेली के वर्ष 2012–2013 और 2013–2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) भाण्डागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 की धारा 52 के अंतर्गत भाण्डागारण विकास और विनियमन प्राधिकारण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें) विनियम, 2016 जो 14 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 694(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) सेंट्रल रेलसाईड वेयरहाउस कंपनी लिमिटेड तथा केन्द्रीय भाण्डागारण निगम के बीच वर्ष 2016–17 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से निम्नलिखित संदेश प्राप्त होने की सूचना दी:—

(1) कि राज्य सभा 1 अगस्त, 2016 को हुई अपनी बैठक में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति में श्री वी॰ हनुमंत राव, श्री अशोक अली टाक, श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद

और श्री राजपाल सिंह सैनी के राज्य सभा से सेवानिवृत्ति के कारण हुई रिक्ति के लिए समिति के कार्यकाल के शेष भाग के लिए समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा के चार सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने की लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई और उसने राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों, जो उक्त समिति के लिए विधिवत निर्वाचित हुए हैं के नामों के बारे में भी सूचित किया—

1. श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद
2. श्री हुसैन दलवई
3. श्री नरेंद्र बुढानिया
4. श्री राजाराम

(2) कि राज्य सभा 1 अगस्त, 2016 को हुई अपनी बैठक में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति में, मंत्री के रूप में श्री रामदास अठावले की नियुक्ति और डॉ॰ विजयलक्ष्मी साधो की सेवानिवृत्ति के कारण हुई रिक्ति के लिए समिति के कार्यकाल के शेष भाग के लिए समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा के दो सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने की लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई और उसने राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों, जो उक्त समिति के लिए विधिवत निर्वाचित हुए हैं, के नामों के बारे में भी सूचित किया:—

1. श्री राम कुमार वर्मा
2. श्री प्रदीप टम्टा

(3) कि राज्य सभा 1 अगस्त, 2016 को हुई अपनी बैठक में लोक लेखा समिति में, श्री विजय गोयल की मंत्री के रूप में नियुक्ति के कारण हुई रिक्ति के लिए समिति के कार्यकाल के शेष भाग के लिए समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा के एक सदस्य को नामनिर्दिष्ट करने की लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई और उसने राज्य सभा के सदस्य, श्री भूपेन्द्र यादव जो उक्त समिति के लिए निर्वाचित हुए हैं, के नाम के बारे में भी सूचित किया।

(4) कि राज्य सभा 1 अगस्त, 2016 को हुई अपनी बैठक में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति में, श्री प्रफुल पटेल और श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह की सेवानिवृत्ति के कारण हुई रिक्ति के लिए समिति के कार्यकाल के शेष भाग के लिए समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा के दो सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने की लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई और उसने राज्य सभा के सदस्यों, श्री प्रफुल पटेल और श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह, जो उक्त समिति के लिए विधिवत, पुन: निर्वाचित हुए हैं, के नामों के बारे में भी सूचित किया।

(5) कि राज्य सभा 8 अगस्त, 2016 को हुई अपनी बैठक में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) दूसरा विधेयक, 2015 संबंधी संयुक्त समिति में, श्री जयराम रमेश, श्री शरद यादव और श्री राजपाल सिंह सैनी की सेवानिवृत्ति के कारण हुई रिक्ति के लिए समिति के कार्यकाल के शेष भाग के लिए समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा के एक सदस्य को नामनिर्दिष्ट करने की लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई और राज्य सभा के सदस्य श्री जयराम नरेश, श्री शरद यादव और वीर सिंह, जो उक्त संयुक्त समिति के लिए विधिवत पुनर्निवाचित/नियुक्त हुए हैं, के नामों के बारे में भी सूचित किया।

(6) कि राज्य सभा ने 8 अगस्त, 2016 को हुई अपनी बैठक में मानसिक स्वास्थ्य देखरेख विधेयक, 2016 पारित किया।

6. विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित—सभा पटल पर रखा गया

मानसिक स्वास्थ्य देखरेख विधेयक, 2016

7. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री भीमराव वसंतराव पाटिल ने सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2015-2016) का आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री भैरों प्रसाद मिश्र ने 'राष्ट्रीय खेल विकास निधि का निष्पादन और खिलाड़ियों की भर्ती तथा पदोन्नति—(भाग-तीन)' के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का 281वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

9. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 10वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(2) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री; संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण

मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 9वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(3) गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने गृह मंत्रालय से संबंधित 'दिल्ली पुलिस के कार्यकरण' के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 176वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के 189वें अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(4) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे—

(एक) 'अनुसूचित जातियों को ठेके में प्राथमिकता' के बारे में डॉ॰ उदित राज, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3616 के संबंध में 11 अगस्त, 2015 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और (2) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) 'जीएफआर 142 और 144 में संशोधन' के बारे में डॉ॰ उदित राज, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1429 के संबंध में 8 दिसंबर, 2015 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और (2) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

10. भारतीय पुनर्वास परिषद् की महापरिषद् के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री थावर चंद गहलोत ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992 (1992 का संख्यांक 34) (2000 में यथासंशोधित) की धारा की धारा 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (ज) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन भारतीय पुनर्वास परिषद् की महापरिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए, उनकी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक या

उनके उत्तरवर्ती की विधिवत नियुक्ति होने तक, जो भी अधिक हो, अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

11. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2016

*अपराह्न 12.22 बजे

12. सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) श्री कांतिलाल भूरिया ने मध्य प्रदेश के कुछ अखबारों में प्रकाशित विज्ञापन में कतिपय अपमानजनक टिप्पणियां होने के बारे में निवेदन किया।

श्री राजनाथ सिंह ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.39 बजे

(दो) डॉ॰ किरीट सोमैया ने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के सैदाबाद स्थित एक विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रगान गाने पर छात्रों पर प्रतिबंध लगाने के कथित मुद्दे के बारे में निवेदन किया। कुमारी शोभा कारांदलाजे, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री अशोक संजर, श्री रोडमल नागर, श्री चंद्रकांत खैरे, श्री रविंद्र कुमार जेना, श्री अश्विनी कुमार चौबे, श्रीमती नीलम सोनकर, श्रीमती जयश्री बेन पटेल, श्री अरविंद सांवत, श्री शिवाजी राव अधलराव पाटिल, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री दद्दन मिश्रा, श्री श्रीकांत एकनाथ शिंदे, श्री राहुल रमेश शेवाले और कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल सहयोजित हुए।

श्री एस॰एस॰ अहलूवालिया ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.58 बजे

(तीन) डॉ॰ ए॰ संपत ने भारतीय स्टेट बैंक के कतिपय विज्ञापनों में हमारे राष्ट्र के संरक्षकों के रूप में कथित रूप से अमरीकी सैनिकों की तस्वीरें दर्शाए जाने के बारे में निवेदन किया। श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री मोहम्मद सलीम, श्रीमती पी॰के॰ श्रीमथि टीचर और श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन सहयोजित हुए।

श्री अनंत कुमार ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 1.19 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.23 बजे पुन: समवेत हुई।)

---

*अपराह्न 12.20 बजे से अपराह्न 1.19 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

अपराह्न 2.20 बजे

13. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

1. श्री रत्न लाल कटारिया द्वारा हरियाणा में एक अलग उच्च न्यायालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
2. श्री अश्विनी कुमार चौबे द्वारा नमामी गंगा परियोजना के क्रियान्वयन के बारे में।
3. श्री लक्ष्मी नारायण यादव द्वारा मध्य प्रदेश के सागर में डॉ॰ हरसिंह गौर विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
4. श्रीदेवजी एम॰ पटेल द्वारा राजस्थान के सिरोही जिला मुख्यालय में रेल संपर्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
5. श्री भैरों प्रसाद मिश्र द्वारा बांदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के ऐतिहासिक स्थलों को देश के पर्यटन मानचित्र पर लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
6. श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया द्वारा राजस्थान के गंगापुर शहर और दौसा के बीच रेल लाइन के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
7. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया द्वारा राजस्थान के भीलवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थानीय वाहनों से न्यूनतम दर पर टोल टैक्स लिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
8. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वासवा द्वारा देश में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में योग्य शिक्षकों को स्थायी तौर पर नियुक्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
9. श्री विष्णु दयाल राम द्वारा झारखंड के पलामू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के विभिन्न बैंकों की शाखाएं स्थापित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
10. श्री फिरोज़ वरुण गांधी द्वारा वायु प्रदूषण संबंधी जानकारी दर्शाए जाने के बारे में।
11. श्री अशोक महादेवराव नेते द्वारा महाराष्ट्र के गड़चिरौली-चिमूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वैनगंगा की सहायक नदियों पर बांधों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

12. श्री दिलीप गांधी द्वारा महाराष्ट्र के अहमदनगर को राष्ट्रीय महत्व का पर्यटक स्थल घोषित किए जाने और इसके समग्र विकास हेतु धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

13. श्री परेश रावल द्वारा युवाओं को एलपीजी डीलरशिप एजेंसी प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

14. श्री एस॰ पी॰ मुद्दाहनुमे गौड़ा द्वारा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हेतु सार्वभौमिक विज्ञापन नीति बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

15. प्रो॰ के॰ वी॰ थॉमस द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत सभी पात्र नागरिकों को समयबद्ध तरीके से आवास उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

16. श्री पी॰ आर॰ सेनथिलनाथन द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अंतर्गत 100 दिन के कार्य की नियत सीमा से अधिक कार्य हेतु कार्य स्थल पर पर्यवेक्षक की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

17. श्री आर॰ के॰ भारती मोहन द्वारा तमिलनाडु में तंजावुर और मइलादुथुरई के बीच रेललाइन का दोहरीकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

18. डॉ॰ तापस मंडल द्वारा वर्तमान में मलेशिया में फंसे युवाओं को वापस लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

19. श्रीमती प्रतिमा मण्डल द्वारा पारम्परिक बंगाली मिठाई जयनगर मोआ को देश के हैरिटेज फूड में से एक घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

20. डॉ॰ प्रभास कुमार सिंह द्वारा ओडिशा में केन्द्र द्वारा प्रायोजित क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु केन्द्रीय सहायता बहाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

21. श्री राहुल शेवाले द्वारा महान स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

22. श्री एम॰ मुरली मोहन द्वारा आन्ध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

23. श्री बी॰ विनोद कुमार द्वारा आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के कार्यान्वयन के बारे में।

24. श्री संतोश कुमार द्वारा नेपाल से निकलने वाली नदियों से आने वाली बाढ़ को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

25. श्री राधेश्याम बिश्वास द्वारा असम की बराक घाटी में राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति के बारे में।

26. श्री दुष्यंत चौटाला द्वारा हिसार से चंडीगढ़ डेमू ट्रेन सेवा आरम्भ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

27. श्री एन॰ के॰ प्रेमचन्द्रन द्वारा केरल में अम्बालामुगल में हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल) को सहायता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.24 बजे

14. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

कर्मचारी प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, 2016

लिया गया समय: 3 घण्टे 48 मिनट

श्री बंडारू दत्तात्रेय द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया:—

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री कोडिकुन्नील सुरेश
2. श्री दुष्यंत सिंह
3. श्री पी॰ नागराजन
4. श्रीमती प्रतिमा मंडल
5. श्री रवीन्द्र कुमार जेना
6. श्री गजानन कीर्तिकर
7. श्री जैदेव गल्ला
8. श्री बी॰ विनोद कुमार
9. डॉ॰ ए॰ सम्पत
10. श्री गौरव गोगोई
11. श्री सुनील कुमार सिंह

12. डॉ॰ वारा प्रसादराव वेलगापल्ली

13. श्री कौशलेन्द्र कुमार

14. श्री दुष्यंत चौटाला

15. श्री राजेश कुमार दिवाकर

16. डॉ॰ अरुण कुमार

17. श्री अजय मिश्रा (टेनी)

18. श्री राजेश रंजन (पप्पू यादव)

19. मौलाना बदरुद्दीन अजमल

20. श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर

21. डॉ॰ सुनील बलीराम गायकवाड़

22. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन

23. श्री अरविन्द सावंत

24. श्री हरिनरायन राजभर

25. प्रो॰ (डॉ॰) ममताज संघमिता

26. श्री रामेश्वर तेली

श्री बंडारू दत्तात्रेय ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3 स्वीकृत हुआ।

खंड 4 तथा 5 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री बंडारू दत्तात्रेय द्वारा विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

सायं 6.12 बजे

केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016

लिया गया समय: 1 घंटा 03 मिनट

श्री राधा मोहन सिंह की ओर से श्री एस॰एस॰ अहलूवालिया द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया—

1. श्री थोकचोम मेन्या
2. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
3. श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान
4. श्री विनायक भाऊराव राऊत
5. श्री राम मोन नायडू किंजरापु
6. श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी
7. डॉ॰ ए॰ सम्पत
8. श्री वाराप्रसाद राव वेलगापल्ली
9. डॉ॰ अरूण कुमार
10. श्री कौशलेंद्र कुमार
11. श्री एंटो एन्टोनी
12. श्री प्रेम सिंह चंदूमाजरा

श्री राधा मोहन सिंह ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 तथा 3 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री राधा मोहन सिंह द्वारा विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

रात्रि 7.15 बजे

(लोक सभा बुधवार, 10 *अगस्त,* 2016 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—2353LS(S3)—09-08-2016.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 10 अगस्त, 2016/19 श्रावण, 1938 (शक)

संख्या 174

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 341—346 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 347—360 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3911—4140 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान अधिनियम, 2012 की धारा 44 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान अध्यादेश, 2016 की पहली युक्तिका जो 6 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰573(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (संशोधन) परिनियम, 2016 का पहला परिनियम जो 10 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 507(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) (एक) टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुम्बई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुम्बई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) संविधान के अनुच्छेद 320 (5) के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 2016 जो 4 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 483(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) चौदहवीं, पंद्रहवीं तथा सोलहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा परिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

चौदहवीं लोक सभा

1. विवरण संख्या 33	सातवां सत्र, 2006
2. विवरण संख्या 29	नौवां सत्र, 2006
3. विवरण संख्या 29	तेरहवां सत्र, 2008
4. विवरण संख्या 27	चौदहवां सत्र, 2008

पंद्रहवीं लोक सभा

5.	विवरण संख्या 27	दूसरा सत्र, 2009
6.	विवरण संख्या 24	तीसरा सत्र, 2009
7.	विवरण संख्या 24	चौथा सत्र, 2010
8.	विवरण संख्या 22	पांचवां सत्र, 2010
9.	विवरण संख्या 21	छठा सत्र, 2010
10.	विवरण संख्या 19	सातवां सत्र, 2011
11.	विवरण संख्या 19	आठवां सत्र, 2011
12.	विवरण संख्या 18	नौवां सत्र, 2011
13.	विवरण संख्या 17	दसवां सत्र, 2012
14.	विवरण संख्या 15	ग्यारहवां सत्र, 2012
15.	विवरण संख्या 14	बारहवां सत्र, 2012
16.	विवरण संख्या 13	तेरहवां सत्र, 2013
17.	विवरण संख्या 11	चौदहवां सत्र, 2013
18.	विवरण संख्या 9	पंद्रहवां सत्र, 2013-14

सोलहवीं लोक सभा

19.	विवरण संख्या 8	दूसरा सत्र, 2014
20.	विवरण संख्या 7	तीसरा सत्र, 2014
21.	विवरण संख्या 6	चौथा सत्र, 2015
22.	विवरण संख्या 4	पांचवां सत्र, 2015
23.	विवरण संख्या 3	छठा सत्र, 2015
24.	विवरण संख्या 1	सातवां सत्र, 2016
25.	विवरण संख्या 1	आठवां सत्र, 2016

(6) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत रेल यात्री सेवा अभिकर्ताओं को प्राधिकृत किया जाना (संशोधन) नियम, 2016 जो 13 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ 1426(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-2016 की तीसरी तिमाही के अंत में बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्तियों की तिमाही समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) अधिसूचना सं॰ 30/2016-के॰उ॰शु॰ जो 10 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सेनवेट क्रेडिट (नौवां संशोधन) नियम, 2016, जो 10 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ 41/2016-के॰उ॰शु॰ (एन॰टी॰) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(10) (एक) ईआरएनईटी इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ईआरएनईटी इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस आशय के संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा 9 अगस्त, 2016 को हुई अपनी बैठक में 1 अगस्त 2016 को लोक सभा द्वारा पारित प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन और ऋणवसूली विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 2016 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

5. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री एस॰एस॰ अहलूवालिया ने कार्य मंत्रणा समिति का 35वां प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा।

6. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी ने अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) 'कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 का संशोधन' के बारे में अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का 12वां प्रतिवेदन।

(2) अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का 13वां प्रतिवेदन।

(3) समिति के दूसरे प्रतिवेदन (2014-15) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई संबंधी 14वां प्रतिवेदन।

(4) 'ई-अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी नियम' के बारे में अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का 15वां प्रतिवेदन।

7. याचिका समिति के प्रतिवेदन

श्री भगत सिंह कोश्यारी ने याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) प्लेटफॉर्मों तथा लोकल ट्रेनों के डिब्बों के बीच काफी दूरी होने के कारण मुम्बई उप-नगरीय ट्रेनों में लोगों के मारे जाने तथा चोटिल होने की भयानक स्थिति के बारे में सर्वश्री मधु कोटियन और जीतेश मतालिया से प्राप्त तथा डॉ॰ किरीट सोमैया, संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा अग्रेसित याचिका के बारे में 13वां प्रतिवेदन।

(2) देश में त्वरित तथा वहनीय न्याय के बारे में श्री एस॰एस॰ कौशल से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में 14वां प्रतिवेदन।

(3) बुलियन या आभूषण की खरीद के लिए किए गए लेन-देन हेतु अनिवार्य रूप से परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) उद्धरित किए जाने के बारे में श्री मनीष जैन से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में 15वां प्रतिवेदन।

(4) श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, शहीद भगत सिंह मार्ग, नई दिल्ली के संबंध में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज (एलएचएमसी) के प्रबंधन द्वारा सुरक्षा सेवाओं के लिए भुगतान जारी न किए जाने के बारे में मैसर्स एम॰एस॰ विजिलेंट सिक्योरिटी, प्लेसमेंट एण्ड डिटेक्टिव सर्विस प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त तथा श्री अजय टम्टा, संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा अग्रेषित अभ्यावेदन के बारे में 16वां प्रतिवेदन।

(5) भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा लोक उद्यम विभाग के मार्गनिर्देशों के उल्लंघन के बारे में कोचीन रिफाइनरीस एम्पलॉइज एसोसिएशन के महासचिव श्री पी॰एन॰ सुरेन्द्रन नायर से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में 17वां प्रतिवेदन।

(6) देश में अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 लागू करने तथा उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में श्री एम॰ साई सम्पत से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में याचिका समिति (16वीं लोक सभा) के 9वें प्रतिवेदन में समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 18वां प्रतिवेदन।

(7) जगतसिंहपुर, उड़ीसा के लघु और सीमांत किसानों को चक्रवात तथा अग्निरोधी मकानों के निर्माण के लिए विशेष पैकेज के लिए प्रावधान किए जाने के बारे में श्री बिष्णु चरण स्वाईं से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में याचिका समिति (16वीं लोक सभा) के 10वें प्रतिवेदन में समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 19वां प्रतिवेदन।

8. महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती विजया चक्रवर्ती ने पब्लिक सेक्टर बैंकों में महिलाओं की कार्यदशाएं' विषय पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में समिति का 7वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. वित्त संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ एम॰ वीरप्पा मोइली ने वित्त संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) 'ग्रामीण/कृषि बैंकिंग तथा फसल बीमा की स्थिति' के बारे में 34वां प्रतिवेदन।

(2) 'संचयी निवेश स्कीम (सीआईएस), चिट फंड आदि के विनियमन की प्रभावकारिता' के बारे में 21वें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 35वां प्रतिवेदन।

(3) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2016-2017) के बारे में 32वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 36वां प्रतिवेदन।

10. खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री सुनील कुमार मंडल ने खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2015-16) के निम्नलिखित की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदनों के अध्याय पांच के संबंध में अंतिम उत्तरों तथा अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शाने वाले अंतिम की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरणों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) को सभा पटल पर रखे:—

(1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2014-2015) और (2015-2016) (सोलहवीं लोक सभा) के बारे में की-गई-कार्रवाई संबंधी 5वां और 8वां प्रतिवेदन।

(2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अनुदानों की मांगों (2014-2015) और (2015-2016) (सोलहवीं लोक सभा) के बारे में की-गई-कार्रवाई संबंधी छठा और सातवां प्रतिवेदन।

11. कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री राकेश सिंह ने कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'लौह तथा इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास' के बारे में 21वां प्रतिवेदन।

(2) खान मंत्रालय से संबंधित 'खनन क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी/अनुसंधान और विकास' के बारे में 22वां प्रतिवेदन।

(3) कोयला मंत्रालय से संबंधित 'कोयला/लिग्नाइट खनन क्षेत्रों में निवासियों/कामगारों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा शिक्षा सुविधाएं' के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) के 14वें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति का 23वां प्रतिवेदन।

12. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री राहुल कस्वां ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) 'सड़क क्षेत्र में अवसंरचना ऋण' के बारे में 236वां प्रतिवेदन।

(2) भारत के विमान पत्तनों में सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के बारे में समिति के 230वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्रवाई के बारे में 237वां प्रतिवेदन।

(3) नागर विमानन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2016–17) के बारे में समिति के 231वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्रवाई के बारे में 238वां प्रतिवेदन।

13. मंत्री द्वारा वक्तव्य

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित उत्तराखंड में भयंकर भूकम्प की कथित भविष्यवाणी के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 265वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.06 बजे

14. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

1. कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2016

2. कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2016

श्री बंडारू दत्तात्रेय ने कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव पेश किया।

सर्वश्री एन०के० प्रेमचंद्रन और शंकर प्रसाद दत्ता ने विधेयक को पुर:स्थापित किए जाने का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा। श्रम और रोजगार के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर दिए।

अध्यक्ष ने सर्वश्री एन०के० प्रेमचन्द्रन और शंकर प्रसाद दत्ता द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर टिप्पणी@ की।

तत्पश्चात् प्रस्ताव स्वीकार हुआ और विधेयक पुर:स्थापित किया गया।

*(लोक सभा अपराह्न 1.15 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.23 बजे पुन: समवेत हुई।)*

@ब्यौरे के लिए कृपया इस दिन का वाद–विवाद देखें।

*अपराह्न 12.16 बजे से अपराह्न 1.15 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

अपराह्न 2.23 बजे

15. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

1. श्री भरत सिंह द्वारा बलिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गंगा नदी पर बने पुल की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
2. श्री रवीन्द्र कुमार राय द्वारा झारखंड में लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
3. श्री जनक राम द्वारा बिहार के गोपालगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में डुमरिया घाट पर नए पुल का निर्माण कार्य तथा पुराने पुल की मरम्मत शीघ्र किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
4. श्री श्यामा चरण गुप्ता द्वारा आपातकाल के दौरान आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (मीसा) के अधीन गिरफ्तार किए गए और जेल भेजे गए राजनेताओं को पेंशन तथा अन्य सुविधाएं दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
5. श्री चिन्तामन नावाशा वांगा द्वारा पृथक मत्स्य पालन और मछुआरा कल्याण विभाग स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
6. श्री विनोद कुमार सोनकर द्वारा उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शमसाबाद में बंद होने के कगार पर पहुंच चुके पीतल उद्योग को पुनरुज्जीवित करने हेतु विशेष पैकेज दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
7. श्रीमती नीलम सोनकर द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों के लिए स्थायी भवन बनाए जाने तथा उनमें नई सुविधाएं शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
8. श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह द्वारा उत्तराखंड में एसएसबी स्वयंसेवकों को रोजगार/पेंशन तथा अन्य लाभ दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
9. श्री लक्ष्मण गिलुवा द्वारा झारखंड की ताँती जाति को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
10. कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा बुंदेलखंड के लोक गायन आल्हा के बढ़ावा देने हेतु महोबा में ''आल्हा गायन सांस्कृतिक केन्द्र'' स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

11. श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा बिहार के औरंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधीन निर्मित सड़कों की मरम्मत कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

12. श्री पशुपति नाथ सिंह द्वारा झारखंड के धनबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन वाले अस्पताल में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

13. श्री रमेन डेका द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रों के व्यवसायीकरण के बारे में।

14. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन द्वारा केरल के मालाबार क्षेत्र में पर्यटन का विकास किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

15. श्री बी॰ एन॰ चन्द्रप्पा द्वारा देश के सभी गांवों में चारा बैंक स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

16. श्री जी॰ हरि द्वारा तमिलनाडु में अरकोणम रेलवे जंक्शन पर सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

17. श्री वी॰ एलुमलाई द्वारा तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 के टिंडीवनम-कृष्णागिरि खंड को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

18. श्री सौगत राय द्वारा जीएसटी उपबंधों के बारे में।

19. श्री इदरिस अली द्वारा पश्चिम बंगाल के बशीर हाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का विकास किए जाने के बारे में।

20. श्रीमती प्रत्यूषा राजेश्वरी सिंह द्वारा ओडिशा के कंधमाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक पुल के निर्माण के लिए केन्द्र सरकार से निधियों की आवश्यकता के बारे में।

21. श्री प्रतापराव जाधव द्वारा महाराष्ट्र के बुलढाणा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की पर्याप्त संख्या में शाखाएं खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

22. श्री जैदेव गल्ला द्वारा आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में पेट्रोल और डीजल की बिक्री हेतु ''पार्शियली रि-साइटेड आउटलेट्स'' की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

23. श्री एम॰बी॰ राजेश द्वारा इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, पलक्कड़ के अधिग्रहण की प्रक्रिया त्वरित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

24. श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर द्वारा भारत में पूर्ण मद्य निषेध की आवश्यकता के बारे में।

25. श्री राम कुमार शर्मा द्वारा देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर शौचालय सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

26. श्री राजू शेट्टी द्वारा महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में इचलकरंजी के पावरलूम क्षेत्र के समक्ष आ रही समस्याओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.24 बजे

16. सरकारी विधेयक — पारित

(एक) कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2016

लिया गया समय : 2 घंटे 15 मिनट

श्री अरुण जेटली द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया। निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री निशिकांत दुबे
2. श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा
3. श्री एस॰आर॰ विजय कुमार
4. प्रो॰ (डॉ॰) सुगत बोस
5. डॉ॰ कुलमणि शामल
6. श्री अरविंद सावंत
7. श्री जैदेव गल्ला
8. श्री पी॰के॰ बीजू
9. एडवोकेट (श्री) नरेन्द्र केशव सावईकर
10. श्री कौशलेन्द्र कुमार
11. श्री एन॰के॰ प्रेमचंद्रन
12. श्री असादुद्दीन ओवेसी
13. डॉ॰ वारा प्रसादराव वेलगापल्ली

14. श्री सुधीर गुप्ता

15. कुमारी सुष्मिता देव

16. डॉ॰ रविन्द्र बाबू

17. श्री अधीर रंजन चौधरी

श्री अरुण जेटली ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3 तथा 4 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अरुण जेटली द्वारा विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 4.39 बजे

(दो) कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2016

लिया गया समय : 2 घंटे 49 मिनट

श्री बंडारु दत्तात्रेय द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया—

1. श्री मल्लिकार्जुन खड़गे
2. श्री रमेश बिधूड़ी
3. श्री टी॰जी॰ वेंकटेश बाबू
4. श्री कल्याण बनर्जी
5. श्री रवीन्द्र कुमार जेना
6. श्री रंग आप्पा बारणे
7. श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव (अवंती)

8. श्री शंकर प्रसाद दत्ता
9. डॉ॰ वारा प्रसादराव वेलगापल्ली
10. श्री कामाख्या प्रसाद तासा
11. श्री राजेश रंजन (पप्पू यादव)
12. डॉ॰ धर्मवीर गांधी
13. श्री कौशलेन्द्र कुमार
14. श्री बी॰ विनोद कुमार
15. श्री दुष्यंत चौटाला
16. श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर
17. श्री हरीश द्विवेदी
18. श्री एन॰के॰ प्रेमचंद्रन
19. श्री (एडवोकेट) जोएस जॉर्ज
20. श्री विनायक भाऊराव राऊत
21. श्री गौरव गोगोई
22. श्रीमती अपरूपा पोद्दार

श्री बंडारू दत्तात्रेय ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

श्री शंकर प्रसाद दत्ता द्वारा खंड 3 के संबंध में पेश किए गए संशोधन सं॰ 8 पर सभा में मत विभाजन हुआ और मत विभाजन का परिणाम था: पक्ष में 17, विपक्ष में 144। तदनुसार संशोधन अस्वीकृत हुआ।

खंड 3 स्वीकृत हुआ।

खंड 4 और 5 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री बंडारु दत्तात्रेय द्वारा विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

रात्रि 7.28 बजे

(*लोक सभा गुरुवार,* 11 *अगस्त,* 2016 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।*)

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—2399LS(S3)—10-08-2016.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 11 अगस्त, 2016/20 श्रावण, 1938 (शक)

संख्या 175

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने पंद्रहवीं लोक सभा के सदस्य श्रीमती राजेश नंदिनी सिंह और तेरहवीं लोक सभा के सदस्य श्री जगन्नाथ मलिक के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 361—365 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 366—380 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 4141—4370 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.02 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सोलर एनर्जी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) एनटीपीसी लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(2) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर्राज्यीय पारेषण में खुला अभिगम) (चौथा संशोधन) विनियम, 2016 जो 5 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-7/105(121)/2007-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अधिसूचना सं॰ एल-1/44/2010-सीईआरसी जो 5 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित मुख्य विनियमों के प्रवर्तन को, जब तक आयोग द्वारा पहले पुनरीक्षित या विस्तारित न किया जाए, अंतर्राज्यीय पारेषण प्रभार और हानि को बांटे जाने के प्रयोजनार्थ पांच वर्ष की और अवधि के लिए जारी रखा गया है।

(3) वर्ष 2015-16 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) इंडियन मैरीटाईम यूनिवर्सिटी, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन मैरीटाईम यूनिवर्सिटी, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन मैरीटाईम यूनिवर्सिटी, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड तथा पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) अंतरदेशीय जलयान अधिनियम, 1917 की धारा 74 की उपधारा (3) के अंतर्गत अंतरदेशीय जलयान (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण तथा अंतरदेशीय जल का

संरक्षण) नियम, 2016 जो 13 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 687(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1917 की धारा 47 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या आईएमयू/एचक्यू/एडीएम/अधिसूचना/2016 जो 20 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय के प्रशासनिक और शैक्षणिक मामलों को शासित करने वाले अध्यादेशों के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 641(अ) जो 30 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा चेन्नई पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा॰का॰नि॰ 642(अ) जो 30 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 का अनुमोदन किया गया है।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 643(अ) जो 30 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 का अनुमोदन किया गया है।

(चार) सा॰का॰नि॰ 644(अ) जो 30 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोचीन पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 का अनुमोदन किया गया है।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 645(अ) जो 30 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 का अनुमोदन किया गया है।

(छह) सा॰का॰नि॰ 647(अ) जो 1 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 का अनुमोदन किया गया है।

(सात) सा॰का॰नि॰ 648(अ) जो 1 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुम्बई पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 का अनुमोदन किया गया है।

(आठ) सा०का०नि० 649(अ) जो 1 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोचीन पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 का अनुमोदन किया गया है।

(नौ) सा०का०नि० 650(अ) जो 1 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुर्मुगांव पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 का अनुमोदन किया गया है।

(दस) सा०का०नि० 651(अ) जो 1 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा तूतीकोरिन पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 का अनुमोदन किया गया है।

(ग्यारह) सा०का०नि० 652(अ) जो 1 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 का अनुमोदन किया गया है।

(बारह) सा०का०नि० 653(अ) जो 1 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 का अनुमोदन किया गया है।

(तेरह) सा०का०नि० 654(अ) जो 1 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 का अनुमोदन किया गया है।

(चौदह) सा०का०नि० 655(अ) जो 1 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 का अनुमोदन किया गया है।

(पन्द्रह) सा०का०नि० 661(अ) जो 5 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा तूतीकोरीन पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 का अनुमोदन किया गया है।

(सोलह) सा०का०नि० 662(अ) जो 5 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 का अनुमोदन किया गया है।

(सत्रह) सा॰का॰नि॰ 663(अ) जो 5 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 का अनुमोदन किया गया है।

(10) राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 की धारा 50 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) राजमार्ग प्रशासन (संशोधन) नियम, 2016 जो 28 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 634(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) का॰आ॰ 1691(अ) जो 10 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में, उसमें उल्लिखित सीमाओं तथा अधिकारिता के भीतर राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 की धारा 24, 25, 26, 27 और 43 के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कृत्यों का निर्वहन करने हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारी को नियुक्त किया गया है।

(तीन) का॰आ॰ 1692(अ) जो 10 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में, उसमें उल्लिखित सीमाओं तथा अधिकारिता के भीतर राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 की धारा 24, 25, 26, 27 और 43 के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कृत्यों का निर्वहन करने हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारी को नियुक्त किया गया है।

(चार) का॰आ॰ 1912(अ) जो 30 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग प्रशासन की स्थापना किए जाने के बारे में है।

(पांच) का॰आ॰ 2188(अ) जो 23 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में, उसमें उल्लिखित सीमाओं तथा अधिकारिता के भीतर राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 की धारा 24, 25, 26, 27 और 43 के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कृत्यों का निर्वहन करने हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।

(11) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) केन्द्रीय मोटर यान (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2015 जो 8 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 546(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय मोटर यान (बारहवां संशोधन) नियम, 2015 जो 14 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 555(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केन्द्रीय मोटर यान (तेरहवां संशोधन) नियम, 2015 जो 19 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 643(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) केन्द्रीय मोटर यान (चौदहवां संशोधन) नियम, 2015 जो 4 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 677(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 2016 जो 1 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 133(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) का॰आ॰ 41(अ) जो 7 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 अक्तूबर, 1996 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 728(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सात) केन्द्रीय मोटर यान (दूसरा संशोधन) नियम, 2016 जो 22 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 188(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) केद्रीय मोटर यान (तीसरा संशोधन) नियम, 2016 जो 16 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 310(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) का॰आ॰ 1328(अ) जो 6 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 अक्तूबर, 1996 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 728(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दस) केन्द्रीय मोटर यान (चौथा संशोधन) नियम, 2016 जो 11 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 412(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) का॰आ॰ 1434(अ) जो 18 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 अक्तूबर, 1996 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 728(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बारह) केन्द्रीय मोटर यान (पांचवा संशोधन) नियम, 2016 जो 2 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 473(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) केन्द्रीय मोटर यान (छठा संशोधन) नियम, 2016 जो 13 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 594(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) केन्द्रीय मोटर यान (सातवां संशोधन) नियम, 2016 जो 24 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 629(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पन्द्रह) केन्द्रीय मोटर यान (आठवां संशोधन) नियम, 2016 जो 12 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 682(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(12) उपर्युक्त (11) की मद संख्या (एक) से (पांच) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —

(एक) का॰आ॰ 1640(अ) जो 4 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 दिसम्बर, 2012 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2921(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का॰आ॰ 1682(अ) जो 9 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 55 पर विशाखापट्टनम से अन्कापल्ली खंड के संबंध में प्रयोक्ता से शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 1980(अ) जो 3 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 26 फरवरी, 2013 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 465(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) का॰आ॰ 2180(अ) जो 22 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 3 पर वर्तमान दो लेन वाली सड़क का 4 लेन वाली सड़क (इंदौर-खालघाट खंड) में विकास, प्रचालन तथा अनुरक्षण करने के लिए शुल्क के संग्रहण और प्रतिधारण हेतु मैसर्स ओरिएंटल पाथवेज़ (इंदौर) प्राइवेट लिमिटेड को प्राधिकृत किया गया है।

(पांच) का॰आ॰ 2181(अ) जो 22 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 74 पर वर्तमान दो लेन वाली सड़क का 4 लेन वाली सड़क (काशीपुर-सितारगंज खंड) में विकास, प्रचालन तथा अनुरक्षण करने के लिए शुल्क के संग्रहण और प्रतिधारण हेतु मैसर्स काशीपुर-सितारगंज हाईवेज़ प्राइवेट लिमिटेड को प्राधिकृत किया गया है।

(छह) का॰आ॰ 1178(अ) जो 22 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सात) का॰आ॰ 2099(अ) जो 14 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।

(आठ) का॰आ॰ 1304(अ) जो 4 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।

(नौ) का॰आ॰ 1305(अ) जो 4 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 9 फरवरी, 2016 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 420(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(दस) का॰आ॰ 1306(अ) जो 4 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(ग्यारह) का॰आ॰ 2368(अ) जो 12 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बारह) का॰आ॰ 2298(अ) जो 4 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 19 मई, 2016 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1840(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(तेरह) का॰आ॰ 1930(अ) जो 1 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौदह) का॰आ॰ 1931(अ) जो 1 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पन्द्रह) का॰आ॰ 2379(अ) जो 12 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सोलह) का॰आ॰ 1176(अ) जो 22 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सत्रह) का॰आ॰ 1177(अ) जो 22 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अठारह) का॰आ॰ 1303(अ) जो 4 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 9 फरवरी, 2016 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 418(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(14) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 की धारा 11 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —

(एक) का॰आ॰ 1621(अ) जो 3 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 26 अप्रैल, 2002 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 465(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का॰आ॰ 1622(अ) जो 3 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का॰आ॰ 2378(अ) जो 12 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में राजमार्ग संख्या 50 (होस्पेट-चित्रादुर्गा खंड) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(चार) का॰आ॰ 1175(अ) जो 22 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र और उत्तर प्रदेश राज्य में राजमार्ग संख्या 24 (दिल्ली-गाजियाबाद खंड) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(15) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 110 की उप-धारा (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 3157(अ) जो 24 नवंबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो विनिर्माण उपस्कर वाहनों को केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 47 के उपनियम (3) तथा नियम 49 के उपनियम (2) तथा नियम (126-ग) के उपबंधों से 31 मार्च, 2016 तक छूट दिए जाने के बारे में है, की एक प्रति।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 9 की उप-धारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण तथा संग्रहण) संशोधन नियम, 2016 जो 8 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 585(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति।

(18) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एण्ड लैण्ड मैनेजमेंट, तेजपुर के वर्ष 2013-14 और 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एण्ड लैण्ड मैनेजमेंट, तेजपुर के वर्ष 2013-14 और 2014-15 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा नागर विमानन मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —

(एक) वायुयान (पहला संशोधन) नियम, 2016 जो 5 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 399(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) वायुयान (दूसरा संशोधन) नियम, 2016 जो 10 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 494(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(22) जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 2224(अ) जो 28 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 14 जनवरी, 2016 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 126(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधनियम, 1987 की धारा 4 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 2225(अ) जो 28 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित स्टैंडिंग एडवाइजरी कमेटी का गठन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

***5. राज्य सभा से संदेश**

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

1. कि राज्य सभा 11 अगस्त, 2016 को हुई अपनी बैठक में 9 अगस्त, 2016 को लोक सभा द्वारा पारित केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

2. कि राज्य सभा ने 11 अगस्त, 2016 को हुई अपनी बैठक में प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया।

---

*सायं 6.03 बजे।

***6. राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक—सभा पटल पर रखा गया**

प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 2016

7. प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी ने प्राक्कलन समिति (2016-17) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय से संबंधित 'ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का मूल्यांकन' के बारे में दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 16वां प्रतिवेदन।

(2) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय से संबंधित 'ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रम की पुनरीक्षा' के बारे में आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 17वां प्रतिवेदन।

(3) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित 'पंचायती राज' के बारे में 18वां प्रतिवेदन।

(4) जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण मंत्रालय से संबंधित 'भू-जल में आर्सेनिक की उच्च मात्रा की उपस्थिति' के बारे में पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 19वां प्रतिवेदन।

8. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की बैठकों का कार्यवाही सारांश

श्री पी॰ करूणाकरन ने सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की क्रमश: 24 फरवरी, 2016 और 2 अगस्त, 2016 को आयोजित चौथी और पांचवीं बैठकों का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

9. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित लम्बित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में 36वां प्रतिवेदन।

---

*सायं 6.03 बजे।

(2) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित लम्बित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में 37वां प्रतिवेदन।

(3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (भेषज विभाग) से संबंधित लम्बित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में 38वां प्रतिवेदन।

(4) आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों के बारे में 39वां प्रतिवेदन (माने गए)।

(5) आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों के बारे में 40वां प्रतिवेदन (न माने गए)।

10. रेल अभिसमय समिति के प्रतिवेदन

श्री भर्तृहरि महताब ने रेल अभिसमय समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) 'आईआरएफसी की भूमिका तथा भारतीय रेल की वित्तपोषण विकास आवश्यकताओं में एसपीवी प्रविधि का प्रयोग' के बारे में चौथा प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

(2) 'सड़क तथा विमान परिवहन की तुलना में रेल यातायात का हिस्सा' के बारे में 5वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

11. लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

डॉ॰ सत्यपाल सिंह ने लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का 9वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

12. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी ने निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किए:—

(1) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) से संबंधित 'केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा उनका नियोजन' के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) विद्युत मंत्रालय से संबंधित 'भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा उनका प्रतिनिधित्व' के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

13. कृषि संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री विरेन्द्र सिंह ने कृषि संबंधी स्थायी समिति (सोलहवीं लोक सभा) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के 'मेगा फूड पार्क' विषय पर समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 27वां प्रतिवेदन।

(2) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) के 'ग्रामीण गोदाम स्कीम के माध्यम से ग्रामीण भंडारण अवसंरचना को सुदृढ़ करना' विषय पर 28वां प्रतिवेदन।

(3) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) के 'देश में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रभाव' विषय पर 29वां प्रतिवेदन।

(4) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2016-17)' के बारे में 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 30वां प्रतिवेदन।

14. कृषि संबंधी स्थायी समिति का विवरण

श्री विरेन्द्र सिंह ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2014-15)' के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति (2014-15) के चौथे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति के 17वें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की गई आगे की कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

15. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2015-16) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित 'रिवाइवल ऑफ इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज (आईटीआई) लिमिटेड' के बारे में समिति के 9वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 27वां प्रतिवेदन।

(2) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित 'डाक विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी को प्रारंभ करना तथा उसका आधुनिकीकरण करना' के बारे में समिति के 10वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 28वां प्रतिवेदन।

(3) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित 'डाक विभाग में व्यवसाय विकास तथा विपणन रणनीति' के बारे में समिति के 11वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 29वां प्रतिवेदन।

16. श्रम संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार ने 'एमटीएनएल में स्थायी प्रकृति के कार्यों के लिए संविदात्मक/नैमित्तिक/सफाई कर्मकारों की तैनाती' के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति का 19वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

17. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री प्रहलाद जोशी ने 'कोल बेड मीथेन (सीबीएम) का उत्पादन' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का 14वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

18. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का विवरण

श्री प्रहलाद जोशी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के 'एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल और बायो-डीजल नीति' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (सोलहवीं लोक सभा) (2015-16) के 7वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 11वें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) के अध्याय एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

19. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन

श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी ने रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रो रसायन विभाग) के 'पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रो रसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआरएस)' के बारे में 17वें प्रतिवेदन

(16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 25वां प्रतिवेदन।

(2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2016-17)' के बारे में 21वें प्रतिवदेन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 26वां प्रतिवेदन।

20. कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री राकेश सिंह ने कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) खान मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2014-2015)' के बारे में दूसरे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) के 12वें प्रतिवदेन के अध्याय एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की' गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

(2) खान मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2015-2016)' के बारे में आठवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) के 16वें प्रतिवेदन के अध्याय एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

(3) कोयला मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2014-2015)' के बारे में पहले प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) के 11वें प्रतिवदेन के अध्याय एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

(4) कोयला मंत्रालय से संबंधित 'कोयला मूल्य निर्धारण तथा कोयला स्वत्व शुल्क से संबंधित मुद्दे' के बारे में 49वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) के 10वें प्रतिवेदन के अध्याय एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

(5) कोयला मंत्रालय से संबंधित 'कोयला/लिगनाइट ब्लॉकों का आबंटन, विकास तथा कार्य-निष्पादन के बारे में 31वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के 42वें प्रतिवेदन के अध्याय एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

(6) इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2014-2015)' के बारे में तीसरे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) के 13वें प्रतिवेदन के अध्याय एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

(7) इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2015-2016)' के बारे मे 9वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) के 17वें प्रतिवेदन के अध्याय एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

(8) इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'लौह अयस्क के निर्यात नीति की समीक्षा' के बारे में 38वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के 53वें प्रतिवेदन के अध्याय एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

21. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री रमेश बैस ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंध स्थायी समिति (2015-16) के 'राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) के कार्यकरण की समीक्षा' के बारे में 31वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

22. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री रमेश बैस ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (विकलांगजन सशक्तीकरण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों

पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति-2015-16 (16वीं लोक सभा) के की गई कार्रवाई संबंधी 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

(2) जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति-2015-16 (16वीं लोक सभा) के की गई कार्रवाई संबंधी 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

(3) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में 14वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति-2015-16 (16वीं लोक सभा) के की गई कार्रवाई संबंधी 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

(4) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति-2015-16 (16वीं लोक सभा) के की गई कार्रवाई संबंधी 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

23. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(एक) विकलांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में समिति के 17वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) विकलांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में समिति के 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(एक) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) (मांग सं॰ 12) के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 117वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) (मांग सं॰ 12) के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 117वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में समिति के 120वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(3) नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री ने नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 225वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.15 बजे

24. ध्यानाकर्षण

श्री योगी आदित्यनाथ ने देश में, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफेलाईटिस के फैल जाने से उत्पन्न स्थिति की और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने इस संबंध में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर दिए।

*अपराह्न 12.50 बजे

25. प्रस्ताव

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 10 अगस्त, 2016 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के पैंतीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(*लोक सभा अपराह्न* 1.34 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.37 *बजे पुन: समवेत हुई।*)

---

*अपराह्न 12.53 बजे से अपराह्न 01.34 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

अपराह्न 2.37 बजे

26. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

1. श्री बोध सिंह भगत द्वारा बाढ़ से विशेषकर मध्य प्रदेश के बालाघाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हुई जान और माल की क्षति से प्रभावित लोगों को मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
2. डॉ॰ सत्यपाल सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के बागपत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक विश्व स्तरीय खेलकूद केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
3. श्री प्रह्लाद जोशी द्वारा दक्षिण-पश्चिम रेलवे में प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं के बारे में एक वक्तव्य।
4. श्री मुकेश राजपूत द्वारा उत्तर प्रदेश में राज्य राजमार्ग संख्या 29 को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने और इसे चार लेन में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
5. डॉ॰ भोला सिंह द्वारा बिहार के मूंगेर को साहेबपुर कमाल के साथ जोड़ने वाले रेल-सह-सड़क पुल के निर्माण के लिए जिन परिवारों की भूमि का अधिग्रहण किया था, उन्हें रोजगार दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
6. श्री प्रह्लाद सिंह पटेल द्वारा खुले आसमान के नीचे खाद्यान्नों के भंडारण और निजी भंडार मालिकों की खराब वित्तीय स्थिति के बारे में।
7. श्री दद्दन मिश्रा द्वारा उत्तर प्रदेश में बलरामपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अटल आदर्श स्टेशन, बलरामपुर रखे जाने की आवश्यकता के बारे में।
8. श्री अजय निषाद द्वारा बिहार के मुज्जफरपुर में एक पासपोर्ट कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में
9. श्री कुंवर भारतेन्द्र सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के बिजनौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत गंगा और सोनाली नदियों जिनके कारण क्षेत्र के गांवों में बाढ़ आती है, के मार्ग को विनियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

10. डॉ॰ रमेश पोखरियाल 'निशंक' द्वारा उत्तराखंड में ऋषिकेश स्थित एम्स में एक क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में

11. श्री राम टहल चौधरी द्वारा द्वारा झारखंड के रांची में स्थित हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन के बकाए का भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में

12. डॉ॰ उदित राज द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के उन लोगों जिन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया है, को आरक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

13. डॉ॰ शशि थरूर द्वारा त्रिवेन्द्रम सेंट्रल स्टेशन के लिए अविलम्ब बजटीय और प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के बारे में।

14. श्री गौरव गोगोई द्वारा असम में बाढ़ से निपटने के बारे में।

15. श्री एम॰ चन्द्राकाशी द्वारा तमिलनाडु के अरियालुर में एक काजू निर्यात क्षेत्र और पिचावरम में एक मैनग्रोव रिसर्च सेंटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

16. श्री टी॰जी॰ वेंकटेश बाबू द्वारा तमिलनाडु में थिरुवोत्रियूर और वीमको नगर के बीच चौथी रेल लाइन के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

17. श्रीमती ममता ठाकुर द्वारा पूववर्ती पाकिस्तान/बंगलादेश के शरणार्थियों के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में।

18. श्री बलभद्र माझी द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत भू-अधिकारों का दावा करने के लिए पात्रता मानदंडों को निर्धारित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

19. श्री अरविंद सावंत द्वारा अर्जुन पुरस्कार प्राप्त ओलम्पियन बॉक्सर मनोज कुमार को एक उपयुक्त सरकारी नौकरी दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

20. श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव द्वारा आंध्र प्रदेश में सहकारी चीनी कारखानों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

21. एडवोकेट जोएस जॉर्ज द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के कल्याण के लिए बनाए गए कार्यक्रमों का प्रभावी और समय पर क्रियान्वयन किए जाने की आवश्याकता के बारे में।

अपराह्न 2.38 बजे

%**27. नियम 193 के अधीन चर्चा**

लिया गया समय: 5 घंटे 25 मिनट

उपाध्यक्ष ने सभा को सूचित किया कि श्री पी॰ करुणाकरन, जिन्हें देश में दलितों के प्रति अत्याचार के बारे में नियम 193 के अधीन चर्चा प्रारंभ करनी थी, ने अध्यक्ष से अनुरोध किया था कि श्री पी॰के॰ बीजू को उनकी ओर से चर्चा प्रारंभ करने की अनुमति दी जाए और अध्यक्ष ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है।

तदनुसार, श्री पी॰के॰ बीजू ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. डॉ॰ के॰एच॰ मुनियप्पा
2. डॉ॰ उदित राज
3. डॉ॰ के॰ गोपाल
4. प्रो॰ सौगत राय
5. श्री भर्तृहरि महताब
6. श्री सदाशिव लोखंडे

@7. श्री अर्जुन राम मेघवाल

*8. डॉ॰ यशवंत सिंह

*9. सुश्री साध्वी सावित्री बाई फूले

*10. श्री कमलेश पासवान

*11. श्रीमती जयश्री बेन पटेल

12. डॉ॰ रविन्द्र बाबू

*13. श्री आर॰ ध्रुवनारायण

%श्री एस॰एस॰ अहलूवालिया, राज्य मंत्री, संसदीय कार्य ने उपाध्यक्ष से अनुरोध किया कि आज की कार्य सूची की मद सं॰ 35 पहले ली जा सकती है। माननीय उपाध्यक्ष ने सभा की भावना की जानकारी ली और सभा सहमत हुई।

@मंत्री।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

, *14. श्री डी॰के॰ सुरेश

*15. श्री पी॰आर॰ सुंदरम

*16. श्री वाई॰वी॰ सुब्बारेड्डी

17. डॉ॰ (प्रो॰) ए॰ सीताराम नाइक

*18. श्रीमती पूनमबेन माडम

*19. डॉ॰ कुलमणि सामल

*20. डॉ॰ सुनील बलराम गायकवाड़

@21. श्री एम॰ वैंकैय्या नायडू

*22. श्री नारणभाई काछड़िया

*23. डॉ॰ (श्रीमती) रत्ना डे (नाग)

, *24. श्री जुगल किशोर शर्मा

*25. श्री एस॰पी॰ मुद्दाहनुमेगौडा

*26. श्रीमती वी॰ सत्यबामा

27. डॉ॰ वाराप्रसादराव वेलगापल्ली

*28. प्रो॰ रिचर्ड हे

*29. (प्रो॰) डॉ॰ ममताज संघमिता

*30. डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार

*31. श्री गोपाल शेट्टी

32. श्रीमती सुप्रिया सुले

@33. श्री रामदास अठावले

, *34. श्री रत्न लाल कटारिया

*35. डॉ॰ जे॰ जयवर्धन

36. श्री धर्मेन्द्र यादव

37. श्री धर्मवीर गांधी

38. श्री राजेश रंजन (पप्पू यादव)

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

@मंत्री।

39. श्री सिराजुद्दीन अजमल

@40. श्री रामविलास पासवान

*41. श्री भैरों प्रसाद मिश्र

42. श्री कौशलेन्द्र कुमार

43. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन

, *44. श्री चरणजीत सिंह रोड़ी

*45. श्री बी॰एन॰ चंद्रप्पा

*46. श्री वीरेन्द्र कश्यप

47. श्री असादुद्दीन ओवैसी

48. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया

*49. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे

*50. श्री कोडिकुन्नील सुरेश

*51. कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल

श्री राजनाथ सिंह ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा समाप्त हुई।

रात्रि 8.08 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 12 अगस्त, 2016 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र
महासचिव

@मंत्री।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

GMGIPMRND—2430LS(S3)—11-08-2016.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 12 अगस्त, 2016/21 श्रावण, 1938 (शक)

संख्या 176

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 381—387 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 388—400 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 4371—4600 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 3 के अंतर्गत वर्ष 2016-2017 के लिए मध्यम अवधि व्यय ढांचा संबंधी विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) इंडियन रेड क्रास सोसाइटी, नई दिल्ली के 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, अल्मोड़ा के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, अल्मोड़ा के वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, मुम्बई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, मुम्बई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कार्यकरण के बारे में समेकित प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अंतर्गत पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 जो 17 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/1 में प्रकाशित हुए थे।

(8) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 40 की उपधारा (5) के अंतर्गत वर्ष 2014-2015 के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) डिपोसिट इंश्योरेंस एण्ड क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन, मुम्बई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(11) (एक) नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट, मुम्बई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट, मुम्बई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) आईडीबीआई बैंक, मुम्बई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(13) बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1985 द्वारा यथासंशोधित भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 40 की उप-धारा (4) तथा बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1985 द्वारा यथासंशोधित भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 43 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(14) (एक) लाईफ इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया, मुम्बई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लाईफ इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया, मुम्बई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) लाईफ इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया, मुम्बई के वर्ष 2015-2016 के 46वां मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1641(अ) जो 4 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल राज्य में

एर्नाकुलम में ऋण वसूली अधिकरण की स्थापना की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) आयकर (दूसरा संशोधन) नियम, 2016, जो 17 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 502(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आयकर (5वां संशोधन) नियम, 2016, जो 15 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1101(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) आयकर (8वां संशोधन) नियम, 2016, जो 23 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1206(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का॰आ॰ 1948 (अ) जो 2 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 20 अगस्त, 1998 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 709(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) आयकर (16वां संशोधन) नियम, 2016, जो 22 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2179(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) आयकर (19वां संशोधन) नियम, 2016, जो 28 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2226(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(18) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 727(अ) जो 26 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित सनसेट समीक्षा जांच के परिणाम आने तक उसमें उल्लिखित कतिपय रबर केमिकल्स के आयात पर लगाए गए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण को और एक वर्ष की अवधि तक अर्थात् 27 जुलाई, 2017 जिसमें यह तारीख भी शामिल

है, तक बढ़ाना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(19) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 524(अ) जो 17 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिनका आशय द्विपक्षीय व्यवस्था के अंतर्गत भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा सुगम बनाए जाने वाली धार्मिक तीर्थयात्रा के संबंध में विनिर्दिष्ट संगठनों द्वारा 1.7.2012 से 19.8.2014 की अवधि के दौरान प्रदान की गई सेवा, जब उस अवधि के संबंध में उक्त सेवा पर सेवा कर का संदाय किए जाने का प्रचालन नहीं था, के संबंध में वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66ख के अंतर्गत देय सेवाकर में छूट प्रदान करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(20) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 10 की उपधारा (8) के अंतर्गत निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2015-16 के लिए इलाहाबाद बैंक के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(दो) वर्ष 2015-16 के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(तीन) वर्ष 2015-16 के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(चार) वर्ष 2015-16 के लिए देना बैंक के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(पांच) वर्ष 2015-16 के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(छह) वर्ष 2015-16 के लिए पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(सात) वर्ष 2015-16 के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(आठ) वर्ष 2015-16 के लिए यूको बैंक के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(नौ) वर्ष 2015-16 के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(दस) वर्ष 2015-16 के लिए केनरा बैंक के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(ग्यारह) वर्ष 2015-16 के लिए कार्पोरेशन बैंक के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(बारह) वर्ष 2015-16 के लिए इंडियन बैंक के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(तेरह) वर्ष 2015-16 के लिए ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(चौदह) वर्ष 2015-16 के लिए सिंडिकेट बैंक के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(पन्द्रह) वर्ष 2015-16 के लिए यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(सोलह) वर्ष 2015-16 के लिए विजया बैंक के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(सत्रह) वर्ष 2015-16 के लिए आंध्रा बैंक के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(अठारह) वर्ष 2015-16 के लिए बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(उन्नीस) वर्ष 2015-16 के लिए पंजाब और सिंध बैंक के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(21) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषकों, विष और अवशिष्ट) (संशोधन) विनियम, 2015 जो 12 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं॰ 1-99/1/एसपी (संदूषक)/एफएसएसएआई/ 2009 में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धि पत्र जो 12 फरवरी, 2016 की अधिसूचना संख्या एफ सं॰ 1-99/एसपी/(संदूषक)/ एफएसएसएआई/2009 में प्रकाशित हुआ है।

(दो) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (केन्द्रीय सलाहकार समिति के कारबार के संव्यवहार की प्रक्रिया) पहला संशोधन विनियम, 2016 जो 29 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं॰ 1-61/1/एफएसएसएआई/टीआर बिजनेस सीएसी/रेग/2015 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषकों, विष और अवशिष्ट) तीसरा संशोधन विनियम, 2016 जो 4 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं॰ पी॰ 15025/264/13-पीए/एफएसएसएआई में प्रकाशित हुए थे।

(चार) खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) दूसरा संशोधन विनियम, 2016 जो 25 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं॰ 1-(94)2015/अधिसूचना पी एण्ड एल/ईएनफ/ एफएसएसएआई में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) तीसरा संशोधन विनियम, 2016 जो 14 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पी॰ 15-03/ईएनफ/एफएसएसएआई/ 2014 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) दूसरा संशोधन विनियम, 2016 जो 4 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 03-16/विनिर्दिष्ट खाद्य/अधिसूचना (खाद्य योजक)/एफएसएसएआई-2014 में प्रकाशित हुए थे।

(22) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 20 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई कार्रवाई ज्ञापन।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उप-धारा (3) के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल, अभियांत्रिकी (सिविल) योद्धक (समूह 'ख' पद) भर्ती संशोधन नियम, 2016 जो 3 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 761(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, इम्फाल के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, इम्फाल के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखाओं प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, इम्फाल के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुम्बई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(28) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (नगरपालिकाओं द्वारा ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और उन्हें सूचीबद्ध करना) विनियम, 2015 जो दिनांक 15 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/जीएन/ 2015-16/006 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) एसईबीआई(पूंजी का निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2015 जो दिनांक 11 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एसईबीआई/एलएडी/ एनआरओ/जीएन/2015-16/007 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) (चौथा संशोधन) विनियम, 2015 जो दिनांक 14 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2015-16/008 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और उनका ग्रहण) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2015 जो दिनांक 14 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2015-16/009 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साधारण शेयरों को सूची से बाहर करना) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2015 जो दिनांक 14 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2015-16/010 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियम, 2015 जो दिनांक 14 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एसईबीआई/एलएडी/ एनआरओ/जीएन/2015-16/011 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2015 जो दिनांक 14 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2015-16/012 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (बाध्यताओं को सूचीबद्ध करना और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 जो दिनांक 2 सितंबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2015-16/013 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) अधिसूचना सं॰ एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/जीएन/ 2015-16/014 जो दिनांक 4 सितंबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी तथा जिसके द्वारा ''एमसीएक्स स्टाक एक्सचेंज लिमिटेड'' को ''मेट्रोपोलिटन स्टाक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड'' के रूप में पुनर्नामित किया गया है।

(दस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टाक एक्सचेंज पर विनियामक शुल्क) (संशोधन) विनियम, 2015 जो दिनांक 8 सितंबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2015-16/015 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) प्रतिभूति संविदाएं (विनिमय) (स्टाक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2015 जो दिनांक 8 सितंबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2015-16/016 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टाक ब्रोकर और सब-ब्रोकर) (संशोधन) विनियम, 2015 जो दिनांक 8 सितंबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एसईबीआई/एडी/एनआरओ/जीएन/2015-16/017 में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम, पूंजी और प्रकटन अपेक्षाएं) (छठा संशोधन) विनियम, 2015 जो दिनांक 10 सितंबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2015-16/018 में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) अधिसूचना सं॰ एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/जीएन/ 2015-16/019 जो दिनांक 14 सितंबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड की मान्यता का नवीकरण किए जाने के बारे में है।

(पंद्रह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (तलाशी और अभिग्रहण की प्रक्रिया) निरसन विनियम, 2015 जो दिनांक 17 सितंबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2015-16/020 में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी प्रसुविधा) (संशोधन) विनियम, 2015 जो दिनांक 18 सितंबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2015-16/021 में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) अधिसूचना सं॰ एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/जीएन/ 2015-16/022 जो दिनांक 1 अक्तूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो राष्ट्रीय प्रतिभूति समाशोधन निगम लिमिटेड की मान्यता का नवीकरण किए जाने के बारे में है।

(अठारह) अधिसूचना सं॰ एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/जीएन/ 2015-16/023 जो दिनांक 1 अक्तूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड की मान्यता का नवीकरण किए जाने के बारे में है।

(उन्नीस) अधिसूचना सं॰ एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/जीएन/ 2015-16/024 जो दिनांक 1 अक्तूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो एमसीएक्स-एसएक्स समाशोधन निगम लिमिटेड की मान्यता का नवीकरण किए जाने के बारे में है।

(बीस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) (सातवां संशोधन) विनियम, 2015 जो दिनांक 28 अक्तूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2015-16/025 में प्रकाशित हुए थे।

(इक्कीस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और उनका ग्रहण) (चौथा संशोधन) विनियम, 2015 जो दिनांक 22 दिसंबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2015-16/026 में प्रकाशित हुए थे।

(बाईस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (बाध्यताओं को सूचीबद्ध करना और प्रकटन अपेक्षाएं) (चौथा संशोधन) विनियम, 2015 जो दिनांक 22 दिसंबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/जीएन/ 2015-16/027 में प्रकाशित हुए थे।

(तेईस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (बाध्यताओं को सूचीबद्ध करना और प्रकटन अपेक्षाएं) (संशोधन) विनियम, 2016 जो दिनांक 25 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2016-17/001 में प्रकाशित हुए थे।

(चौबीस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और उनका ग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016 जो दिनांक 25 मई, 2016 के

भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/ जीएन/2016-17/002 में प्रकाशित हुए थे।

(पच्चीस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2016 जो दिनांक 25 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/ जीएन/2016-17/003 में प्रकाशित हुए थे।

(छब्बीस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्ध करना) (संशोधन) विनियम, 2016 जो दिनांक 25 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/ जीएन/2016-17/004 में प्रकाशित हुए थे।

(सत्ताईस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयरों का निर्गम और सूचीबद्ध करना) (संशोधन) विनियम, 2016 जो दिनांक 25 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/ जीएन/2016-17/005 में प्रकाशित हुए थे।

(अट्ठाईस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2016 जो दिनांक 25 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एसईबीआई/एलएडी/ एनआरओ/जीएन/2016-17/006 में प्रकाशित हुए थे।

(उनतीस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और भागीदार) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2016 जो दिनांक 27 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2016-17/007 में प्रकाशित हुए थे।

(तीस) अधिसूचना सं॰ एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/जीएन/ 2015-16/028 जो दिनांक 6 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो बोर्ड का स्थानीय कार्यालय जम्मू में स्थापित किए जाने के बारे में है।

(इकतीस) प्रतिभूति संविदाएं (विनिमय) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2016 जो दिनांक 11 जनवरी, 2016 के भारत के

राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2015-16/029 में प्रकाशित हुए थे।

(बत्तीस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साधारण शेयरों को सूची से बाहर करना) (संशोधन) विनियम, 2016 जो दिनांक 12 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2015-16/030 में प्रकाशित हुए थे।

(तैंतीस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) (संशोधन) विनियम, 2016 जो दिनांक 21 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2015-16/031 में प्रकाशित हुए थे।

(चौंतीस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और भागीदार) (संशोधन) विनियम, 2016 जो दिनांक 21 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2015-16/032 में प्रकाशित हुए थे।

(पैंतीस) अधिसूचना सं॰ एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/जीएन/ 2015-16/033 जो दिनांक 21 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो एमसीएक्स-एसएक्स समाशोधन निगम लिमिटेड की मान्यता का नवीकरण किए जाने के बारे में है।

(छत्तीस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) (संशोधन) विनियम, 2016 जो दिनांक 12 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एसईबीआई/एलएडी/ एनआरओ/जीएन/2015-16/034 में प्रकाशित हुए थे।

(सैंतीस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और उनका ग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2016 जो दिनांक 18 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2015-16/035 में प्रकाशित हुए थे।

(अड़तीस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016 जो दिनांक 18 फरवरी, 2016 के भारत

के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2015-16/036 में प्रकाशित हुए थे।

(उनतालीस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विनियम) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016 जो दिनांक 15 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2015-16/037 में प्रकाशित हुए थे।

(चालीस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और भागीदार) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016 जो दिनांक 15 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एसईबीआई/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2015-16/038 में प्रकाशित हुए थे।

(29) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) कंपनी (विस्तृत व्यवसाय रिपोर्टिंग भाषा में दस्तावेज तथा प्ररूपों को दायर करना) संशोधन नियम, 2016 जो 5 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 397(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कंपनी (पंजीकरण कार्यालय और शुल्क) संशोधन नियम, 2016 जो 7 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 493(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) कंपनी (पंजीकरण के लिए प्राधिकृत) संशोधन नियम, 2016 जो 31 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 563(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) कंपनी (निक्षेपों की स्वीकृति) संशोधन नियम, 2016 जो 29 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 639(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) कंपनी (प्रबंधन के व्यक्तियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) संशोधन नियम, 2016 जो 30 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 646(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) कंपनी (लागत अभिलेख और लेखा परीक्षा) संशोधन नियम, 2016 जो 14 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 695(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) कंपनी (शेयर पूंजी और ऋण पत्र) तीसरा संशोधन नियम, 2016 जो 19 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 704(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) कंपनी (कठिनाइयों का निराकरण) तीसरा आदेश, 2016 जो 30 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 2264(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(30) उपर्युक्त (29) की मद सं॰ (एक) से (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 79 की उपधारा (3) के अंतर्गत सीमित दायित्व भागीदारी (दूसरा संशोधन) नियम, 2016 जो 10 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 593(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) (एक) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 18 की उपधारा (2) के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुम्बई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रतिभूमि और विनिमय बोर्ड, मुम्बई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2016 का संख्यांक 22)-स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन स्कीम, 2013 (अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर) राजस्व विभाग।

(दो) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (सिविल) (2016 का संख्यांक 23)—प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की निष्पादन लेखा परीक्षा, ग्रामीण विकास मंत्रालय।

(तीन) मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (सिविल) (2016 का संख्यांक 24)—(अनुपालन लेखा परीक्षा टिप्पणियां) विधान मंडल रहित संघराज्य क्षेत्र।

(चार) मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2016 का संख्यांक 25)—(अनुपालन लेखा परीक्षा) पहल (डीबीटीएल) स्कीम (प्रत्यक्ष हस्तांरित लाभ योजना), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय।

(पांच) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2016 का संख्यांक 26)—(अनुपालन लेखा परीक्षा) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत स्वायत्तशासी निकायों का प्रशासनिक कार्यकरण।

(छह) मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (सिविल) (2016 का संख्यांक 27)—राज वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 का अनुपालन, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय।

(34) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 681(अ) जो 12 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 19 जनवरी, 2011 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 38(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 467 की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 404(अ) जो 6 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 470 की उपधारा (2) के अंतर्गत कंपनी (कठिनाइयों का निराकरण) तीसरा आदेश, 2016 जो 30 जून, 2016 के भारत के

राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2264(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2014-15 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) एडसिल (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2014-15 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) एडसिल (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2014-15 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) (एक) प्रोजेक्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन साइंस, फिलौसाफी एण्ड कल्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रोजेक्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन साइंस, फिलौसाफी एण्ड कल्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2014-15 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) उपर्युक्त (42) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर, रायपुर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर, रायपुर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) उपर्युक्त (46) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों के रूप में मानित संस्थान) विनियम, 2016 जो 11 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एफ॰ सं॰ 1-3/2016(सीपीपीपीआई/डीयू) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम॰फिल/पीएचडी उपाधियां प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2016 जो 5 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में खंड 2 प्रस्तावना अधिसूचना सं॰ एफ॰ सं॰ 1-2/2009(ईसी/पीएस) पांच (1) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानाओं में महिला कर्मचारियों तथा छात्रों के यौन उत्पीड़न का निवारण, प्रतिषेध और समाधान) विनियम, 2015 जो 2 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में खंड 2 प्रस्तावना अधिसूचना सं॰ एफ॰ सं॰ 91-1/2013(टीएफजीएस) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अध्यापकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम पात्रता तथा उच्चतर शिक्षा में मानक बनाए रखने के लिए उपाय) (चौथा संशोधन) विनियम, 2016 जो 11 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एफ॰ सं॰ 1-2/2016(पीएस/संशोधन) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) उच्च शिक्षा संस्थानों में रैगिंग को नियंत्रित किया जाना (तीसरा संशोधन) विनियम, 2016 जो 29 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ 1-15/2009(एआरसी) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अध्यापकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम पात्रता तथा उच्चतर शिक्षा में मानक बनाए रखने के लिए उपाय) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2016 जो 10 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एफ॰ संख्या 1-2/2016(पीएस/संशोधन) में प्रकाशित हुए थे।

(49) ब्रह्मपुत्र क्रेकर और पॉलीमर लिमिटेड तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत अधिूसचना सं॰ का॰आ॰ 1594(अ) जो 2 मई, 2016 के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसके द्वारा खरीफ, 2016 के दौरान यूरिया के घरेलू विनिर्माताओं द्वारा राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों प्रदाय किए जाने वाले यूरिया को इंगित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) (निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड तथा रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड तथा रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) मांझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड तथा रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) मिश्र धातु निगम लिमिटेड तथा रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पांच) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड तथा रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(छह) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(52) राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) राष्ट्रीय कैडेट कोर (संशोधन) नियम, 2016 जो 7 मई, 2016 के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 18 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर (बालिका संभाग) (संशोधन) नियम, 2016 जो 7 मई, 2016 के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 19 में प्रकाशित हुए थे।

4. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की बैठकों का कार्यवाही सारांश

डॉ॰ एम॰ तंबिदुरै ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की 7वें, 8वें और 9वें सत्रों के दौरान आयोजित 18वीं से 25वीं बैठकों का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

5. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री वीरेन्द्र कश्यप ने सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दुरसंचार विभाग) के 'टेलिकॉम टावरों की स्थापना हेतु सन्नियम, उसके हानिकारक प्रभाव तथा दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार में सुरक्षा मानकों का तैयार किया जाना' के बारे में समिति के 53वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतविष्ट सिफारिशों पर 13वीं की गई कार्रवाई प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के अंतिम उत्तरों तथा अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई।

(2) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में समिति के तीसरे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर 15वीं की गई कार्रवाई प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के अंतिम उत्तर तथा अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई।

(3) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) की अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में समिति के पहले प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट

सिफारिशों पर 14वीं की गई कार्रवाई प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के अंतिम उत्तर तथा अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई।

(4) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) की अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में समिति के 5वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर 20वीं की गई कार्रवाई प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के अंतिम उत्तर तथा अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई।

(5) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के 'पेड न्यूज से संबंधित मुद्दों' के बारे में समिति के 47वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर 12वीं की गई कार्रवाई प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के अंतिम उत्तर तथा अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई।

(6) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में समिति के चौथे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर 16वीं की गई कार्रवाई प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के अंतिम उत्तर तथा अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई।

(7) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में समिति के 8वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर 19वीं की गई कार्रवाई प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के अंतिम उत्तरों तथा अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई।

6. शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री पिनाकी मिश्रा ने शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित ''मुद्रण निदेशालय, भारत सरकार स्टेशनरी आफिस और प्रकाशन विभाग का आधुनिकीकरण'' विषय पर शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति (2015-16) का बारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने मूसलाधार वर्षा और इसके परिणामस्वरूप बाढ़ के कारण चेन्नई में आई आपदा के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का 198वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

8. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी) मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 84वें और 91वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री; पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(एक) ''राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों का कार्यकरण'' भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) भेषज विभाग, रसायन और ऊर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'जन औषधि योजना' के बारे में रसायन और ऊर्वरक संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी समिति के 15वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कायार्न्वयन की स्थिति।

(3) रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(एक) रक्षा मंत्रालय से संबंधित रक्षा मंत्रालय का सिविल व्यय और रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय (मांग सं॰ 21, 22 और 23) संबंधी अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) रक्षा मंत्रालय से संबंधित थल सेना (मांग सं॰ 23) संबंधी अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के सातवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(तीन) रक्षा मंत्रालय से संबंधित नौ सेना और वायु सेना (मांग सं॰ 24 और 25) संबंधी अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(चार) रक्षा मंत्रालय से संबंधित ''आयुध निर्माणियां'' और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (मांग सं॰ 26 और 27) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

अपराह्न 12.12 बजे

9. अध्यक्ष द्वारा संकल्प

अध्यक्ष ने निम्नलिखित संकल्प का प्रस्ताव किया:—

''कि यह सभा—

(एक) कश्मीर घाटी में लंबे समय से चली आ रही अशांति, हिंसा और कर्फ्यू पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करती है;

(दो) निरंतर खराब होती स्थिति के कारण जीवन की क्षति और लोगों के गंभीर रूप से घायल होने पर अपना गहरा क्षोभ और चिंता व्यक्त करती है;

(तीन) दृढ़ और सुविचारित मत व्यक्त करती है कि एकता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है; यह समान रूप से अनिवार्य है कि कानून-व्यवस्था और शांति बहाल करने तथा लोगों के दु:ख-दर्द को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं;

(चार) जम्मू-कश्मीर में समाज के सभी वर्गों से सामान्य स्थिति और सौहार्द शीघ्र बहाल करने के लिए कार्य करने की पुरजोर अपील करती है; और

(पांच) सामान्यत: लोगों में और विशेषत: युवाओं में आत्मविश्वास बहाल करने के लिए सर्वसम्मति से संकल्प करती है।''

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.13 बजे

10. विदाई उल्लेख

अध्यक्ष ने सोलहवीं लोक सभा के नौवें सत्र के समापन पर विदाई उल्लेख किया।

अपराह्न 12.21 बजे

11. राष्ट्रीय गीत

राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई।

अपराह्न 12.23 बजे

(*लोक सभा अपराह्न* 12.23 *बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।*)

अनूप मिश्र
महासचिव

समाचार—भाग 1 (सं॰ 175 दिनांक 11.08.2016)

का

शुद्धिपत्र

पृष्ठ 24 में क्रम सं॰ 27 के पश्चात् निम्नलिखित मद संख्याएं जोड़ी जाएं:—

#28. अध्यक्षपीठ की टिप्पणी

उपाध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

''माननीय सदस्यगण को स्मरण होगा कि आज सुबह भतृहरि महताब और कुछ अन्य सदस्यों ने सुझाव दिया था कि नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016, जिसे आज की कार्यसूची में विचार तथा पारित करने के लिए शामिल किया गया है, को गहन जांच के लिए दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंप दिया जाए। माननीय गृह मंत्री सुझाव से सहमत हो गए हैं और उन्होंने इस विधेयक को आज ही संयुक्त समिति को सौंपने के लिए प्रस्ताव पेश करने की इच्छा जताई है, जिसकी अनुमति माननीय अध्यक्ष द्वारा दे दी गई है।

अब माननीय मंत्री प्रस्ताव पेश करेंगे।''

#29. दोनों सभाओं की संयुक्त समिति (जेपीसी) की नियुक्ति के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत

श्री राजनाथ सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि नागरिकता अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक को इस सभा के निम्नलिखित बीस सदस्यों तथा राज्य सभा के दस सदस्यों से मिलकर बनने वाली दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए:—

1. डॉ॰ सत्यपाल सिंह (बागपत)
2. श्री रमेन डेका
3. श्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी
4. श्री कामाख्या प्रसाद तासा
5. श्री गोपाल शेट्टी
6. डॉ॰ वीरेंद्र कुमार

#अपराह्न 4.13 बजे से अपराह्न 4.17 बजे तक।

7. श्री अश्विनी कुमार चौबे
8. डॉ॰ किरीट पी॰ सोलंकी
9. श्री सुनील कुमार सिंह
10. श्रीमती मीनाक्षी लेखी
11. श्री राजेन्द्र अग्रवाल
12. श्री अधीर रंजन चौधरी
13. कुमारी सुष्मिता देव
14. डॉ॰ पी॰ वेणुगोपाल
15. प्रो॰ सौगत राय
16. श्री भर्तृहरि महताब
17. श्री के॰ राम मोहन नायडू
18. श्री आनंदराव अडसुल
19. श्री बी॰ विनोद कुमार
20. श्री मोहम्मद सलीम

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई होगी;

कि समिति शीतकालीन सत्र, 2016 के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन सौंपेगी;

कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों के संबंध में इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे बदलावों और आशोधनों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष द्वारा किए जाएं; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में शामिल हो और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

GMGIPMRND—2452LS(S3)—12-08-2016.